संविदा की सामान्य शर्तें

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

गेल (इंडिया)लिमिटेड

(निगमित राजभाषा अनुभाग)

संविदा की सामान्य शर्तें

GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT

गेल (इंडिया) लिमिटेड

(निगमित राजभाषा अनुभाग द्वारा अनूदित)

(किसी विसंगति के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।)

[In case of any discrepancy English version will prevail]

विषय-सूची

संविदा की सामान्य शर्तें

क्रम सं.	विवरण
धारा-I	**परिभाषाएं**
1.0	शर्तों की परिभाषा
धारा-II	**सामान्य सूचना**
2.0	सामान्य सूचना
2.1	(क) कार्यस्थल की अवस्थिति
	(ख) मार्ग अभिगमन
2.2	कार्य क्षेत्र
2.3	जल आपूर्ति
2.4	ऊर्जा आपूर्ति
2.5	संविदा कारों/ठेकेदारों के कार्यालय के लिए भूमि
	गोदाम एवं कार्यशाला
2.6	आवासीय व्यवस्था के लिए भूमि
धारा-III	**निविदाकारों को सामान्य हिदायतें**
3.0	निविदा का प्रस्तुतीकरण
4.0	दस्तावेज
4.1	सामान्य
4.2	सम्पूर्ण पृष्ठ अत्याक्षरित
4.3	आंकड़ों एवं शब्दों में दरें
4.4	शुद्धि एवं उपमार्जन
4.5	निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
4.6	साक्षी
4.7	अनुभव का ब्यौरा
4.8	भारत सरकार का दायित्व
5.0	निविदा दस्तावेजों का हस्तांतरण
6.0	बयाना
7.0	विधिमान्यता
8.0	परिशिष्ट/शुद्धिपत्र
9.0	नियोक्ता को निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार
10.0	समय अनुसूची
11.0	निविदाकारों का उत्तरदायित्व
12.0	सरकार या कंपनी से सेवानिवृत्त अधिकारी
13.0	संविदा पर हस्ताक्षर करना
14.0	क्षेत्र प्रबंध एवं संचालन/समन्वयन प्राधिकारी
15.0	प्राधिकारी
16.0	अनुसूची दर का नोट

	16.1 विचाराधीन निविदाओं क लिए नीति
	16.2 शून्य विचलन
17.0	ठेका प्रदान करना
18.0	निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण
19.0	स्थानीय शर्तें
20.0	असमान्य दरें
धारा-IV	**सामान्य दायित्व**
21.1	सविदा दस्तावेजों की प्राथमिकता
21.2	शीर्षक एवं हाशिया टिप्पणियां
21.3	एकवचन एवं बहुवचन
21.4	निर्वचन
22.0	संविदा की विशिष्ट शर्तें
23.0	संविदाकार अपने सूचना खुद अर्जित करें
24.0	संविदा निष्पादन सुरक्षा
25.0	निष्पादन काल
25.1	संग्रहण काल
25.2	निर्माण की समय अनुसूची
26.0	अपरिहार्य घटना
26.1	अपरिहार्य घटना के लिए शर्तें
26.2	युद्ध का प्रकोप
27.0	मूल्य में कमी की अनुसूची
27.3	समयपूर्व समापन के लिए बोनस
28.0	नियोक्ता को संविदा निष्पादन सुरक्षा जब्त करने का अधिकार
29.0	संविदाकार द्वारा संविदा के प्रावधानों के अनुपालन में कमी
	संविदा की शर्तें
30.0	संविदाकार मुआवजा भुगतान के लिए जिम्मेवार रहना
	यदि धारा 29 के अन्तर्गत कार्रवाई न की गई हो
31.0	संविधान में परिवर्तन
32.0-क	मृत्यु के कारण संविदा समाप्ति
32.0-ख	परिनिर्धारण, दिवालियापन आदि के लिए संविदा रद्द करना
32.0-ग	गैर-निष्पादन एवं बाद में संविदाकार को अवकाश पर रखने के लिए संविदा रद्द करना
33.0	नियोक्ता के सदस्य व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं
34.0	नियोक्ता किसी व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व से दायी नहीं होता
35.0	कार्यस्थल पर संविदाकार का कार्यालय
36.0	संविदाकारों के अधीनस्थ कर्मचारी एवं उनका आचरण
37.0	कार्यों को उप किरायेदारी
	i) अस्थायी कार्यों के लिए उप संविदा
	ii) उप संविदाकारों की सूची
	iii) उप संविदाकारों से संविदाकारों की जिम्मेदारी सीमित नहीं होती
	iv) नियोक्ता उप-संविदा को खारिज कर सकता है

	v) इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई करने का उपाय नहीं
38.0	प्रविष्टि की शक्ति
39.0	संविदाकार की यांत्रिक, विद्युत, अन्त: संचार व्यवस्था, वातानुकूलित संविदाकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ जिम्मेदारी
40.0	कार्यस्थल पर अन्य एजेसियां
41.0	सूचनाएं
41.1	संविदाकार को
41.2	नियोक्ता को
42.0	विभिन्न अभिरुचि का अधिकार
43.0	एकस्व एवं राजस्व
44.0	लियन
45.0	नियोक्ता या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा विलंब
46.0	अगर संविदा निरस्त होती है तो उसका भुगतान
47.0	अधित्याग का अधिकार रहित
48.0	प्रमाणपत्र नियोक्ता के अधिकार एवं संविदाकार के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है
49.0	भाषाएं एवं उपाय
50.0	शीर्षक अंतरण
51.0	सूचना लोकार्पण
52.0	ब्राण्ड नाम
53.0	संविदा की समाप्ति
54.0	अतिरिक्त
धारा-V	**कार्यनिष्पादन**
55.0	कार्यनिष्पादन
56.0	कार्य समन्वयन एवं निरीक्षण
57.0	मानसून एवं जल निकासी में कार्य
58.0	रविवार एवं छुट्टियों में कार्य
59.0	निर्माण एवं उत्थान कार्य के लिए सामान्य शर्तें
60.0	विनिर्दिष्टताओं में परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य में परिवर्तन
61.0	नियोक्ता द्वारा ड्राइंग की आपूर्ति
62.0	संविदाकार द्वारा ड्राइंग की आपूर्ति
63.0	कार्य स्थापना
64.0	तल एवं आरेखन का दायित्व
65.0	संविदाकार द्वारा सामग्री की आपूर्ति
66.0	नियोक्ता द्वारा भंडारों की आपूर्ति
67.0	सामग्री जारी करने की शर्तें
68.0	नियोक्ता की सहायता से सामग्री प्राप्त करना/ अधिशेष की प्राप्ति
69.0	विघटित कर सामग्री प्राप्त करना
70.0	मूल्यवान वस्तुओं का प्राप्त करना
71.0	निर्देशों के बीच भिन्नता
72.0	कार्य, जहां विशेष विवरण जारी नहीं हुआ है
73.0	कार्य का निरीक्षण

74.0	कार्यों की गुणवत्ता हेतु परीक्षण
75.0	अनुमोदन के लिए नमूना
76.0	खराब कार्य की स्थिति में कार्रवाई एवं क्षतिपूर्ति
77.0	कार्य का निलंबन
78.0	नियोक्ता आंशिक कार्य कर सकता है
79.0	समाप्ति से पूर्व स्वामित्व
80.0	समापन प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि से बारह महीनों की अवधि का दायित्व
80.3	दायित्व की सीमा
81.0	कार्य का देखरेख करना
81.1	अभिग्रहण से पूर्व त्रुटि
81.2	अभिग्रहण के बाद त्रुटि
82.0	प्रत्याभूति/प्रत्याभूति से हस्तांतरण
83.0	नियोक्ता के कार्मिकों का प्रशिक्षण
84.0	खराब पुर्जों एवं सामग्रियों का प्रतिस्थापन
85.0	क्षतिपूर्ति
86.0	निर्माण सहायक, उपकरणों, औजारों एवं साज-समान
धारा-VI	**प्रमाणपत्र एवं भुगतान**
87.0	दर एवं भुगतान की अनुसूची
	i) संविदाकार की परिलब्धि
	ii) सम्मिलित किए जाने वाले दरों की अनुसूची
	iii) निर्माण, उपकरण, सामग्री, मजदूर आदि को प्रबंध करने की अनुसूची
	iv) रायल्टी, किराया एवं दावों की प्रबंध अनुसूची
	v) कर एवं शुल्क को शामिल करने वाली दर अनुसूची
	vi) विलंब के जोखिमों का प्रबंध करने की दर अनुसूची
	vii) दर अनुसूची जो अपरिवर्तनीय है
88.0	माप एवं कार्य की प्रगति के लिए बिल की प्रक्रिया
88.1	बिल की प्रक्रिया
88.2	सामग्री पर रक्षित अग्रिम
88.3	माप के माध्यम में विवाद
88.4	राशि पूर्णांकित करना
89.0	एकमुश्त निविदा
90.0	चालू लेखा भुगतान अग्रिम माना जाएगा
91.0	अतिरिक्त भुगतान हेतु दावा नोटिस
92.0	संविदाकार के बिल का भुगतान
93.0	भुगतान रसीद
94.0	समापन प्रमाणपत्र
94.1	समापन प्रमाणपत्र के कागजात
94.2	समापन प्रमाणपत्र
94.3	समापन प्रमाणपत्र के कागजात
95.0	अंतिम निर्णय एवं अतिम प्रमाणपत्र

96.0	प्रमाणपत्र एवं भुगतान के समापन साक्ष्य रहित
97.0	संविदा मूल्य से कटौती
धारा-VII	**कर एवं बीमा**
98.0	कर, शुल्क, चुंगी आदि
99.0	बिक्री कर/कुल बिक्री कर
100.0	सांवधिक परिवर्तन
101.0	बीमा
101.1	सामान्य
	i) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
	ii) कामगार मुआवजा एवं कर्मचारी देयता बीमा
	iii) कामगार की दुर्घटना या चोट
	iv) पारगमन बीमा
	v) मोटर वाहन
	vi) सामान्य दायित्व
	vii) कानून या नियम के अतर्गत नियोक्ता द्वारा अन्य कोई आवश्यक बीमा
102.0	सम्पत्ति या किसी व्यक्ति या किसी तीसरे पक्ष का नुकसान
धारा-VIII	**श्रम कानून**
103.0	श्रम कानून
104.0	प्रशिक्षु अधिनियम 1961 का कार्यान्वयन
105.0	संविदाकार द्वारा नियोक्ता की क्षतिपूर्ति
106.0	कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य एवं सफाई प्रबंध
धारा-IX	**प्रवृत्त कानून एवं विवाद का निबटारा**
107.0	पंचाट
108.0	न्यायाधिकार
धारा-X	**सुरक्षा संहिता**
109.0	सामान्य
110.0	सुरक्षा विनियमन
111.0	प्राथमिक उपचार एवं औद्योगिक क्षति
112.0	सामान्य नियम
113.0	संविदाकारों के बैरीकेड
114.0	स्केफोल्डिंग
115.0	उत्खनन एवं खाई बनाना
116.0	विध्वंस/सामान्य सुरक्षा
117.0	ज्वलनशील गैस प्रबंध की जिम्मेवारी
118.0	अस्थायी दहनशील संरचना
119.0	आग से बचाव
120.0	विस्फोटक
121.0	खनन अधिनियम
122.0	स्थानों की सुरक्षा

123.0	संक्रामक रोग का फैलना
124.0	मादक पदार्थ का उपयोग
जीसीसी का संलग्नक	
1	करार की रूपरेखा
2	सामग्री के विरूद्ध अग्रिम के लिए क्षतिपूर्ति प्रपत्र की रूपरेखा

धारा-1 परिभाषाएं

1. **शर्तों की व्याख्या**	1.1	इस संविदा में (यहां बाद में परिभाषित होगा) निम्नलिखित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो कि उसके लिए निर्धारित किया गया होगा सिवाय उनके जहां संदर्भ अन्य का अपेक्षित होगा।
	1.1.1	नियोक्ता/कंपनी/गेल का अर्थ है गेल (इंडिया) लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जोकि 1956 के कपंनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं इसका पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 एवं इसमें उत्तराधिकारी एवं समुदेशित सम्मिलित होंगे ।
	1.1.2	"संविदाकार" का अर्थ कोई व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म या कंपनी या कार्पोरेशन जिसकी निविदा नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाता है एवं संविदाकारों का कानूनी प्रतिनिधित्व में उसका उत्तराधिकारी एवं अनुमत समनुदेशन शामिल होगा ।
	1.1.3	अभियंता/प्रभारी अभियंता का अर्थ है व्यक्ति जिसको समय-समय पर गेल द्वारा पद नामित किया जाता है और वे शामिल होंगे जिसको उनके द्वारा अधिकृत किया जाएगा जो इस संविदा के संचालन के लिए उनकी जगह कार्य करेगा ।
	1.1.4	'कार्य' का अर्थ होगा सभी मद एवं वस्तुओं की आपूर्ति/निष्पादन और सेवाओं एवं गतिविधियों को संविदाकारों द्वारा अनुवर्ती निष्पादित होगा और संविदा या उसके स्थिति के अंश के अनुसार हो सकता है और सभी अतिरिक्त, अपर, परिवर्तित या संविदा के उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतिस्थापित कार्य शामिल होगा ।
	1.1.5	'स्थाई कार्य' के अर्थ जिसमें स्थापित कार्य संविदाकारों द्वारा संविदा की समाप्ति पर नियोक्ता को कार्य का कुछ अंश समर्पित करना सम्मिलित होगा ।
	1.1.6	"निर्माण उपकरण" में सभी यंत्र/उपकरण उपयोग के लिए सभी प्राकृतिक वस्तुएं या निष्पादन, समापन, संचालन या कार्य या अस्थायी कार्य का रखरखाव से है (जो यहां बाद में वर्णित होगा) लेकिन सामग्री या अन्य अभिप्रेत वस्तुओं का निर्माण या कार्य में स्थापित या शिविर की सुविधा सम्मिलित नहीं किया जाता है ।

	1.1.7	'संविदा दस्तावेज' का अर्थ निविदा दस्तावेज, डिजाइन, रेखाचित्र, विशेष विवरण, मात्रा एवं दर की अनुसूची, स्वीकृति पत्र और सहमत रुपांतर यदि कोई है और इस तरह का निविदा के सामंजस्य से अन्य दस्तावेज और उसके बाद स्वीकृति से है ।
	1.1.8	सलाहकार : अभिप्राय ..... जो परियोजना के लिए नियोक्ता को अभियंता का परामर्श देता हो और उसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर हो ।
	1.1.9	'उप संविदाकार' से अभिप्राय किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी (संविदाकार से अलग) जिसको संविदाकार द्वारा कार्य का कोई अंश पर प्रभारी अभियंता के लिखित सहमति से दिया गया हो और इस तरह के व्यक्ति, फर्म या कंपनी के विधिक प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों एवं अनुमत समनुदेशित से है ।
	1.1.10	'संविदा' से अभिप्राय नियोक्ता और संविदाकार से होगा ।
	1.1.11	'विनिर्दिष्टता' से अभिप्रेत है समस्त निदेश विभिन्न तकनीकी विनिर्दिष्टताएं जो कि
	1.1.12	'रेखाचित्र' से अभिप्राय प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत मानचित्रों, योजनाओं एवं अनुरक्षण, मुद्रण या रेखांकन जिससे कोई विनिर्माण करना शामिल होगा और ऐसा अन्य रेखांकन समय-समय पर स्वीकृत अभियंता द्वारा प्रस्तुत हो सकता है ।
	1.1.13	'निविदा' से अभिप्राय नियोक्ता द्वारा विचार के लिए संविदाकारों द्वारा सुपुर्द सहायक दस्तावेजों के प्रस्तावन से है ।
	1.1.14	'परिवर्तन आदेश' से अभिप्राय प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए गए आदेश से है जो कार्य के संयोजन या विलोपन, रद्दो बदल को प्रभावित करता है ।
	1.1.15	"समापन प्रमाणपत्र" से अभिप्राय संविदा दस्तावेज के अनुसार जब समस्त कार्य संतुष्टिपूर्वक संपन्न होता है तो अभियंता इंचार्ज द्वारा प्रमाणपत्र जारी प्रमाण पत्र से है ।
	1.1.16	कार्य के संबंध में "अंतिम प्रमाणपत्र" से अभिप्राय दायित्व की अवधि पूरा होने के बाद अभियंता इंचार्ज/नियोक्ता द्वारा जारी संविदाकारों द्वारा संविदा के विभिन्न प्रावधान के अनुवर्ती संदर्भित संतुष्टि प्रमाणपत्र से है ।

	1.1.17	कार्य के संबंध में "त्रुटि दायित्व अवधि" से अभिप्राय समापन प्रमाणपत्र की तिथि से "अंतिम प्रमाणपत्र" जारी करने की तिथि के दौरान अवधि से है जिसमें संविदाकार सभी त्रुटियों को संशोधित करने के लिए जिम्मेदार होता है जो संविदा का निष्पादन करने में संविदाकार द्वारा कार्य निरीक्षण में प्रकट हो सकती है और निर्माण/जालसाजी/स्थापना/संरचना त्रुटि को वहन करने वाले सभी अवयवों के संयंत्रों, उपकरणों एवं अवयवों के विरूद्ध वारंटी है और इस तरह संविदाकार द्वारा कारीगरी की त्रुटि कार्य को निरीक्षित कर आपूर्ति करता है।
	1.1.18	विवाचन प्रयोजन के लिए "नियुक्ति अधिकारी" अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या नियोक्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी होगा।
	1.1.19	"अस्थायी कार्य" से अभिप्राय सभी प्रकार के आवश्यक अस्थायी कार्यों या निष्पादन या समापन के बारे में या कार्य के रख-रखाव से है।
	1.1.20	'योजनाओं' से अभिप्राय सभी मानचित्रों, रेखाचित्रों एवं निन्यासों से होगा जैसा संविदा में निगमित कार्य या कार्यों के कार्य क्षेत्र एवं विनिर्देशनों को क्रम में विस्तारपूर्वक परिभाषित किया है और उसके बाद सभी पुनरूत्पादन को।
	1.1.21	'कार्य स्थल' से अभिप्राय जमीनों एवं अन्य स्थानों पर उसके अंतर्गत या वहां-जहां नियमित कार्य किया जाता हो या संविदा कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य भूमि या स्थानों को कार्यान्वित करना होगा।
	1.1.22	"लिखित रूप में नोटिस या लिखित नोटिस" से अभिप्राय लिखित सूचना, अंकित या मुद्रित अक्षरों (व्यक्तिगत सुपुर्दगी या वरना प्रेषिति द्वारा पावती को साबित करना है) को पंजीकृत डाक से नवीनतम निजी या व्यावसायिक या प्रेषिति के पंजीकृत कार्यालय में भेजना होगा और सामान्य डाक से प्राप्त समझा जाएगा। यह सुपुर्दगी की हुई होगी।
	1.1.23	"अनुमोदित" से अभिप्राय पूर्व मौखिक अनुमोदन की पुष्टि परवर्ती लेखन सहित लिखित रूप में अनुमोदित होगा और अनुमोदन से अभिप्राय पूर्वोक्त सहित लिखित रूप में अनुमोदन।
	1.1.24	"उद्देश्य पत्र/उद्देश्य फैक्स" से अभिप्राय निविदाकारों को फैक्स/पत्र से सूचना देने से होगा जिससे निविदा पत्र में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत हुआ है।

	1.1.25	"दिन" से अभिप्राय मध्यरात्रि से मध्यरात्रि 24 घंटे के दिन के लिहाज से उस दिन किए गए काम के घंटों से है ।
	1.1.26	"कार्य दिवस" से अभिप्राय किसी भी दिन से है जिसे नियोक्ता द्वारा अवकाश या छुट्टी का दिन घोषित न किया हो ।
	1.1.27	"सप्ताह" से अभिप्राय कोई भी क्रमिक सात दिनों की अवधि ।
	1.1.28	"मीट्रिक-प्रणाली" निर्माण कार्य से संबंधित सभी दस्तावेज माप मीट्रिक प्रणाली में दिया हुआ है और परियोजना का सभी कार्य माप मीट्रिक प्रणाली के अनुसार आगे बढ़ाना चाहिए । कार्य से संबंधित सभी दस्तावेजों को भी मीट्रिक प्रणाली से रखरखाव किया जाएगा ।
	1.1.29	"संविदा का मूल्य या कुल संविदा मूल्य" से अभिप्राय निविदा में स्वीकृत मूल्य के अनुसार स्वीकृत राशि या संग्रहित राशि माना जाएगा और/या आदेश में परिवर्तन सहित सम्पूर्ण कार्य के समापन एवं सम्पूर्ण निष्पादन के लिए संविदाकार को संविदा दर का भुगतान करना है ।
	1.1.30	"रेखाचित्रों एवं निदेशन की भाषा" समस्त रेखाचित्र, शीर्षकों संकेतों, निदेशन, आयामों आदि अंग्रेजी भाषा में होंगे ।
	1.1.31	"संग्रहण" से अभिप्राय संविदाकार द्वारा स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त संरचना की स्थापना से होगा जो स्थल कार्यालयों की स्थापना, ऊर्जा, जल, संचार आदि की सुविधाओं सहित निर्माण उपकरणों, विज्ञापनों, औजारों से निपटना समाविष्ट है । जहां जनशक्ति संस्था की स्थापना में स्थानिक अभियंता, पर्यवेक्षक कार्मिक एवं पर्याप्त सामर्थ्य से कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कारीगर समाहित है जो अवसंरचना की स्थापना के साथ कार्य समापन की सहमत समय अनुसूची के अनुसार स्थल कार्य निष्पादन की घोषणा करने की स्थिति में होगा । यदि संविदाकर अवसंरचना की स्थापना समयानुसार करने में सक्षम है तो "संग्रहण" की उपलब्धि प्राप्त करना माना जाएगा । जहां प्रभारी अभियंता/नियोक्ता की संतुष्टि से कार्य क्रियान्वयन के सहमत समय अनुसूची के अनुसार प्राधिकृत होगा ।
	1.1.32	"प्रवर्तन में लाना" से अभिप्राय प्रणाली की अत्यावश्यक सेवा सहित संयंत्रों, उपकरणों, नलिकाओं, पाइपलाइन, कार्य प्रणालियों या कोई अन्य अनुभाग या उप अनुभाग की स्थापना से होगा, जो सफलतापूर्वक जांच एवं उसके परीक्षण संचालन के बाद संविदाकार के कार्यानुकूल होता है ।

		"प्रवर्तन में लाना" या तो सम्पूर्ण प्रणाली या प्रणालियों के संयोजन के आंशिक प्रणाली या उप प्रणालियों से हो सकता है और नियोक्ता द्वारा किसी भी इच्छित क्रम में प्रदर्शित हो सकता है और इस तरह स्थापित होता है कि पूर्वपेक्षा की उपयुक्त उपलब्धता के अनुसार बना है । नियोक्ता द्वारा बना इस प्रकार के किसी भी पुनर्संयोजन के बने प्रस्तुति "संग्रहण" से है । संविदा के प्रावधानों में कहीं भी संविदा का निर्माण करता और संविदाकार ठीक उसी के लिए भ्रमित नहीं करेगा । उसी के लिए संविदाकार मानकर प्रदान करेगा ।
धारा-II		**सामान्य सूचना**
2. सामान्य सूचना	2.1	क) कार्य स्थल का निर्धारण : परियोजना स्थल के प्रस्तावित स्थाननिर्धारण को संविदा के विशेष परिस्थिति में व्याख्यायित किया है ।
		ख) सड़क मार्ग द्वारा पहुंच : यदि आवश्यक हो तो संविदाकार अपनी लागत पर अपने कार्य के लिए वास्तविक निर्माण स्थल से अन्य अस्थायी अभिगमन मार्ग का निर्माण करेगा । संविदाकार को अपने द्वारा निर्मित मार्गों की उपयोग किसी अन्य पक्षों के वाहन अनुमत होगा जो परियोजना स्थल के कार्य में लगा हो सकता है । संविदाकार स्थायी मार्गों की निर्माण की भी सुविधा देगा जब वह इस कार्य में व्यस्त होगा तो वहां निर्माण आरंभ होना चाहिए । वह किसी भी असुविधा के लिए अपने निविदा के लिए भत्ता बनाएगा जैसे इस लेखा के लिए वह प्रोत्साहन देगा । संविदाकार के उपयोग के लिए मार्ग अभिगमन, रेलवे साइडिंग, रेलवे मालडिब्बों की अनुपलब्धता कार्य के निष्पादन के मामले में विलम्ब की अनदेखी नहीं की जाएगी न ही नियोक्ता के विरूद्ध किसी प्रकार के मुआवजे के लिए दावा का कोई कारण नहीं होगा ।
	2.2	कार्य विस्तार : कार्य विस्तार को निविदा दस्तावेज के तकनीकी भाग में व्याख्यायित हुआ है । संविदाकार कार्य के निष्पादन एवं रखरखाव के लिए आवश्यक सामग्री, उपकरण, मजदूरी आदि प्रदान करेगा जब तक निविदा दस्तावेज में उल्लिखित समापन न हो जाए ।
	2.3	जल आपूर्ति : संविदाकार अपने मजदूरों एवं अपने कार्यों के लिए जल आपूर्ति करने के लिए स्वयं प्रबंध करेगा । समस्त पम्प की स्थापना, पाइप नेटवर्क एवं वितरण व्यवस्था संविदाकार को खुद अपने जोखिम एवं लागत पर करना होगा ।

		विकल्प के तौर पर नियोक्ता अपने विवेक से संविदाकार को जल प्रदान करने का प्रयत्न कर सकता है । नियोक्ता के आपूर्ति प्रदान करने पर संविदाकार को वाटर मीटर के लिए स्वयं प्रबंध करना होगा, जोकि नियोक्ता के अधीन रहेगा और अन्य पाइप नेटवर्क के स्रोतों से आपूर्ति और इस तरह के वितरण के लिए प्रभारी अभियंता से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है जिससे अन्य कार्य के निर्माण को तैयार कर एवं प्रगति के साथ हस्तक्षेप न हो । इस स्थिति में, चालू लेखा बिल से जल के लिए हस्तक्षेप मूल्य को हटा दिया जाएगा । यद्यपि नियोक्ता जल आपूर्ति की जिम्मेदारी नहीं लेता है और इससे संविदाकार को उसको अपना प्रबंध करने और विभिन्न कार्यों से अनुबद्ध समय से पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है ।
	2.4	ऊर्जा आपूर्ति
	2.4.1	उपलब्धता के अध्यधीन नियोक्ता नजदीकी सब-स्टेशन से केवल एक प्वाइंट पर 400/440 वोल्ट ऊर्जा की आपूर्ति करेगा जहां संविदाकार अस्थायी वितरण के लिए अपना स्वयं प्रबंध करेगा । आपूर्ति प्वाइंट संविदाकारों के परिसर से 500 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगा । सभी कार्य लागू विनियमों से होगा और प्रभारी अभियंता द्वारा पारित होगा । अस्थायी लाइन को कार्य पूरा होने के पश्चात अविलंब हटा दिया जाएगा या यदि वहां अन्य कार्यों के कारण इन लाइनों के समानांतर कोई अड़चन है तो संविदाकार को दुबारा लगाना होगा या अस्थायी लाइन को अपनी कीमत पर हटाना होगा । संविदाकार अपनी लागत पर पर्याप्त विद्युत मीटर्स, फ्यूज, स्विचेस आदि नियोक्ता को भुगतान के कारणों से प्रदान करेगा जो नियोक्ता के अभिरक्षा एवं नियंत्रण में रहना चाहिए । निर्माण कार्य के लिए ऊर्जा की कीमत प्रति महीना नियोक्ता को भुगतान करना होगा । ऊर्जा जिसको वर्तमान लेखा बिल से निकालना होगा । नियोक्ता ऐसा नहीं करेगा यद्यपि उसके लिए विद्युत आपूर्ति की किसी असफलता या कमी के लिए रियाअत के लिए दावा मान्य नहीं होगा ।
	2.4.2	यह संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा कि स्थल पर सुरक्षा जरुरतों के कारण लोड साइड की सम्पूर्ण स्थापना से प्रदान करेगा एवं बनाए रखेगा । सभी तारों को बिछाना, उपकरण,

		स्थापना आदि नवीनतम स्थापना की आवश्यकता एवं सुरक्षा प्रावधानों के संदर्भ में पूरा होगा जैसा कि केन्द्रीय/राज्य विद्युत अधिनियम एवं नियम आदि। संविदाकार सुनिश्चित करेगा कि उसके उपकरण एवं विद्युत तार लगाना आदि लाइसेन्स प्राप्त इलेक्ट्रिशियन एवं पर्यवेक्षकों द्वारा स्थापित नवीनीकृत एवं रखरखाव करेगा। ऊर्जा उपलब्ध कराने से पूर्व उसके अनुमोदन के लिए प्रभारी अभियंता एक परीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
	2.4.3	हर समय आईईए विनियमों का अनुपालन किया जाएगा जिसमें असफल रहने पर नियोक्ता संविदाकार को बिना किसी संदर्भ से उसी आपूर्ति हटाने का अधिकार रखता है । प्रभारी अभियंता द्वारा इस तरह के विनियोजन के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा । ऊर्जा आपूर्ति अधिकृत विद्युत प्रवेक्षकों से प्राप्त ताजा प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर पुन: आरंभ किया जाएगा।
	2.4.4	नियोक्ता संविदाकार के उपकरणों के वोल्टेज में बदलाव या फ्रीक्वेन्सी या ऊर्जा आपूर्ति में बाधा या संविदाकार को उससे उत्पन्न किसी भी नुकसान के परिणाम स्वरूप किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है।
	2.4.5	संविदाकार सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा स्थापित बिजली के विद्युतिक उपकरण की स्थापना अपने परिसर में उस तरह के पॉवर फैक्टर 0.90 से कम नहीं होता है। किसी भी स्थिति में किसी महीने पॉवर फैक्टर 0.90 से नीचे गिरता है तो वह सभी इकाइयों में महीने भर में खपत के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित पैनल की दर से नियोक्ता का पुन: भुगतान करना होगा।
	2.4.6	संविदाकार के कालोनी के लिए ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता संयंत्र स्थल के नजदीक नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित होगी और राज्य विद्युत बोर्ड के नियम के तहत होगी तथा समय-समय पर इस तरह के स्थापना के लिए अन्य स्थापित प्रावधान लागू होगा। संविदाकार की कालोनी में ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में ऊर्जा एक प्वाइंट पर उपलब्ध कराई जाएगी और संविदाकार विद्युत नियम एवं अधिनियम के तहत कालोनी के अधिभोक्ता को वितरण के लिए अपनी लागत पर अपना प्रबंध करना होगा। स्थल एवं कालोनी दुर्घटना से बचने के लिए पर्याप्त प्रदीप्त करेगा।
	2.4.7	संविदाकार अपना स्वयं की लाइट एवं मीटर्स लगाकर विद्युत प्रदान करेगा जो केन्द्रीय/राज्य विद्युत अधिनियम के अनुसार संचालित होगा । मीटर्स नियोक्ता द्वारा मोहरबन्द किया जाएगा।

	2.4.8	संविदाकार की ओर से किसी भी गलती के कारण नियोक्ता के उपकरण की किसी भी क्षति की स्थिति में नियोक्ता संविदाकार के बिल से इस क्षति की कीमत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित दर पर संविदाकार के खाते से संविदाकार की स्थापना के कारण नियोक्ता टर्मिनल पर एचआरसी फ्यूज की लागत बदल देना होगा।
	2.4.9	केवल 3एचपी तक के मोटर्स को सीधे लाइन से आरंभ करना अनुमत होगा । 3एचपी से अधिक एवं 100 एचपी तक के मोटर्स के लिए उचित डिवाइस द्वारा स्टार्ट करने की अनुमति होगी और प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमत होगा । संविदाकार द्वारा प्रदत्त 100 एचपी से ऊपर के मोटर्स के लिए स्लिपरिंग इन्डक्सन मोटर्स सुविधाजनक शुरूआत करने के उपायों को प्रभारी अभियंता से अनुमत कराना होगा । उन्हें संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
	2.4.10	संविदाकार अपनी लागत से सुनिश्चित करेगा कि समस्त विद्युत लाइनों और उपकरण एवं समस्त स्थापना से नियोक्ता को ऊर्जा आपूर्ति करने से पूर्व राज्य विद्युत निरीक्षण द्वारा अनुमति प्राप्त करना होगा।
	2.4.11	निविदाकार अपने निविदा के द्वारा कुल ऊर्जा की आवश्यकता को निर्दिष्ट करेगा।
	2.5	**संविदाकार के फील्ड कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला के लिए भूमि** : संविदाकार के लिए संविदाकार के अस्थायी फील्ड कार्यालय, गोदाम, कार्यशाला एवं प्रांगण में आवश्यक सज्जीकरण के निर्माण के लिए नियोक्ता अपने विवेक एवं सुविधानुसार कार्य निष्पादन के दौरान भूमि या स्थान उपलब्ध कराएगा । संविदाकार अपनी लागत से सभी उन अस्थायी भवनों का निर्माण एवं उपयुक्त जल आपूर्ति एवं सफाई का प्रबंधन और इसे प्रभारी अभियंता से अनुमत कराना होगा। संविदाकार द्वारा लिए गए कार्य के समापन पर वह अपने द्वारा स्थापित सभी अस्थायी कार्यों को हटा देगा और प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार स्थान की सफाई करेगा । यदि संविदाकर इन आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहेगा तो प्रभारी अभियंता संविदाकार के व्यय से इस अधिकार को वह हटा सकता है और रद्दी सामग्रियों और जैसा वह उपयुक्त समझेगा उसको खत्म कर देगा और ऊपर कहे अनुसार स्थान की सफाई करवाएगा । संविदाकार उसमें लगे समस्त व्यय का अविलंब भुगतान करेगा और ऊपर कहे अनुसार इस तरह के

		सामग्रियों को खत्म करने के अधिकार के लिए दावा नहीं होगा । लेकिन नियोक्ता संविदाकार को किसी भी लंबित संविदा के दौरान सुरक्षा कारणों या राष्ट्रीय हित या अन्य से 7 दिनों की सूचना देकर भूमि खाली कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है । नियोक्ता द्वारा संविदाकार से अधिकृत भूमि के लिए किराया लगा सकता है । संविदाकार को नियोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परियोजना स्थल पर उनको आबंटित क्षेत्र में मात्र अपने कार्यालय, फेब्रीकेशन शॉप एवं भण्डार निर्माण के लिए उनके द्वारा आवश्यक अस्थायी संरचना अपेक्षित होगा । नियोक्ता की लिखित अनुमति के बिना आबंटित भूमि या कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में किसी संविदाकार द्वारा टी स्टाल्स/कैन्टीन बनाई जाएंगी या इनकी अनुमति नहीं दी जाएगी । संविदाकार परियोजना स्थल पर कहीं भी अनाधिकृत भवन निर्माण या संरचना नहीं होना चाहिए । निर्बाध फैब्रीकेशन कार्य हेतु संविदाकार अपनी लागत पर उन्हें अवस्थिति में आबंटित क्षेत्र में अस्थाई कवर्ड ढांचा तैयार करेगा । परियोजना स्थल में नियोक्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा क्षेत्र आबंटित किया जाएगा । अधिकृत पहरेदार के अलावा किसी व्यक्ति को दिन का काम समाप्त होने के बाद संयंत्र क्षेत्र/संविदाकर के क्षेत्र में प्रभारी अभियंता से लिखित पूर्व अनुमति के बिना ठहरना अनुमत नहीं होगा ।
	2.6	**आवासीय व्यवस्था के लिए भूमि** : संविदाकार के कर्मचारी एवं मजदूर के लिए आवासीय व्यवस्था के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी ।
धारा-III		**निविदाकारों की सामान्य शर्तें**
3.निविदा प्रस्तुतीकरण	3.1	निविदा बिना किसी परिवर्धन, परिवर्तन एवं यहां वर्णित अन्य धाराओं में यथावर्णनानुसार विस्तृत ब्यौरा अवश्य प्रस्तुत करना होगा । अपेक्षित ब्यौरे को निविदा दस्तावेज के जीसीसी के प्रारंभ में "निविदा प्रस्तुतीकरण" के अंतर्गत निविदाकार को प्रदत्त स्थान को भर कर देना होगा । दर इस दस्तावेज की अनुसूची में केवल भरना होगा ।
	3.2	इस निविदा दस्तावेज की परिशिष्ट/शुद्धिपत्र यदि जारी हुआ है

		तो निविदा दस्तावेज के साथ हस्ताक्षरित कर अवश्य जमा कराएं। निविदाकार को दर अनुसूची में संशोधित मात्राओं को अवश्य लिखना चाहिए और जब मात्राओं के संशोधनों की परिशिष्टि में जारी किया हो तो संशोधित निविदा दस्तावेज के आधार पर कार्य का मूल्य लेना चाहिए।
	3.3	निविदा दस्तावेज के साथ इसके संलग्नक को आवरण पत्र के साथ एवं बाद का सभी पत्राचार अतिरिक्त उद्धरण को दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
	3.4	निविदाकारों को पूरी तरह से शर्तों के आधार पर कोटेशन प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है और निविदा दस्तावेजों में समाहित विनिर्देशनों एवं किसी परिवर्तन से अनुबंधित नहीं है।
	3.5	निविदाएं सदैव दोहरे मोहरबंद लिफाफें में रखा जाना चाहिए। ऊपर अंकित करना ("कोटेशन न खोलें" ..... को खोलने के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के नियत परियोजना के लिए ..... निविदा) एवं पूरा नाम, पता एवं तार का पता, निविदाकारों का फैक्स सं. मोहरबंद आवरण के बांएं कोने के नीचे लिखा होगा।
4. दस्तावेज	4.1	सामान्य
		प्रस्तुत निविदाओं कर में निम्नलिखित शामित होंगे : i) निविदा दस्तावेजों की विभिन्न धाराओं में विहित निविदाकारों द्वारा विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेजों (मूल) का सम्पूर्ण सेट ii) इसके बाद धारा 6 में विशेष रूप में उल्लिखित रीति में बयाना राशि iii) धारा 14 के अनुसार आवश्यक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित निविदा के मामले में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा या उसकी संलग्नक प्रोफार्मा में प्रति iv) निविदाकारों से संबंधित सूचना। v) संविदा दस्तावेज में प्रदत्त फार्मेट में/संविदाकार द्वारा समान प्रकार का कार्य एवं मात्रा का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए।

		vi) इस कार्य को संपन्न करने के लिए निविदादाता का प्रस्ताव और कार्यस्थल पर फील्ड प्रबंधन का ब्योरा दर्शाने वाला संगठन चार्ट vii) इस कार्य में उपयोग के लिए निविदाकार के पास उपलब्ध निर्माण संयंत्र एवं उपकरणों का ब्यौरा। viii) निवदागत कार्य को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय क्षमता को अनुसूचित बैंक से सम्पन्नता प्रमाणपत्र प्रमाणित करना। ix) विधिवत परीक्षित नवीनतम तुलनपत्र एवं लाभ एवं हानि लेखा x) निविदा में संलग्न प्रपत्र के अनुसार वर्तमान प्रतिबद्धताओं का ब्यौरा xi) उप संविदाकार/(रों) आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों और अन्य तकनीकी सूचना जिन्हें निविदादाता प्रस्तुत करना चाहता है। xii) भविष्य निधि पंजीकरण प्रमाणपत्र xiii) निविदा में दशाए सभी संलग्नकों की सूची
	4.2	सभी पृष्ठ दीक्षित है : निविदा दस्तावेज में सभी हस्ताक्षर दिनांक सहित होंगे जैसा सभी खंडों का निविदा दस्तावेजों का समस्त पृष्ठ दाये तरफ कोने में आद्याक्षरित होगा और निविदाकार द्वारा या निविदाकार की ओर से हस्ताक्षरित करने के लिए अधिकृत मुख्तारनामा प्राप्त व्यक्ति द्वारा निविदा सुपुर्द करने से पूर्व जहां-कहीं आवश्यक हो हस्ताक्षर करना होगा।
	4.3	अंकों एवं शब्दों में दरें : निविदा की दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों दोनों में और हर एक मद के लिए संविदाकार द्वारा सुपुर्द निविदा दर की अनुसूची में उनके द्वारा निवदित राशि उल्लिखित होना चाहिए और इस तरह कि अन्तर गुणन संभव

		नहीं है । हर एक मद के लिए राशि परीक्षण एवं प्रविष्ट और सभी मदों में आवश्यक सभी वस्तुओं को अंकों एवं शब्दों में होना चाहिए । कार्य के लिए निवदित राशि निविदा में प्रविष्ट एवं विधिवत निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । यदि निविदा में दर्शाए गए अंकों एवं शब्दों या राशि के बीच दर में कुछ भिन्नता पाई जाती है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी : क) जब अंकों एवं शब्दों के बीच दर में भिन्नता हो तो दर जब निविदाकार द्वारा निकाली गई राशि को सही माना जाएगा । ख) जब निविदाकार द्वारा उल्लिखित दर के अंकों एवं शब्दों में एकरूपता हो लेकिन राशि गलत हो तब निविदाकार द्वारा उल्लिखित दर को ठीक माना जाएगा । ग) जब ऊपर वर्णित दोनों तरीकों से ठीक दर पता न चलने पर शब्दों में उल्लिखित दर को ठीक मान लिया जाएगा ।
	4.4	शोधन एवं अपमार्जन : निविदा पत्र की प्रविष्टि में सभी शोधन(नों) एवं परिवर्तन(नों) पर निविदाकार द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाएगा । अपमार्जन या ऊपर लिखना अनुमत नहीं है ।
	4.5	निविदा प्रस्तुत करने वाले के हस्ताक्षर
	4.5.1	निविदाकार निविदा तैयार करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम, आवास और कारोबार के स्थान और निविदाकार द्वारा अपने सामान्य हस्ताक्षर किए जाएंगे । साझेदार फर्म निविदा में सभी साझेदारों का पूरा नाम देगा । सभी साझेदारों या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम एवं पद सहित साझेदारी के नाम में हस्ताक्षर करना चाहिए । किसी निगम द्वारा निविदा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और उस ओर से निविदा के साथ मुख्तारनामा होगा । फर्म के संविधान की एक प्रति के साथ सभी साझेदारों का नाम प्रस्तुत करना होगा ।
	4.5.2	जब निविदाकार अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में निविदा हस्ताक्षरित करता है तो कुल निविदागत राशि को जोड़कर उसी भाषा में लिखना चाहिए । हस्ताक्षर कम से कम एक गवाह द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

	4.6	साक्षी : साक्षी एवं जमानती प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और सम्पत्ति एवं उनका नाम, व्यवसाय एवं पता उनके हस्ताक्षर के नीचे घोषित करना होगा।
	4.7	अनुभव का ब्यौरा : निविदा प्रस्तुत करने वाले को अपने निविदा के साथ-साथ इस तरह हाल में सफलतापूर्वक पूरा करने वाले कार्य का पिछला अनुभव का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा । इसके साथ नियोक्ता का नाम, स्थलों का स्थान निर्धारण एवं संविदा का मूल्य, आरंभ करने एवं कार्य समापन की तिथि होना चाहिए। यदि कोई विलंब होने पर विलंब होने के कारणों एवं अन्य ब्यौरा के साथ-साथ लिखित साक्ष्य देना चाहिए।
	4.8	भारत सरकार का दायित्व : यह स्पष्टतया ज्ञात है और बोली लगाने वाला या संविदाकार एवं मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एवं के मध्य सम्मत है और मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड इस करार में पूरी तरह अपने प्रमुत्व से प्रवेश किया है एवं अन्य व्यक्ति या कंपनी की ओर से नहीं । विशेष रूप में यह भी स्पष्टतया ज्ञात एवं सम्मत है कि भारत सरकार इस करार में कोई पक्ष नहीं है और इसके अंतर्गत उसका दायित्व, कर्त्तव्य एंव अधिकार नहीं है । यह भी स्पष्टतया ज्ञात एवं सम्मत है कि मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड का प्रभुत्व एवं अधिकार के साथ स्वतंत्र कानूनी सत्ता है जो अपने प्रभुत्व से लागू भारतीय कानून एवं संविदा कानून के संविदा कानून के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत सम्पूर्ण रूप से संविदा में प्रवेश करता है । बोली लगाने वाला/संविदाकार स्पष्टतया/सम्मत, स्वीकार करता एवं समझता है कि मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का काई एजेंट, प्रतिनिधि या प्रतयायुक्त नहीं है । यह आगे और ज्ञात एवं सम्मत है कि भारत सरकार किसी अधिनियम, अनाचरण, आयोग, अतिक्रमण या संविदा से उपजे किसी अन्य गलतियों के लिए उत्तरदायी नहीं है । बोली लगाने वाला/संविदाकार स्पष्टतया किसी पूर्ववर्ती एवं तमाम कार्य एवं दावा को छोड़कर या मुक्त करता है जिसमें भारत सरकार के विरूद्ध इस संविदा से उपजे प्रतिदावा, मुकदमा चलाने का दावा एवं प्रतिदावा शामिल है और इस दावे से उपजे किसी भी तरीकों, बढ़ावा, कार्रवाई के कारणों एवं अन्य किसी वस्तु से उभरे औचित्य के लिए भारत सरकार पर मुकदमा दायर नहीं होता है।
5. निविदा दस्तावेजों का हस्तांतरण	5.1	निविदा दस्तावेजों का हस्तांतरण एक निर्दिष्ट निविदाकार द्वारा खरीद कर अन्य को अनुमत नहीं है।
6. बयाना	6.1	बोली लगाने वाले को आबंटित निविदाओं के पत्र/सूचना में उल्लिखित बयाना को अवश्य जमा कराएं और निविदा के साथ

		कार्यलयी रसीद संलग्न करें अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा ऐसे निविदाकारों निविदा खोलने पर उपस्थिति की अनुमति नहीं है। बयाना, डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या बैंकर्स चेक या किसी भारतीय अनुसूचित बैंक से लैटर ऑफ क्रेडिट या भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बैंक की शाखा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत अनुसूचित विदेशी बैंक में जमा करा सकता है । तथापि राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंकों से अन्यथा जिनकी बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है, उन्हें 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का होना चाहिए और ऐसे व्यावसायिक बैंकों को इस आशय का एक घोषणापत्र या बैंक गारंटी में नहीं तो अलग से पत्र शीर्ष पर देना होगा। बोली की गारंटी निर्धारित फार्मेट पर जमा होगा। टिप्पणी : बैंक गारंटी नियोक्ता द्वारा निर्धारित परफोर्मा में निविदाकार द्वारा जुटाना होगा । निविदाकार द्वारा जमा कराये बयाना पर नियोक्ता द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। बयाना के बदले में प्रस्तुत बैंक गारंटी निविदा खुलने की तारीख से छः महीने की अवधि तक के लिए वैध होनी चाहिए। (बोली वैधता के दो महीनों के लगभग) सफल निविदाकार की बयाना राशि जब्त हो जाएगी यदि निविदा स्वीकृति नोटिस की पावती के 15 दिनों के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है और/या निविदा कार्य निष्पादन धारा 24 के अनुसार 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ करने में असमर्थ रहता है। टिप्पणी : असफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि नियोक्ता/परामर्शी द्वारा सीधे तौर पर निविदाकार को निर्धारित समयावधि में वापिस करेगा लेकिन नियोक्ता द्वारा निर्धारित बोली के विधिमान्य अवधि की समाप्ति के 30 से अधिक दिनों के भीतर होगा।
7. वैधता	7.1	निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ निविदा, निविदा खुलने की तारीख से 4 महीनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए विधि वैध रहेगा । निविदाकारों को ऐसे 4 महीनों के दौरान नियोक्ता के लिखित रूप में सहमति के बिना प्रतिसंहरण करना या उसके निविदा को खारिज करना या दिये गये निविदा में भिन्नता या वहां अन्य शर्तों से नहीं होगा । निविदा प्रतिसंहरण करने या उसके निविदा को खारिज करने या उससे

		संबंधित किसी शर्त में भिन्नता की की स्थति में नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना, नियोक्ता उसके द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम धन को निविदा के साथ-साथ समपहृत करेगा।
8. युक्तिका/ शुद्धिपत्र	8.1	निविदा दस्तावेजों की युक्तका/शुद्धिपत्र निविदाओं के खुलने की तिथि से पहले दस्तावेजों के स्पष्टीरकण या संरचना में आधुनिकीकरण दर्शाने या संविदा के शर्तों की नकल जारी करेगा।
	8.2	जारी किया हुआ हर एक युक्तका/शुद्धिपत्र प्रत्येक व्यक्ति को दो प्रतियों में जारी होगा या संगठन जिनको निविदा दस्तावेजों का सेट जारी हुआ है। प्राप्तिकर्ता हर एक युक्तका/शुद्धिपत्र का निविदाकारों की प्रति हासिल करेगा और उसके प्रस्ताव के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न होगा । युक्तिका/शुद्धिपत्र निविदा दस्तावेजों का भाग होगा।
9. निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का नियोक्ता का अधिकार	9.1	निविदा स्वीकार करने का अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित रहेगा। यद्यपि नियोक्ता खुद को निम्नतम् निविदा स्वीकार करने को बाध्य नहीं करता है और कोई भी या सभी प्राप्त निविदाओं को बिना कुछ भी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार स्वयं सुरक्षित रखता है। नियोक्ता को यह विकल्प है कि जिस कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई है उसे एक संविदाकर या एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच बांटकर प्रदान कर सकता है जिस स्थिति में केवल उस आंशिक कार्य के लिए दिया जाएगा जिसके तहत बोली स्वीकार हुई है। इस सम्भाव्य घटना के लिए उल्लिखित दर पर काम देना चाहिए। निविदाएं जिसमें कोई विशिष्ट एवं निर्धारित सूचना गायब हो या किसी वजह से अधूरा हो और/या निर्धारित शर्तें पूरा न हुई हो तो दायित्व के अधीन अस्वीकृत है । टिप्पणियों के लिए अनाहूत युक्त निविदा या कोई अतिरिक्त परिस्थितियां दायित्व के अधीन अस्वीकृत है। निविदाओं से संबंधित संयाचना सख्ती से वर्जित है और निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं जो संयाचना का सहारा लेती हैं अस्वीकृत हो जाएगी।
10. समय अनुसूची	10.1	कार्य निविदा/संविदा दस्तावेज में वर्णित निश्चित समय के हिसाब से सख्ती से कार्यान्वित किया जाएगा। निर्माण अवधि में दिए गए निश्चित समय में संघटन की तरह जांच यदि कोई परिशुद्धियां, पुनर्निरीक्षण एवं प्रभारी अभियंता की सम्पूर्ण संतुष्टि के समापन में आवश्यक समय शामिल है।

	10.2	कार्य निष्पादन का संयुक्त कार्यक्रम प्रभारी अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा एवं संविदाकार जो इस परियोजना के प्राथमिक आवश्यकताओं पर आधारित है । इस कार्यक्रम के ऊपर 10.1 में वर्णित समापन समय को गिना जाएगा और आवश्यक कार्य के लिए समय प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमत होगा ।
	10.3	मासिक/साप्ताहिक निर्माण कार्यक्रम संविदाकार के साथ संयुक्त रूप से प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य मोरचा पर उपलब्ध एवं ऊपर 10.2 के अनुसार संयुक्त निर्माण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । संविदाकार निष्ठा से अनुषक्त इन लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों को उपयुक्त कार्मिक, निर्माण समाग्री एवं औजारों से अभिनियोजित किया जाएगा और वह स्वयं को भी सभी सामग्रियों की आपूर्ति की परिधि में अच्छे समय में लक्ष्यों एवं कार्यक्रमों को हासिल करने के लिए आपूर्ति करेगा । सभी संबंधित मामलों में विस्तृत लक्ष्यों को साप्ताहिक एवं मासिक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाएगा और उपलब्धि की परीक्षा प्रभारी अभियंता के निर्णय से फैसला होगा और संविदाकार उससे बंधा होगा ।
11. निविदाकारों का उत्तरदायित्व	11.1	आशायित निविदाकारों को स्थल देखा हुआ समझा जाएगा एवं निविदा प्रस्तावित करने में अभ्यस्त होगा । अतिरिक्त दावा या रेखांकन या विशिष्टिकरण के साथ सख्त पुष्टि में कार्य का पालन न करना या प्रदर्शन में किसी प्रकार का विलंब स्थल की हालतों से अनव्यस्तता किसी भी कारण विचारणीय नहीं होगा ।
12. निवृतत सरकार या कंपनी अधिकारी	12.1	अभियांत्रिकी में कार्यरत राजपत्रित पद का अभियंता या राज्य/केन्द्र सरकार का अभियांत्रिकी विभाग में प्रशासनिक कार्य या नियोक्ता को सरकारी सेवा से उसके सेवानिवृत्त होने के पश्चात या नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना नियोक्ता के रोजगार से दो वर्ष की अवधि के लिए संविदाकार के तौर पर कार्य अनुमत होगा । संविदा यदि प्रदान की गई है तो संविदाकार या उसके कर्मचारियों में यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी समय पाया जाता है तो खारिज करने का दायित्व होगा जो राज्य/केन्द्र सरकार या नियोक्ता को निविदा जमा करने से पूर्व वर्णित अनुमति को प्राप्त करना होगा एवं संविदाकारों की सेवा में व्यस्त मामला हो सकता है ।
13. संविदा पर हस्ताक्षर	13.1	सफल निविदाकार निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिपत्र में उसके निविदा स्वीकृति की अधिसूचना 15 दिनों के अन्दर प्राप्त कर निष्पादित करना होगा । ऊपर लिखित करार की अवधि के अन्दर सफल संविदाकार इकराननामे पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो बयाना धन या उसके आरंभिक

		तौर पर असफल रहता है तो बयाना या इसके आरंभिक जमा समहृत होगा और निविदा की प्राप्ति रद्द समझी जाएगी।
14. क्षेत्र प्रबंधन एवं नियंत्रण/सहयोगी अधिकारी	14.1	प्रभारी अभियंता क्षेत्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा जो कि नियोक्ता द्वारा नामित होगा । प्रभारी अभियंता भी अपना प्रतिनिधि अपने ड्यूटी एवं कार्य के प्रदर्शन में अधिकृत कर सकता है।
	14.2	प्रभारी अभियंता कार्य स्थल पर कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कार्य में सहयोग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे कार्य कम से कम बाधित हो । यह संविदाकार का उत्तरदायित्व है कि अन्य एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्य को प्रतिबाधा से बचाकर स्थल के निर्देशानुसार कार्य को सख्ती से योजित एवं निष्पादित करे।
15. दूर सूची पर टिप्पणी	15.1	दर सूची निविदा के अन्य सभी खंडों के साथ जोड़कर पढ़ी जानी चाहिए।
	15.2	निविदाकार को रेखांकन एवं विशिष्टिकरण का अध्ययन किया गया और विस्तृत कार्य को निश्चित समय में पूरा करेगा और स्थल पर विद्यमान दशा से अपने आपको परिचित रखेगा।
	15.3	दर मूल निविदा दस्तावेजों की दर की सूची में अवश्य भरना चाहिए। यदि अलग से अंकित कागज पर उल्लिखित है तो मद के विवरण या विशिष्टिकरण में कोई भिन्नता स्वीकृत नहीं होगी। दर सूची में निविदाकार द्वारा लिए गए किसी अपवादों को प्रस्तावित शर्तों में से निकाल दिया जाएगा।
	15.4	विभिन्न मदों के सम्मुख दर्शाए गए मात्रा के केवल अनुरूप है। मात्राओं की किसी वृद्धि एवं कमी में उल्लिखित एवं स्वीकृत दर परिवर्तन का आधार नहीं बनेगा।
	15.5	नियोक्ता समान मदों के बीच निम्न एवं उच्च विस्तार में असफल होने पर ऐसे मदों के कार्य के लिए दर अंतर्वेशित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
16. विचाराधीन निविदाओं के लिए नीति	16.1	केवल वे निविदाएं जो हर हाल में पूरी है और निविदा दस्तावेज की तकनीकी विनिष्टिताओं तथा नियमों एवं शर्तों के पूर्ण रूपेण अनुसार हैं, उन पर ही मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा । इस तरह की निविदाएं निविदा खुलने के तुरंत बाद विचाराधीन होगी और जब तक ऐसे निविदा की स्वीकृति/ अस्वीकृति के बारे में कार्यालय द्वारा बोलीदाता को बताया नहीं जाएगा।
	16.2	शून्य विचलन : बोली लगाने वाले नोट करें कि यह शून्य विचलन निविदा का है। गेल शर्तों पर आधारित प्रस्ताव को सुपुर्द करने को प्रोत्साहित करेगा जिसमें संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी), संविदा की विशिष्ट शर्तें (एससीसी), बोली

		लगाने वाले को दिशा निर्देश (आईटीबी), कार्य का विस्तार तकनीकी विशिष्टिकरण आदि संलग्न है जो प्रस्ताव के तकनीकी स्पष्टीकरण/व्यावसायिक पहलुओं को चाहने वालों को समय एवं धन की बबार्दी से बचाता है। बोली लगाने वाला नोट कर सकता है कि बोली प्राप्ति के बाद तकनीकी एवं व्यावसायिक स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकेगा। यदि बोली में कोई विचलन/अस्पष्टता पाई जाती है तो यह अस्वीकृति के लिए होगी।
17. संविदा प्रदान करना	17.1	निविदा की स्वीकृति गेल द्वारा सफल निविदाकार को या तो टेलेक्स/टेलीग्राम/फैक्स या पत्र या निविदा स्वीकृति पत्र में वर्णित माध्यम द्वारा सूचित की जाएगी।
	17.2	गेल संविदा प्रदान करने के मामले में एकमात्र निर्णायक है और गेल का फैसला अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
18. निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण	18.1	निविदाकार से अपेक्षित है कि वह निविदा के तकनीकी स्पष्टीकरण संविदा की शर्तें, रेखांकन एवं कार्य से संबंधित अन्य ब्यौरे को सावधानीपर्वूक जांच करना आवश्यक है और निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी शर्तें एवं मामलें जो कार्य या उसके कीमत को किसी तरह प्रभावित कर सकता है स्वयं को पूरी तरह सूचित करना। निविदाकार निविदा दस्तावेज के किसी अंतर्वस्तु की पूर्णता एवं शुद्धता के बारे में शक की स्थिति में वह त्रिस्तरीय रूप में गेल को निर्वचन/स्पष्टीकरण करने जारी करेगा। ऐसे स्पष्टीकरण एवं या निर्वचनों विशिष्टिकरण का अंश होगा और दस्तावेज एवं निविदा साथ-साथ होगा जो निविदाकर द्वारा निविदा आमंत्रण में वर्णित समय एवं तिथि के अन्दर सुपुर्द करेगा।
	18.2	गेल एवं उसके कर्मचारी(रियों) या प्रतिनिधि द्वारा दिए गए किसी मौखिक स्पष्टीकरण एवं सूचना पर गेल बाध्य नहीं होगा
19. स्थानीय परिस्थितियां	19.1	यह हर एक निविदाकार के लिए अनिवार्य होगा कि सभी स्थानीय परिस्थितियों एवं तथ्यों को स्वयं अवगत हो जिससे निविदा दस्तावेज के अंतर्गत सुरक्षित कार्य के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। अपने निजी हित में निविदाकार स्वयं को भारतीय आयकर अधिनियम 1961, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956, भारतीय राजस्व अधिनियम, 1962 एवं अन्य संबंधित अधिनियमों एवं कानूनों और उनके नवीनतम संशोधनों के साथ भारतीय विनियमों से स्वयं को सुपरिचित बना देने निवेदित है। जैसा लागू है गेल निविदाकार से ऐसे स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित किसी निवेदन को ग्रहण नहीं करेगा।
	19.2	यह ज्ञात एवं सम्मत है कि ऐसे तथ्यों को खासतौर पर जांच

		लिया जाता है और जब निविदा सुपुर्द करते हुए विचार किया जाता है। वित्तीय या किसी अन्य संविदा मूल्य के समायोजन के दावे को ऐसे तथ्यों की स्पष्टता के अभाव में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
20. असमान्य दरें	20.1	निविदाकार से प्रत्येक मद के लिए दर उद्धृत करने की आशा है । निविदाकार से संपूरित मद के प्रदर्शन के लिए संलग्न लागत को सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद संविदा की सभी विशिष्टताओं एवं परिस्थितियों पर विचार कर हर मद के लिए दर उदघृत करने की आशा है । यह लाभ में कमी या संक्षिप्तिकरण के संदर्भ में वृद्धि किसी मद को स्पष्टीकरण परिवर्तन को बचाएगा। यदि यह सूचित करता है कि किसी भी मद के लिए निविदाकार द्वारा उद्धृत दर सामान्य रूप से अधिक या सामान्य रूप से कम है तो यह निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा। यद्यपि नियोक्ता को निविदाकार द्वारा सम्पन्न ऐसे दर के लिए अध्ययन कर छांटने के बाद सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
धारा-IV		**सामान्य दायित्व**
21. संविदा दस्तावेजों को प्राथमिकता	21.1	संविदा द्वारा उपलब्ध कराए गए संविदा की सामान्य शर्तें एवं विशेष शर्तों के प्रावधान संविदा के गठन के भाग के कागजातों पर उसके सिवाय और उस सीमा तक प्रावधान हावी रहेंगे । संविदा का गठन करने वाले कई अन्य कागजात एक दूसरे की व्याख्या करेंगे लेकिन किसी अस्पष्टता या विसंगति के मामले में उसकी व्याख्या और समाधान प्रभारी इंजीनियर करेंगे जो उस पर संविदाकार को अनुदेश जारी करेंगे और ऐसी घटना पर जब तक कि संविदा के प्रावधान नहीं है तब तक संविदा का गठन वाले कागजातों की प्राथमिकता निम्नवत होगी : 1) संविदा करार 2) स्वीकृति पत्र 3) (बोली लगाने वालों को दिशानिर्देश) आई टीबी 4) संविदा की विशिष्ट परिस्थितियां (एससीसी) 5) संविदा की सामान्य परिस्थतियां (एजीसीसी) 6) संविदा के अंश से निर्मित कोई अन्य दस्तावेज आरेख में दर्शाए गए कार्य लेकिन विनिदिष्टताओं में वर्णित नहीं या इसके उलट दर्शाए जाने पर उन्हें उसी प्रकार शामिल माना जएगा जैसा कि उन्हे विशिष्ट रूप से आरेखन और विनिदिष्टताओं में वर्णित माना जाएगा।
	21.2	**शीर्षक एवं सीमांत टिप्पणियां** सभी शीर्षक एवं सीमान्त टिप्पणियां, खंड संविदा के इन सामान्य परिस्थतियों या स्पष्टीकरणों या किसी अन्य निविदा

		दस्तावेज दिए गए संक्षिप्त सांकेतिक कारणों के लिए पूरी तरह और उसके संदर्भ का सारांश नहीं है और कभी भी उसका अंश नहीं समझा जाएगा या उसके बाद संविदा परिवर्तन एवं निर्माण में प्रयुक्त होगा।
	21.3	एकवचन एवं बहुवचन : संविदा दस्तावेज में जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख न हो एकवचन शामिल होगा और एकवचन के अभिप्राय बहुवचन या विपरीत होगा
	21.4	निर्वचन : शब्दों में समाहित व्यक्तियों से अभिप्राय निगमित कंपनियों/पंजीकृत संगठनों/वैयक्तिक निकाय/साझेदारी फर्म जैसे मामला हो सकता है, शामिल होगा।
22. संविदा की विशेष शर्तें	22.1	संविदा की विशेष शर्तें जहीं-कहीं आवश्यक हो संविदा की सामान्य शर्तें, कार्य का स्पष्टीकरण, रेखांकन एवं इस संविदा के अंश से निर्मित किसी अन्य दस्तावेज के संयोजन से पढ़ा जाएगा।
	22.2	इस धाराओं में दस्तावेजों का उप-विभाजन के बावजूद और सभी खण्डों का हर एक अंश हर दूसरे अंश का अनुपूरक और सम्पूरक समझा जाएगा और यथासाध्य ऐसा करने के लिए संविदा के साथ पढ़ा जाएगा।
	22.3	जहां संविदा की सामान्य शर्तों का कोई भाग असंगत है या संविदा की विशेष शर्तों के प्रावधानों से भिन्नता रखता है वहां संविदा की विशेष शर्तों के प्रावधानों से कोई अलग धारणा दिखाई देती है वहां यह संविदा की सामान्य शर्तों को उस सीमा तक ऐसी असंगतता या विसंगति को प्रतिस्थापित कर देगा।
	22.4	जहां कही भी विनिर्दिष्टताओं में वर्णित हो कि किन्हीं कार्यों को संविदाकार करेगा या कुछ प्रसुविधाएं प्रदान करेगा, वह यह समझा जाएगा कि संविदाकार अपनी लगात पर करेगा और संविदा का मूल्य के बारे में माना जाएगा कि ऐसे कार्यों को यहां वर्णित प्रावधानों में शामिल माना जाएगा।
	22.5	सामग्री, संरचना एवं कारीगरी संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप कार्य विनिर्देशन इसमें समाविष्ट और कोड से अधिक की अपेक्षा है वहां इन अतिरिक्त अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा।
23. संविदाकार अपनी सूचना स्वयं प्राप्त करेगा	23.1	संविदाकार सभी प्रयोजन के लिए अपनी दर निधारित करेगा जिसका कुछ भी कारण हो सकता है। अपनी निविदा को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यकत सूचना को स्वयं स्वतंत्रतापूर्वक हासिल करना समझा जाएगा और उसका निविदा स्वीकृत समझा जाएगा। सभी आकस्मिक व्यय इस तरह की सूचना के कारण या उसके अभाव में लेखा में शामिल

		कर उठाया जा सकता है । निविदा में दिए गए ब्यौरे की शुद्धता संविदाकार को निविदा करने को सहायता कर गारंटी नहीं देता है । संविदाकार संविदा दस्तावेज को परीक्षित समझा जाएगा । सामान्य तौर पर सभी मामलों में कुछ भी अपने निजी सूचना को हासिल करेगा जो अनुसूचित दर पर कार्य को पूरा कर अवश्य प्रभावित करेगा और अपने निविदा की पर्याप्तता को स्वयं संतुष्ट करता है । मात्रा के विवरण में किसी त्रुटि या उसके लोप से संविदा को निष्फल नहीं करेगा या संविदाकार को अनुसूचित दर पर संविदा के रेखांकन एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निष्पादित कार्य की तुलना से मुक्त करता है । वह कार्य क्षेत्र प्रकृति एवं कार्य की महत्ता परिचित समझा जाता है और सामग्री एवं मजदूर आदि की आवश्यकताएं शामिल है और ऐसी वो सभी कार्य जिसका वह संविदा दस्तावेज के अनुसार पूरा करता है दस्तावेज में कुछ भी कमी, लोप या त्रुटि पाया जाएगा । संविदाकार का परिवेश देखा-भाला समझा जाएगा । सभी उपलब्ध संरचनाओं की प्रकृति यदि कोई है तो स्वयं को एवं प्रकृति को भी संतुष्ट करता है और रेलवे, रोड, पुल एवं पुलिया की परिस्थिति, परिवहन एवं संचार माध्यम जहां भूमि, जल या वायु द्वारा और वहां यथासंभव हस्तक्षेप और स्थल से पहुंच एवं निर्गम, पूछताछ करने, परीक्षण करने एवं रेत, पत्थर, ईंट एवं अन्य सामग्री प्राप्त करने के लिए स्वयं को संतुष्ट करता है । अतिरिक्त सामग्री के निबटान के लिए स्थान, ऐसी कुछ भी आवश्यक उपलब्ध आवास, डिपो और प्रदूषण की स्वतंत्र स्थानीय जांच कराना प्रदूषित जल एवं उसकी भिन्नता, तूफान, वायु से बचाव, वातावरणीय परिस्थितियां और उन कार्यों को प्रभावित करने वाले अन्य मामले के कार्यनिष्पादन एवं समापन के लिए ऐसा अन्य भवन आवश्यक हो सकता है । वह सरकारी कर, राजस्व शुल्क एवं अन्य शुल्क, उगाही आदि के अपने दायित्व से स्वयं को परिचित समझ सकता है । किसी पूर्वगामी सूचना को हासिल करने में संविदाकार की तरफ से किसी पूर्वगामी आवश्यकता एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में किसी लापरवाही या लोप या असफलता या संविदा को प्रभावित करने वाला कोई अन्य तत्व किसी जोखिम या दायित्व या संविदा के अनुसार सख्ती से अनुसूचित दर एवं समय पर कार्य समापन के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व से उनको भारमुक्त नहीं करेगा ।

		इसीलिए यह आशा की जाती है कि क्या संविदाकार को संविदा दस्तावेज के किसी अंश का अर्थ में कोई शक है तो व निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व नियोक्ता को लिखित रूप में दो प्रति में उसकी विशिष्टियां देना होगा । नियोक्ता ऐसा स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है जैसा संविदा को लिखित रूप में आवश्यकता हो सकता है । ऐसा स्पष्टीकरण संविदा दस्तावेज के अंश से नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा । किसी मौखिक करार या किसी प्रभावित बातचीत से हस्तक्षेप या किसी नियोक्ता के कर्मचारी या उससे पहले, संविदा करार के निष्पादन के दौरान या बाढ़ में कैसे भी आशोधन एवं शर्तें या इससे समाविष्ट दायित्व प्रभावित करेगा । स्थान की परिस्थिति के कारण नक्शा में कोई परिवर्तन या तकनीकी आवश्यकता संविदाकर पर दायी होगा और इस मामले में कोई भी अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
24. संविदा निष्पादन सुरक्षा	24.1	संविदाकार नियोक्ता को सूचना प्राप्त करने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निविदा की स्वीकृति मूल्य का 10% राशि या सम्पन्न कार्य का वास्तविक मूल्य सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करना होगा । किसी अतिरिक्त कार्य या किसी अन्य कारणों के कारण बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या बैंक गारंटी या जमा का अप्रतिसंहरणीय पत्र (संलग्न कर परफोर्मा के मुताबिक) जो अधिक लागू है । जैसे नियोक्ता का संविदा निष्पादन सुरक्षा । जिसका त्रुटि दायित्व अवधि खत्म होने के बाद वापिस किया जाएगा ।
	24.2	संविदाकार डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी द्वारा या किसी भारतीय अनुसूचित बैंक में जमा अप्रतिसंहरणीय पत्र द्वारा या भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय बैंक की शाखा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित पंजीकृत विदेशी बैंक द्वारा प्रस्तुत कर सकता है । यद्यपि अन्य राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक से अन्य बैंक जिनकी बैंक गारंटी प्रस्तुत हुई है, उनका 100 करोड़ से अधिक मुनाफे वाला व्यावसायिक बैंक अवश्य हो और इस प्रभाव का एक घोषणापत्र ऐसे व्यावसायिक बैंक द्वारा या तो अपने बैंक गारंटी या अलग से लेटरहेड पर बना होना चाहिए । बैंक गारंटी या जमा पत्र निर्धारित फोर्मेट पर सुपुर्द करना होगा

		।
	24.3	यदि संविदाकार/उपसंविदाकार या उनके कर्मचारियों या संविदाकारों का एजेंट एवं प्रतिनिधि संविदा निष्पादन के दौरान नियोक्ता के संबंधित किसी भी सम्पत्ति को क्षति, तोड़ना, विकृत या विनष्ट करता है तो वैसी वस्तु संविदाकार को अपने खर्चे पर बनानी होगी और ऐसा न करने पर प्रभारी अभियंता अन्य एजेंसियों द्वारा वैसी ही वस्तु बनवा सकता है और संविदाकार से उस व्यय की वसूली कर सकता है (जिसके लिए प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र अंतिम होगा ।)
	24.4	सभी मुआवजा या इस संविदा की शर्तों के अंतर्गत नियोक्ता को संविदाकार द्वारा देय धन में से राशि से निकाला जा सकता है या नकदीकरण द्वारा भुगतान या कोई भी राशि जो देय हो सकती है या नियोक्ता किसी खाते से संविदाकार को जो कुछ देय हो सकता है और उसके संविदा निष्पादन सुरक्षा इस तरह के निकासी के कारणों से कम करने की घटना में या उल्लिखित बिक्री, संविदाकार दस दिन के अन्दर उसके बाद नकद में वस्तु बनना, उल्लिखित किसी राशि का बैंक ड्राफ्ट या राशि जिसकी निकासी की जा सकती है या उसके संविदा निष्पादन सुरक्षा में जमा की गई राशि के लिए नियोक्ता द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
	24.5	सफल बोलीदाता की असफलता इस खण्ड की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से अधिनिर्णय का रद्दीकरण एवं बोली की सुरक्षा का समाहरण करने लिए उपयुक्त धरातल निर्मित करेगा ।
25. निष्पादन का समय	25.1	संग्रहण के लिए समय इस संविदा में समावेशित कार्य 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पत्र/फैक्स की तिथि आशय का और समापन की स्थित में या समय अनुसूची के कार्य समापन में उल्लिखित तिथि से पूर्व संपन्न करना होगा । संविदाकार को अपने ध्यान में बिठाना होगा कि इस करार की अत्यावश्यक शर्त समय है । निविदा के खुलने के पश्चात निर्माण समय के पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना पर विचार नहीं होगा । उल्लिखित (पंद्रह)15 दिनों की अवधि पूरे समापन अनुसूची के अन्दर समापन समय से ज्यादा या ऊपर कोई अतिरिक्त कार्य या कोई अन्य कारणों को सम्मिलित नहीं है ।
	25.2	निर्माण समय की अनुसूची
	25.2.1	निविदा दस्तावेज में निर्माण का सामान्य समय अनुसूची में दिया गया है । संविदाकार को प्रभारी अभियंता के साथ संयुक्त रूप से आशय पत्र/फैक्स की प्राप्ति या निविदा स्वीकृति के 15 दिनों के अन्दर मासिक या साप्ताहिक कार्यक्रम का ब्यौरा

		तैयार करना चाहिए । निविदा दस्तावेज में दिये गए समय अनुसूची के मुताविक सख्ती से कार्य निष्पादित होना चाहिए । दिये निर्माण की अवधि में संग्रहण जांच, परिशोधन के लिए आवश्यक समय में प्रभारी अभियंता की सम्पूर्ण संतुष्टि निविदा दस्तावेज के अनुसार सभी संदर्भों में परीक्षण एवं समापन समाविष्ट है ।
	25.2.2	संविदाकार को सहमत समय सीमा में पीइआरटी नेटवर्क का ब्यौरा जमा कराना होगा । उल्लिखित से मिलकर पर्याप्त गतिविधियों की पर्याप्त संख्या कार्य के विभिन्न मूल खण्डों को समाहित करता है जैसे-संरचना, उपापन, निर्माण, लदान और क्षेत्रीय निष्काषण एवं क्षेत्रीय निष्काषण गतिविधियां आशय पत्र/फैक्स की तिथि से 15 दिनों के अन्दर गतिविधि करेगा । यह नेटवर्क नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को इंटरफेस सुविधाओं को संकेतित करता है और तिथि द्वारा ऐसी सुविधा आवश्यक है ।
	25.2.3	संविदाकार नेटवर्क के बारे में चर्चा करेगा और नियोक्ता को सुपुर्द करेगा और सहमत नेटवर्क जिसको नियोक्ता को उस रूप में सुपुर्द कर सकता है । बातचीत के निर्णय से संविदा का अंशनिर्मित होगा । निविदा के पत्र की स्वीकृति के 15 दिनों के अन्दर हस्ताक्षरित होगा । संविदा निष्पादन के दौरान यदि नियोक्ता की सलाह पर यथोचित प्रगति उर्याप्त नहीं होती है तो परिवर्तन संविदाकर के संचालन से वास्तविक प्रगति को सुनिश्चित करना होगा । उल्लिखित पीईआरटी नेटवर्क की आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और संविदाकर द्वारा प्रतिवेदन जमा करना होगा । जैसा कि नियोक्ता द्वारा निर्देशित होगा ।
26. अपरिहार्य घटना	26.1	<u>अपरिहार्य घटना के लिए शर्तें</u> किसी भी पक्ष अपरिहार्य घटना के कारण कार्य करने में अक्षम रहने पर संविदा के अंतर्गत उनके द्वारा निष्पादित किसी भी विनियमन के निष्पादिन पक्ष से संबंधि विनियमन ऐसी अपरिहार्य घटना से प्रभावित अन्य पक्ष की अधिसूचना उस अवधि के लिए रोक दिया जाता है जिससे अपरिहार्य घटना खत्म हो जाए । किसी भी पक्ष द्वारा लागत या नुकसान में बनाए रख्ना दोनों ही पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा । “अपरिहार्य घटना” शब्द का यहां नियोजित अर्थ दैवी घटना, भूकम्प, युद्ध (घोषित या अघोषित) आन्दोलन, लड़ाई, आग, बाढ़, बागियों, विस्फोट, तूफान, अभिध्वंस, सिविल उपद्रव एवं

		अधिनियम और दो पखों का यथोचित सरकारी विनियमन से होगा। जैसे नियोक्ता एवं संविदाकार। ऐसी घटनाओं के घटित होने पर एवं इसकी समाप्ति पर, पक्ष अभिकथित करती है कि यह अयोग्य होता है जैसे वहां कहां गया है कि दूसरे पक्ष को शीघ्र ही लिखित रूप में सूचित करे लेकिन अभिकथन आरंभ होने के 72 घंटे बाद नहीं और समाप्त होने पर सम्पूर्ण विवरण देना और इस दावा के पक्ष में सहायता करना है। संबंधिति विनियमन के निष्पादन के लिए समय अपरिहार्य घटना द्वारा समाप्त होगा। तब इसके द्वारा विस्तार होगा जिससे ऐसे कार्यक्रम समाप्त हो सके। यदि सुपुर्दगी मदों को लाती है और/या संविदाकार द्वारा निष्पादित कार्य अपरिहार्य घटना से निरस्त होता है। शर्तें दो महीने के लिए लागू होगी। नियोक्ता के पास संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा या संविदा के प्रावधानों पर पुन: वार्ता करेगा।
	26.2	युद्ध का प्रारंभ होना
	26.2.1	यदि संविदा जारी रहने के दौरान युद्ध छिड़ जाएगा तो चाहे घोषित हो या न हो विश्व के उस भाग में जिससे जहां वित्तीय या कार्य निष्पादन में भौतिक रूप से प्रभावित किया हो तो संविदाकार इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत जब तक/तब तक खारिज करता है तो कार्यनिष्पादन के लिए अपना उत्तम प्रयास का उपयोग कर पूरा करता है। परंतु सदा ही यह कि नियोक्ता नामित होगा। ऐसे युद्ध छिड़ने के बाद किसी भी समय खत्म होगा या संविदाकार के लिखित रूप में सूचना दने से संविदा की बात करना और इस तरह की सूचना द्वारा संविदा पर पुन: वार्ता की जाएगी। इस धारा के अंतर्गत अधिकार की सुरक्षा करेगा। इस धारा के संचालन से विवाद एवं यहां का माध्यस्थम को अनियोजित किया जाता है लेकिन दोनों पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर इस संदर्भ में वहां कोई पूर्ववर्ती भंग होता है।
	26.2.2	यदि उल्लिखित धारा के प्रावधानों के अंतर्गत संविदा खारिज किया जाएगा तो संविदाकार को औचित्यपूर्ण इमानदारी से कार्यस्थल से अपने उपकरण हटा लेने चाहिए और अपने उप संविदाकारों को भी ऐसा करने के लिए कहेगा।
27. मूल्यह्रास अनुसूची	27.1	समय संविदा का मर्म है। संविदाकार का कार्य निधारित

		अवधि में पूरा न करने की स्थिति में तब उल्लिखित धारा 26 में यथा वर्णित अपरिहार्य घटना के कारण या नियोक्ता की गलती से ऐसी घटना होती है, तब संविदा की कुल कीमत का 1/2% घटाकर प्रति सप्ताह विलंब से पूरा हुआ । कुल संविदा की कीमत या विषय के भाग कुल संविदा का अधिकतम 5% विलंब के लिए कीमत में कमी के द्वारा एवं जुर्माना के तौर पर नहीं । उल्लिखित राशि संविदाकार के बाकी बची राशि में से लिया जाएगा । संविदाकार का संविदा निष्पादन सुरक्षा मांग पर देय होगा । मूल्यह्रास अनुसूची की उपयोगिता के संदर्भ में प्रभारी अभियंता का फैसला अंतिम होगा और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा ।
	27.2	इस धारा के अंतर्गत देय सभी राशि उल्लिखित सहमत दर पर समापन अवधि में विलंब के कारण कीमत में कमी हुई है ।
27.3 समय-पूर्व समापन हेतु बोनस (*)	27.3	समय-पूर्व समापन हेतु बोनस यदि संविदाकार कार्य का समापन एससीसी में अनुबंधित समय अनुसूची से पहले सभी कार्यों को संपन्न करता है तो नियोक्ता संविदाकर को सुसंगत राशि का भुगतान करेगा । यदि एससीसी में खास तौर पर समय-पूर्व समापन के लिए बोनस शामिल है । समय-पूर्व समापन के लिए बोनस यदि एससीसी में प्रदत्त है तो कुल संविदा की कीमत का अधिकतम 2 ½% की सीमा में भुगतान करना होगा । (*) आंशिक तौर पर समय-पूर्व समापन नियोक्ता को सदैव शुद्ध लाभ प्रदान नहीं कर सकता है उदाहरण स्वरूप जहां कार्य समापन का उपयोग आवश्यक हो (क) संविदा के सभी अंशों को पूरा करना (जैसे कार्मिकों का प्रशिक्षण) या (ख) सभी प्रभागों का समापन (जैसे पाइपलाइन बिछाना, जहां समय-पूर्व पाइपलाइन बिछाने का समापन उपयोगी न हो, यदि कंप्रैसर अभी तक स्थापना के अधीन है) (ग) कुछ सामयिक प्रभाव लेना होगा (जैसे वर्षा ऋतु, जलाशय परिबंधन के लिए); या (घ) अन्य परिस्थतियां बजट की राशि का अधिक शीघ्रता से गिरावट भी आवश्यक हो सकती है । सभी ऐसे तथ्यों को संविदा में बोनस की धारा सम्मिलित करने से पूर्व विचार करना होगा ।
28. नियोक्ता को	28.1	जब कभी भी संविदाकार के विरूद्ध धनराशि भुगतान करने के

संविदा निष्पादन सुरक्षा जब्त करने का अधिकार		लिए उभरता है या संविदा के अंतर्गत तब नियोक्ता ऐसी राशि को उपयुक्त अंश या संविदाकार के सम्पूर्ण संविदा निष्पादन सुरक्षा द्वारा वसूल करने का अधिकार रखता है । सुरक्षा के अपर्याप्त होने या यदि संविदाकर से सुरक्षा न लिए जाने पर तब समायोजन या कुल राशि वसूली योग्य होगी । जैसा मामला हो सकता है वैसी ही तब बाकी राशि से कम किया जाएगा या जिससे उसके बाद किसी भी समय संविदाकार के कारण हो सकता है । संविदाकार नियोक्ता को बचा हुआ कोई भी समायोजन मांगने पर भुगतान करना होगा ।
29. संविदा के प्रावधानों का अनुपालन करने में संविदाकार की असफलता	29.1	यदि संविदाकार कार्य निष्पादित करने को मनाही करता है या असफल रहता है या उसका कोई विभक्त अंश ऐसे परिश्रम से संविदा में उल्लिखित समय के अन्दर इसके समापन को सुनिश्चित करेगा या उसका विस्तार या संविदा के अंतर्गत किसी प्रकार के उसके विनियमन को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या संविदा के किसी भी प्रावधानों को किसी तरीके से वचन भंग करता है तो नियोक्ता का संविदाकार को लिखित सूचना देने का इसका विकल्प खुला रहेगा । (क) संविदा निर्धारण : जिस घटना से संविदा रद्द किया जाएगा और बलपूर्वक एवं प्रभाव और उस ओर से नियोक्ता द्वारा नियत तारीख से विराम दिया जाएगा । जहां संविदाकार किसी भी संविदाकारों के कार्य को तत्काल रोक देगा । तब इस कार्य के अलावा नियोक्ता प्रगति कर सकता है । लिखित रूप में किसी सम्पत्ति या कार्य को सुरक्षित या क्षति से स्थापित करना आवश्यक है और नियोक्ता के लिए इसका अंश संविदाकर द्वारा अधूरा बचा कार्य को ले सकता है और उसी को नये संविदाकार या अन्य माध्यम के द्वारा जोखिम पर एवं संविदाकार की लागत पर पूरा करेगा और यदि उसकी कोई सुनिश्चित हो और किसी अतिरिक्त लागत के लिए नियोक्ता द्वारा कार्य पूरा किया गया । मात्रा एवं दर/मूल्य की अनुसूची में वर्णित दर उल्लिखित लागत नियोक्ता द्वारा पूरा करना होगा । (ख) संविदा निर्धारित किए बिना संविदाकार के कार्य का कार्यभार लेना या उसका कोई अंश और नए संविदाकार द्वारा उसी कार्य को पूरा करना या संविदाकार के जोखिम एवं लागत पर अन्य साधन । संविदाकार और उसके अन्य सुनिश्चितता अन्य अतिरिक्त लागत के लिए नियोक्ता के प्रति दायी होंगे और मात्रा एवं दर की अनुसूची में वर्णित दर पर उल्लिखित लागत ऐसे कार्यों से कार्यभार लिया गया है और नियोक्ता

		द्वारा पूरा करना होगा ।
	29.2	धारा 29.1 (क) या (ख) में उल्लिखित इस तरह की घटनाएं (क) संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया हुआ सम्पूर्ण या आंशिक संविदा निष्पादन सुरक्षा का दायित्व नियोक्ता के अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना खो देता है । उल्लिखित उप-धारा में संदर्भित अतिरिक्त लागत को संविदाकार से प्राप्त करना नियोक्ता के पास कब्जा एवं कार्य पूरा कर उपयोग का अधिकार भी होगा या उसका कोई अंश इस तरह का सामग्री उपकरण एवं स्थल पर उपलब्ध संयंत्रों से संविदाकार से संबंधित होना आवश्यक हो सकता है और संविदाकर ऐसे सामग्री, उपकरण एवं संयंत्र की क्षति या उपयोग के लिए किसी मुआवजे के लिए हकदार नहीं होगा । (ख) राशि जो संविदाकार के द्वारा पहले ही निष्पादित कार्य का हिसाब हो सकता है , संविदा के खत्म होने की तारीख से 6 कैलेंडर मास के बाद उनको भुगतान होगा या कार्य का कार्यभार लेने से या नियोक्ता द्वारा उसका अंश जैसा मामला हो सकता है जिस अवधि के दौरान दोषपूर्ण सामग्री के लिए उसका उत्तरदायित्व या ऐसे कार्य के संदर्भ में संविदा के अंतर्गत कारीगरी होगी और बाकी अनन्य रूप से संविदाकार का, यह राशि संविदा अधिकृत या आवश्यक संरक्षण या नियोक्ता द्वारा रुका हुआ शर्त के अंतर्गत नियोक्ता को संविदा से बचे किसी राशि में कमी का विषय होगा ।
	29.3	नियोक्ता के निर्णय में प्रदत्त धारा 29.1 (क) या (ख) के मुताबिक संविदा सुनिश्चित करने से पूर्व बकाया या संविदाकार द्वारा वचनबद्ध बकाया साध्य है ओर संविदाकार द्वारा साध्य हो सकता है । यदि उनको एक अवसर दिया जाए तब नियोक्ता लिखित रूप में सूचना जारी कर संविदाकार को सूचना में उल्लिखित उस समय के अन्दर सदोष का ध्यान करेगा
	29.4	नियोक्ता को भी धारा 29.1 (क) या (ख) के अनुरुप से प्राप्ति या कार्रवाई करने का अधिकार है । घटना जो संविदाकार को अपने समायोजकों के साथ दिवालिया, शोधाक्षम बनाता है । संविदा को उसके समायकों के पक्ष में या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या कंपनी या स्वैच्छिक परिसमापन में गया संगठन को सुपुर्दगी उल्लिखित घटनाओं में प्रदत्त होगा । संविदाकार को कोई पूर्व सूचना देना नियोक्ता के लिए यह आवश्यक नहीं

		होगा।
	29.5	उल्लिखित उप-धारा 29.1 (क) में प्रदत्त संविदा खत्म होना प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या नियोक्त के अपने अधिकार को प्रभावित करेगा । जो इस तरह की समाप्ति की तारीख तक प्रोदभूत हो सकता है।
30. यदि धारा 29 के अंतर्गत कार्रवाई न करने पर संविदाकार को मुआवजा भुगतान करने का दायी होगा।	30.1	किसी भी दशा में जिसमें इनमें से कोई शक्ति धारा 29.0 से किसी नियोक्ता को प्रदत्त हो इसके बाद प्रयोज्य होगा और वैसा ही प्रयोग नहीं किया था । उसके बाद अप्रयोज्य इनमें से किसी स्थिति में इसके बाद अभिव्यजन निर्मित नहीं होगा और ऐसी शक्ति के होते हुए भी इनमें से किसी भी दशा में संविदाकार द्वारा अतिरिक्त चूक की स्थिति में जिसके लिए किसी भी धारा या धाराओं के द्वारा इसके बाद वह अपने सम्पूर्ण निष्पादन सुरक्षा की कोटि में मुआवजा देने के दायित्व की घोषणा करता है और भूत एवं भविष्य के मुआवजे के लिए संविदाकार का दायित्व अप्रभावित रहेगा । नियोक्ता की स्थिति में उल्लिखित उप-धारा (क), (ख), (ग) के अंतर्गत उनको पूर्ववर्ती धारा के अंतर्गत वह उसी बल में हो सकता है । यदि वह सभी या किसी भी औजारों एवं संयंत्रों, सामग्रियों एवं भंडारों में अधिपत्य लेने का इतना इच्छुक है या संविदाकार से संबंधित उसके स्थान या उसके द्वारा संरक्षित एवं उपयोग करने को आशयित कार्य का निष्पादन या उसके किसी भी अंश का भुगतान या संविदा दर पर समान लेखा के लिए अनुमति या इन दशाओं में प्रभारी अभियंता द्वारा वर्तमान बाजार पर संतुष्ट होकर उपयोज्य नहीं होगा । जिसका प्रमाणपत्र उसके बाद आखिरी रहा होगा वरना प्रभारी अभियंता लिखित रूप में संविदाकार को सूचित कर सकता है या उसके कार्य के लिपिकों, फोरमैन या भंडारों के परिसर से (ऐसे सूचना में समय के अन्दर वर्गीकृत) एवं संविदाकर की स्थिति में ऐसे किसी अधिग्रहण से अनुपालन करने में असफल रहा । प्रभारी अभियंता उनको संविदाकर के व्यय पर परिवर्तित कर सकता है या नीलामी द्वारा उनकों बेचना या संविदाकर की तरफ से निजी बिक्री एवं सभी संदर्भों में अतिरिक्त सूचना के बिना अपने जोखिम पर बिक्री की तिथि, समय या स्थान एवं ऐसे किसी बदलाव में व्यय से प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र एवं आगम की रकम और ऐसे किसी बिक्री का खर्च अंतिम होगा और संविदाकार के विरूद्ध निश्चायक होगा।
31. संविधान में परिवर्तन	31.1	संविदाकार साझेदार फार्म है तो फार्म के संविधान में किसी बदलाव से पूर्व नियोक्ता को लिखित रूप में पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगी। जहां संविदाकार वैयक्तिक या हिन्दु अविभाजित परिवार के व्यवसाय से संबंधित है ऐसा अनुमोदन उल्लिखित

		होगा । उसी प्रकार अन्य पक्षों के साथ किसी करार में ऐसे संविदाकर से पूर्व हासिल करना होगा जहां पुनर्गठित फर्म के अंतर्गत यहां संविदाकार द्वारा चहां लिया गया कार्य का अधिकार वहन करना होगा । किसी भी स्थिति में यदि उल्लिखित पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा । संविदा की धारा 37 के उल्लंघन में इसके बाद आबंटित समझा जाएगा और वैसे की कार्रवाई की जा सकती है और उल्लिखित धारा में प्रदत्त समान परिणाम को सुनिश्चित करेगा ।
32. संविदा समापन	32 (क)	मृत्यु के कारण संविदा का समापन यदि संविदाकार वैयक्तिक या सांपतिक से संबंधित है और वैयक्तिक या स्वत्वधारी की मृत्यु हो जाती है । यदि संविदाकार का साझेदारी से संबंध है और जब तक एक साझेदार की मृत्यु नहीं हो जाती है तो नियोक्ता संतुष्ट होता है कि वैयक्तिक कानूनी प्रतिनिधित्व या सांपत्तिक संबंध या बचा हुआ साझेदार चलाने योग्य है और संविदा को पूरा करेगा । वह (नियोक्ता) मृतक संविदाकार की संपदा के किसी मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी दायित्व के बिना और/या संविदाकार के फर्म का बचा हुआ साझेदार संविदा के रद्दीकरण के कारण अधूरे अंश के लिए संविदा खत्म करने का हकदार है । ऐसे आकलन में नियोक्ता का निर्णय आखिरी होगा और पक्षकारों को बांधता है ऐसे रद्दीकरण की दशा में नियोक्ता मृतक संविदाकार की संपदा को धारण नहीं करेगा और/या संविदाकार फर्म का जीवित साझेदार संविदा के गैर-मुआवजा के लिए किसी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा ।
	32 (ख)	परिसमापन/दिवालिया आदि की दशा में संविदा का समापन यदि संविदाकार को विघटित या दिवालिया होना या शोधन अक्षमता या मामला या अपने व्यवसाय के किसी सम्पत्ति में किसी पाने वाले की नियुक्ति देना उसके बाद अपने समायोजकों को मिलाना या सहयोग की घोषणा करते हुए क्षतिपूर्ति होगा न कि सदस्यों के निगम बनाने के उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से किया जाने वाला समापन या पुनर्निमाण या उनमें से कोई भी इसके समायोजकों के लाभ के लिए पाने वाले के अधीन इसके व्यवसाय को करने के लिए नियोक्ता स्वतंत्र होगा । संविदा के तत्काल समापन की घटना को जानने के बाद संविदाकार को लिखित रूप में सूचना द्वारा किसी उल्लिखित विषय में या पाने वाले को देना या समापक या अन्य व्यक्ति संविदा करने का विकल्प संविदा के विश्वसनीय निष्पादन एवं

		कारण के लिए नियोक्ता द्वारा सहमत राशि को प्रदान करने की वादा उसका मामला है ।
	32 (ग)	गैर-निष्पादन और तत्पश्चात संविदाकार को अवकाश पर रखने हेतु संविदा का समापन संविदा के समापन की दशा में इसमें उच्च शक्ति की परिस्थितियां एवं संविदा अवसान के बाद समापन के अंतर्गत (धारा 29.0 के अंतर्गत) अतिरिक्त बताना । संविदाकार [जैसे किसी भी निविदा के विरूद्ध गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा पत्र को कोई न तो जांच जारी होगा । न ही किसी चालू निविदाओं के विरूद्ध गेल द्वारा उनके किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । जहां संविदा गेल एवं उस विशिष्ट संविदाकार (बोली लगाने वाला) के मध्य फैसला नहीं होता है ।] ऐसे संविदाकार को गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा समापन की तारीख से तीन वर्षों के लिए अवकाशाधीन रखेगा ।
33. नियोक्ता के सदस्यों का अलग-अलग दायित्व नहीं	33.1	संविदा के अंतर्गत नियोक्ता/सलाहकार का निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी का किसी भी तरह व्यक्तिगत बन्धन या अधिनियम या विनियमन के लिए दायित्व नहीं होगा या इस पर्यवेक्षण में किसी व्यतिक्रम या चूक के लिए उत्तरदायी होगा या जिसमें किसी अधिनियम, मामलों एवं वस्तुओं का निष्पादन इनमें शामिल है ।
34. व्यक्ति प्रतिनिधित्व से नियोक्ता बाध्य नहीं	34.1	संविदाकार अनुसूचित दर में किसी वृद्धि या किसी अन्य अधिकार या दावा का हकदार नहीं होगा । किसी प्रतिनिधित्व के कारण, कथन की व्याख्या या अभिकथित प्रतिनिधित्व, वादा या दिया हुआ गारंटी से कुछ भी अभिकथित किसी व्यक्ति द्वारा उनको दिया गया है ।
35. कार्यस्थल पर संविदाकार का कार्यालय	35.1	संविदाकार अपने एजेंट या कर्मचारी के आवास एवं कार्यालय बनाए रखेगा और ऐसा कार्यालय निर्देश, सूचना या अन्य पत्राचार हेतु कार्यकाल में खुला रखेगा । संविदाकार हर समय कार्य स्थल निर्देशन पुस्तिका बनाए रखेगा और समय-समय पर प्रभारी अभियंता को इनके अनुरूप सूचित करेगा और सम्पूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखकर कार्य समाप्ति के बाद सुपुर्द करेगा ।
36. संविदाकार के अधीनस्थ कर्मचारी एवं उनकी आचरण	36.1	संविदाकार को कार्य प्रदान करने पर या उसके पश्चात कार्यस्थल में समान प्रकृति के कार्य को करने में पर्याप्त अनुभव प्राप्त शिक्षित अभियंता को तैनात करेगा । यदि उसका उपकरण, सामग्रियां हैं तो निर्देश आदि दिए जाएंगे । प्रभारी अभियंता को उपयुक्त एवं शिक्षित कर्मचारी, कार्यनिष्पादन

		एवं संचालन के लिए प्रयत्न करना होगा। प्रतियोगी उप-एजेंट, फोरमैन और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जिसमें खासतौर से संविदा में समाहित कार्यों का प्रकारों में पूर्व अनुभव से शिक्षित होना शामिल है। इस तरीके से उत्तम गुणवत्ता, द्रुत कार्रवाई से कार्य को सुनिश्चित करेगा। जब कभी प्रभारी अभियंता की दृष्टि में अतिरिक्त विशेष रूप से कुशल पर्यवेक्षक कर्मचारी आवश्यक समझा जाता है। वे उसके लेखा से अतिरिक्त शुल्क लिए बिना संविदाकार द्वारा नियुक्त होगा । संविदाकार प्रभारी अभियंता को संतुष्ट कर सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई उप-संविदाकार सौंपे गए अपने कार्य को प्रतियोगी एवं कुशल पर्यवेक्षण प्रदान करेगा।
	36.2	यदि जहां-कहीं किसी संविदाकार या उप-संविदाकार के एजेंटों, उप-एजेंटों, सहायकों, फोरमैन या अन्य कर्मचारी प्रभारी अभियंता की दृष्टि में किसी कदाचार या असमर्थ या अकुशल या नियोक्ता या प्रभारी अभियंता की दृष्टि में अपने कार्य के निष्पादन लापरवाह पाया जाएगा। तब यह प्रशासन के लिए अवांछनीय है या ऐसे व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्ति या व्यक्ति का कार्य में नियुक्त होना। संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा ऐसे निर्देशित होता है कि ऐसे व्यक्ति को उनके रोजगार से एकदम निकाल दे या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य से निकाला जाता है तो प्रभारी अभियंता के लिखित अनुमति के बिना संबंधित कार्य में दुबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। काम से निकाले गए व्यक्ति की जगह शिक्षित एवं सक्षम प्रतिस्थापन संविदाकार के खर्चे पर ततकल प्रतिस्थापित किया जाएगा। संविदाकार को कार्य से निकाले गए किसी व्यक्ति संप्रत्यावर्तित करना चाहिए । वह ऐसा करेगा और इससे संबंधित तमाम लागत को वहन करेगा।
	36.3	संविदाकार सभी कर्मचारी, फोरमैन, वर्कमैन एवं अन्य के उचित व्यवहार के लिए जिम्मेवार होगा और विशिष्टता एवं व्यापकता से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनके ऊपर समुचित नियंत्रण रूप से नियंत्रण रखेगा। संविदाकार अतिचार या किसी भी रूप में अहितकर कार्य या समुदाय के हित में पूर्वन्यायिक समुदाय या सम्पत्ति या नजदीकी के भूमि का उपयोगकर्ता ऐसे कर्मचारी के अतिचार की दशा में कर्मचारियों से बचकर एवं बचाव से अनुबंधित होगा । उसके लिए संविदाकार जिम्मेवार होगा और नियोक्ता को निरंतर सभी दावे या क्षति के लिए कार्रवाई या दोष या कोई अन्य किसी से मुक्त करता है। इस धारा के अंतर्गत उठने वाले सभी मामलों में प्रभारी अभियंता का निर्णय आखिरी होगा। संविदाकार संविदाकार के कर्मचारी आदि के अभिनियोजन खाते के

		नियोक्ता के दायित्व के लिए उत्तरदायित्व होगा या आकस्मिक या संविदा के निष्पादन से बाहर करता है। संविदाकार का अपने कर्मचारी, फोरमैन, वर्कमैन एवं उनके रोजगार में अन्य अपकरण या उपेक्षा सहित जो कुछ भी उनके कार्य के पहलू में अंतर या उनके रोजगार के दौरान सभी अधिनियम या अंश के लोप का दायित्व होगा जो संविदा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संबंधित होगा।
	36.4	यदि और जहां नियोक्ता को आवश्यक हो और संविदाकार का कार्मिक नियोक्ता के परिसर में नियोक्ता को स्वीकार्य बैज द्वारा समुचित चिन्हित कर प्रवेश करेगा इन्हें नियोक्ता के परिसर में हर वक्त पहनना आवश्यक है । संविदाकार को नियोक्ता से अपने कर्मचारी/कर्मचारियों के लिए कार्य संचालन क्षेत्र के अन्दर प्रतिदिन दिन प्रवेश हेतु पास हासिल करना आवश्यक है । यह सुरक्षा की आवश्यकता है । इस संदर्भ में संविदाकार को काई छूट नहीं दी जाएगी।
37. कार्यों की उप-संविदा	37.1	न तो संविदा का कोई भाग न ही कोई अंश या ब्याज उनमें किन्हीं अर्थों में या डिग्री, स्थानांतरण के बाद सुपुर्द करना या संविदाकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी व्यक्ति, फर्म या कार्पोरेशन को अभियंता या नियोक्ता के अलावा लिखित सम्मति के बिना न देना। जैसा उत्तरदायी उपधारा में प्रदत्त है। i) <u>अस्थाई कार्यों आदि के लिए उप-संविदाएं</u> नियोक्ता स्थल पर कार्य के किसी भाग के निष्पादन के लिए उप-संविदा को लिखित रूप में सम्मति दे सकता है । शामिल करने में नियोक्ता द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत उप-संविदा में शामिल करने से पूर्व प्रभारी अभियंता को सुपुर्द है और उसके द्वारा पारित है। ii) <u>उप-संविदाकारों की सूची की आपूर्ति</u> प्रत्येक महीने संविदाकार के प्रारंभ पर संविदाकार से संबंधित उप-संविदाकार या अन्य व्यक्तियों या फर्म की सूची और पिछले महीने के दौरान स्थल पर उप-संविदा के सामान्य प्रकृति के कामकाज या उनके द्वारा किए कार्यों का विवरण देना होगा। (iii) <u>उप संविदाकारों के कारण संविदाकारों का दायित्व सीमित नहीं होता</u>

		उल्लिखित ऐसे अनुमोदन के साथ किसी उप संविदा के होने पर भी और प्रभारी अभियंता के होते हुए भी किसी उप संविदा की प्रतियां प्राप्त करेगा । संविदाकार सभी संदर्भों में संविदा की गुणवत्ता, समुचित एवं शीष निष्पादन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बना रहेगा । यदि ऐसा उप किराएदारी या उप संविदाकारी स्थान पर नहीं लिया था और यदि ऐसा संविदाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया होगा । संविदाकार किसी अधिनियम या संविदा के अंतर्गत निष्पादित कार्य के संदर्भ में उप संविदाकारों के अंश का लोप या किसी अधिनियम के लिए सभी उत्तरदायित्व वहन करना होगा । (iv) नियोक्ता उप-संविदा समाप्त कर सकता है यदि कोई उप-संविदाकार स्थल पर कार्य पर कार्यकर रहा है और प्रभारी अभियंता के मत में किसी कार्य का निष्पादन संविदा दस्तावेज के अनुरूप नहीं है तो नियोक्ता संविदाकार को लिखित रूप में सूचना दे सकता है और उससे ऐसे उप संविदा को समाप्त करने का आग्रह कर सकता है । ऐसी सूचना के प्राप्ति से ऐसे उप संविदा को समाप्त कर देगा और उप संविदाकार(रों) को वर्खास्त कर देगा और बाद में तत्काल कार्य छोड़ना होगा जिसके असफल होने पर नियोक्ता के पास अधिकार रहेगा कि ऐसे उप-संविदाकार को स्थल से हटा दे । (v) <u>इस धारा के अंतर्गत की गई कार्यवाई पर कोई उपाय नहीं</u> इस धारा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर संविदा के अंतर्गत संविदाकार को अपने दायित्व से मुक्त करेगा या कोई अधिकार उत्पन्न होगा या मुआवजा या समय का विस्तार या वरना असफल होना जिससे नियोक्ता के बाद अनुबंध है नियोक्ता के पास ऐसे उप-संविदाकार को हटाने का अधिकार है ।
38. प्रवेशाधिकार	38.1	यदि संविदाकार संविदा दस्तावेज में पूर्ववर्णित तरीके से कार्य नहीं करेगा या यदि किसी भी क्षण प्रभारी अभियंता के मतानुसार । (i) संविदा दस्तावेज के अनुरूप कार्य को क्रियान्वित करने में असफल रहता है या (ii) समय अनुसूची के अनुसार कार्य को संपन्न करने में असफल रहता है या

		(iii) प्रभारी-अभियंता से अप्राधिकार के बिना चौदह दिनों की अवधि के लिए निलंबित कार्य रखना या (iv) प्रभारी अभियंता की संतुष्टि से कार्य क्रियान्वित निष्पादित करने में असफल रहना या (v) निर्माण संयत्र, अस्थाई कार्य, मजदूर, कच्चा माल या वस्तुओं की पर्याप्त एवं उपयुक्त आपूर्ति में असफल रहना या (vi) अपनी तरफ से निष्पादित या संरक्षित किसी संविदा के प्रावधानों को किसी अन्य अतिक्रमण के सुपुर्द या ग्रस्त या अनुज्ञापत्र प्राप्त या चौदह दिनों के लिए ऊपर वर्णित संविदा के अतिक्रमण में दृढ़ रहना। प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार को लिखित रूप में सूचना देने के बाद इस अतिक्रमण का उपचार करना आवश्यक है या (vii) यदि संविदाकार कार्य त्याग दे या (viii) यदि संविदाकार का संविदा जारी रहने के दौरान दिवालिया होना, अन्य प्रबंधन करना या अपने समायोजकों के साथ समायोजन करता है या किसी कुर्की के निष्पादन का अनुज्ञापत्र या जहां आवश्यक हो परिनिर्धारण करना या समामेलन या निर्माण के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक परिनिर्धारण शायद स्वैच्छिक नहीं होता है। तब ऐसी किसी दशा में नियोक्ता के पास कार्य ग्रहण करना एवं उसके बाद कब्जा लेने एवं उन्हीं सामग्रियों, अस्थाई कार्य, निर्माण संयंत्र और तदन्तर भंडारण का अधिकार और उसी के उपयोग से संविदाकार की अनुज्ञाप्ति को प्रतिसंहृत करना और अपने एजेंट द्वारा कार्य पूरा करना। अन्य संविदाकार या कारीगरों को उसी के अन्य शर्तों से जोड़ना और ऐसा अन्य व्यक्ति, फर्म या नियोक्ता के रूप में स्वविवेकानुसार समुचित नियोजन पर विचार कर सकते हैं और उल्लिखित कारणों के लिए उपयोग या किन्हीं सामग्रियों, आकस्मिक कार्य, निर्माण संयंत्र के उपयों को अधिकृत करना एवं उल्लिखित भंडारण

		और भुगतान किए बिना या संविदाकार को भत्ते के अलावा इसको प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में समुचित प्रमाणित कर सकता है और उल्लिखित आकस्मिक कार्यों, निर्माण संयंत्र एवं भंडारण के उपयोग के लिए संविदाकार को किसी या भत्ता के बिना या किसी नुकसान या उनके क्षति के लिए दायित्व होगा और यदि नियोक्ता के अपने कार्य का कब्जा लेने के कारण से या अन्य संविदाकार द्वारा कार्य निष्पादित होता है । (किसी ऐसे अतिरिक्त कार्य का उचित लेखा लेना या जो कार्य हो सकता है या सूची से हटाना) तब इस तरह की अतिरिक्त रकम को प्रभारी अभियंता द्वारा पुष्टि कर किसी भी राशि से घटाया जाएगा । संविदा के अंतर्गत संविदाकार द्वारा किए गए कार्य के लिए जो सम्यक हो सकता है और उसके लिए भुगतान नहीं होगा । कोई तत्काल अच्छा होता है और संविदाकार द्वारा नियोक्ता को भुगतान किया जाता है और नियोक्ता के पास इस तरीके से बेचने का अधिकार है और ऐसी कीमत जिसके लिए उपयुक्त होगा । किसी प्रकार का निर्माण संयंत्र, सामग्री आदि पर निर्मित होता है या संबंधित या क्षतिपूर्ति करना कमी को दूर करना या अन्य अंश को बिक्री को आगे बढ़ाया जा सकता है । □
39. यांत्रिक, विद्युति, इंटरकॉम प्रणाली, वातनुकूलन संविदाकार एवं अन्य ऐजेंसियां	39.1	किसी भी दूसरी परिस्थिति में विरोध के बिना यह संविदाकार का दायित्व होगा कि सिविल निर्माण के कार्य को निष्पादित करें । आपसी सहयोग से काम करने एवं यांत्रिक, विद्युत, वातानुकूलन, अन्त: संचार संविदाकारों एवं अन्य एजेंसियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ सहयोग के साथ काम करें । जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक खांचा, विविक्तियां, कटौतियों एवं ओपनिंग आदि प्रदान करने और विद्युतिक, अन्त: संचार केबल्स, नालियों, वातानुकूलित प्रवेशिकाओं एवं निर्गम झंझरी एवं अन्य उपकरणों आदि के नियोजन के लिए शिशिष्टत: के हिसाब से ठीक इक्षित सांचे में एकसमान वस्तु बनाना । ऊपर वर्णित फाल्स सीलिंग एवं अन्य अंशों में आवश्यकताओं के लिए संविदाकार कार्य आरंभ करने से पूर्व विद्युतिक, यांत्रिक, अन्त: संचार वातानुकूलित संविदाकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श से तैयार कर एवं संयुक्त योजना रख कर जरूरी खांचा, विविक्तियां, कोटटरिकाएं उल्लिखित कार्यों के लिए आवश्यक तरीकों को अपनाकर आरंभ करना और उनको पूरा कर प्रभारी अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करना । संविदाकार प्रभारी अभियंता को पूर्ण रूप से योजना सुपुर्द करने से पूर्व अन्य एजेंसियों से लिखित करार करना होगा । प्रभारी अभियंता योजना पर अपने अनुमोदन को किसी आवश्यक नवीनीकरण के साथ बताने से पूर्व सभी एजेंसियों से

		अंतिम करार प्राप्त करना होगा जोकि अनुबंधित होगा । ऊपर के लेखा से कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा । संविदाकार को किसी संविधानिक विनियमन, अध्यादेश, के प्रावधानों या किसी स्थानीय उपविधि या विधिवत निर्मित प्राधिकारों या सार्वजनिक इकाइयों के सभी पहलुओं की पुष्टि करना होगा जो कि समय-समय पर कार्य या किसी अस्थाई कार्यों पर लागू हो सकता है । संविदाकार नियोक्ता के सभी प्रकार के जुर्मानाओं एवं दायित्वों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति, इस धब्बे के अनुवर्तन, अध्यादेशों, कानूनों, नियमों एवं विनियमनों आदि को रखना होगा ।
40. कार्यस्थल पर अन्य एजेंसियां	40.1	संविदाकार को ऐसे स्थान एवं शर्तों में कार्यनिष्पादित करना होगा । जहां अन्य एजेंसियां भी अन्य कार्यों के लिए संलग्न हैं जैसे कि स्थल श्रेणीकरण, भराई एवं समतल करना, विद्युतिक एवं यांत्रिकी, अभियांत्रिकी कार्य आदि । ऊपर वर्णित परिस्थितियों में कार्यनिष्पादित होने के कारण किसी दावा को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
41. सूचना	41.1	<u>संविदाकार को</u>□यहां इसके नीचे किसी सूचना को संविदाकार को दिया जा सकता है या कार्यस्थल पर उसके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या संविदाकार द्वारा प्रदत्त पते पर सीधे पंजीकृत मेल से भेजा जा सकता है । ऐसी किसी सूचना जारी करने का साक्ष्य संविदाकार के लिए निश्चायक होगा को विधिवत सूचित किया माना जाएगा ।
	41.2	<u>नियोक्ता को</u> नियोक्ता को दी गई किसी सूचना को संविदाकार की शर्त पर पंजीकृत मेल द्वारा उसी को भेजा जाएगा या उसी को संदर्भित स्थल पर मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड के प्रमुख/कार्यस्थल प्रभारी के पते पर सुपुर्द किया जाएगा ।
42. विभिन्न अभिरुचियों का अधिकार	42.1	i) नियोक्ता को एक से अधिक एजेंसियों के बीच कार्य वितरण का अधिकार है । संविदाकार उनके कार्यों के निष्पादन एवं सामग्रियों के वहन करने एवं भंडारण के अतिरिक्त कार्य के लिए अन्य एजेंसियों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने में सहयोग करेगा । ii) जब कभी भी नियोक्ता के किसी विभाग द्वारा कार्य पूरा हुआ हो या इस संविदा द्वारा कार्य पर समाश्रित नियोक्ता द्वारा नियुक्त अन्य एजेंसियों द्वारा समावेशित किया जाता है । विभिन्न अभिरुचियों में समाहित अपने-अपने अधिकार को

		प्रभारी अभियंता द्वारा सामान्य क्षति में कार्य के विभिन्न हिस्सों के समापन को सुरक्षित कर सुनिश्चित करेगा।
43. पेंटेंस एवं रायल्टीज़	43.1	संविदाकार ने यदि किसी पेंटेंट के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किया हो तो इसमें उपकरण, मशीनरी, सामग्रियों या उपयोग किए गए तत्वों के सम्मिश्रण या व्यावसायिक तरीका एवं प्रक्रिया या इस संविदा के निष्पादन में नियुक्ति व्याख्यायित है । सभी राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क भुगतान करने पर सहमत हैं जो उसके बाबत देय हो सकता है । यदि कोई उपकरण, मशीनरी, सामग्रियों, तत्वों का सम्मिश्रण का उपयोग या आपूर्ति या तरीकों एवं प्रक्रिया का उपयोग या इस संविदा के निष्पादन में प्रयोग होती है तो पेंटेंट द्वारा समाहित होता है जिसके अंतर्गत संविदाकार को लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है तब संविदाकार उपकरण, मशीनरी, सामग्रियों, सम्मिश्रण तरीका की आपूर्ति या उपयोग करने से पहले या प्रक्रियाएं ऐसा लाइसेंस प्राप्त करना होगा या इस संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक लाइसेंस शुल्क एवं रायल्टी का भुगतान करना होगा । संविदाकार का किसी ऐसे राजस्व के भुगतान में असफल होने की दशा में या किसी ऐसे लाइसेंस को प्राप्त करने, ऐसे पेंटेंट का अतिलंघन के लिए कोई वाद जो संविदाकार के विरूद्ध लाया जाता है या नियोक्ता इसके परिणामस्वरूप ऐसी असफलता को संविदाकार अपने निजी खर्चे पर बचाव करेगा और संविदाकार ऐसे वाद में प्रदत्त किसी क्षति एवं लागत का भुगतान करेगा । संविदाकार नियोक्ता को शीघ्र सूचित करेगा कि यदि संविदाकार किसी संयंत्र के अंतर्गत ज्ञान हासिल करता है जिससे अतिलंघन के लिए युक्ति-युक्ति ढंग से वाद लाया जा सका क्योंकि नियोक्ता द्वारा किसी उपकरण, मशीनरी सामग्री, प्रक्रिया, इसके अंतर्गत आपूर्ति का उपयोग से है । संविदाकार भी सहमत है और नियोक्ता को इसके द्वारा मंजूर किया जाता है । साथ-साथ नियोक्ता के किसी भी छूट को समान रूप से बढ़ाने का अधिकार है । जैसा किसी भी देश में राजस्व मुक्त लाइसेंस या संविदाकार द्वारा किया कोई आविष्कार या कोई कर्मचारी या संविदा के अंतर्गत कार्य निष्पादन के परिणाम अप्रतिसंहरणीय है।
	43.2	राजस्व, टॉयलेज, किराया, चुंगी टर्मिनल के खाते पर सभी शुल्क या बिक्री कर और/या अन्य शुल्क या कार्य या अस्थाई कार्य या उसके अंश के लिए प्राप्त सामग्रियों पर कोई अन्य लेवी (नियोक्ता द्वारा प्रदत्त सामग्रियों को छोड़कर) संविदाकार द्वारा धारित होगा।
	43.3	संविदाकार इस संविदा के प्रयोजनार्थ के सिवाय बालू, पत्थर, चिकनी मिट्टी, रोड़ी, जमीन, चट्टान या अन्य पदार्थों को नहीं

		बेचेगा या के बिना निपटाएगा या निकालेगा या कार्य के प्रयोजन के लिए बने किसी उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों या कोई मकान या उसके कब्जा की सुपुर्दगी के समय स्थल पर होना लेकिन सभी ऐसे पदार्थों, सामग्रियों, भवनों एव उत्पाद नियोक्ता की प्रदत्त सम्पत्ति होगी, जो संविदाकार प्रभारी अभियंता की अनुमति से प्राप्त कर सकता है। उसकी कीमत के भुगतान से कार्य के प्रयोजन के लिए समान उपयोग। इस दर पर प्रभारी अभियंता द्वारा अवधारित करें।
	43.4	नियोक्ता क्षतिपूर्ति करेगा और पेंटेंट अधिकार से उत्पन्न अभिदायी अतिलंघन के लिए संविदाकार के विरूद्ध दावों एवं दावा पर आधारित किसी क्षति के कारण संविदाकार को अहानिकर रखता है जिसमें नियोक्ता द्वारा तैयार संरचना में नियोक्ता के उपयोग की प्रक्रिया शामिल है । कोई पेंटेंट अधिकार से संयंत्र के अतिलंघन के कारण संचालित होकर उपयोग होता है। संविदाकार द्वारा किसी उप-संविदा में प्रवेश के संदर्भ में इसकी संदर्भित धारा के प्रावधानों के अनुवर्ती होता है । संविदाकार उप-संविदाकार से शपथ पत्र प्राप्त करेगा । नियोक्ता को समान पेंटेंट सुरक्षा प्रदान करता है । उस संविदाकार को इस धारा के अंतर्गत एक समान पेंटेंट सुरक्षा आवश्यक है।
44. ग्रहणाधिकार	44.1	यदि किसी समय साक्ष्य या कोई ग्रहणाधिकार या दावा चाहिए जिसके लिए नियोक्ता के पास दायित्व होगा और जो संविदाकार के व्यय-योग्य है। नियोक्ता को किसी भुगतान को हासिल करने का अधिकार होगा तब बचे या उसके बाद बची राशि को नियोक्ता ऐसे ग्रहणाधिकार या वादा के विपरित पूरी तरह उचित क्षतिपूर्ति करेगा और यदि ऐसा ग्रहणाधिकार या दावा वैध है तो नियोक्ता इसका भुगतान करे और इसको मुक्त करे और भुगतान किए किसी भी राशि को काट ले, जो हो सकता है या जो बचा हो सकता है और संविदाकार को देय होगा। यदि समस्त भुगतान करने के बाद कोई ग्रहणाधिकार या दावा को निपटाना रह जाता है तो संविदाकार पुनर्भुगतान करेगा या नियोक्ता को सारी राशि भुगतान करेगा जो इस ग्रहणाधिकार या समस्त लागत एवं अनिवार्य व्यय सहित दावा मुक्त करने को बाद में भुगतान करने पर विवश होगा । नियोक्ता ऐसा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
	44.2	नियोक्ता को कार्य के निर्माण, निरीक्षण एवं कार्याधिकार के प्रयोजनार्थ संविदाकार द्वारा खरीदा गया उन सभी सामग्रियों, उपकरणों सहित ग्रहणाधिकार होगा।
	44.3	अंतिम भुगतान देय नहीं होगा जब तक संविदाकार प्रभारी अभियंता को सभी धारणाधिकारों से उदभूत अधित्यजन या

		जो उसके समझौता से उदभूत हो सकती है या सम्पूर्ण रसीद या प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित रूप में संविदाकार द्वारा प्रमाणन जो उसके बाद धारणाधिकार में भुगतान किया मजदूर, सामग्रियों, सेवाओं के लिए सभी बीजक और यदि प्रभारी-अभियंता द्वारा किसी स्थिति में हलफनामा जो संविदाकार का ज्ञान है या सूचना निकासी एवं प्राप्ति सहित सम्पूर्ण क्षम एवं सामग्री जिससे धारणाधिकार को पूरा किया जा सके।
	44.4	संविदाकार क्षतिपूर्ति करेगा और नियोक्ता को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने के बाद दो वर्षों की अवधि के लिए नियोक्ता बेउज्र धारण करेगा और ऋण के कारण नियोक्ता के विरूद्ध अन्य विल्लगम या संविदाकार से अभिकथित देय का दावा या उसके उप-संविदाकार का कोई व्यक्ति सहित उप-संविदाकार और नियोक्ता की ओर से अपने खर्चे पर सुरक्षित करेगा । नियोक्ता की ओर से लाया गया कोई दावा या मुकदमा या संविदाकार का उसके संबंध में या उसके उप-संविदाकार सहित किसी व्यक्ति का नया दावा या मुकदमे को अपनी कीमत पर रक्षा या प्रतिवाद करेगा । जब तक इसके अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से दो वर्षों के अवसान के बाद तक समाधानप्रद व्यवस्थापन न हो जाए।
45. नियोक्ता या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा विलंब	45.1	संविदाकार के निष्पादन के मामले में किसी अधिनियम या उसके एजेंट की ओर से लोप या विलंब होता है तब संविदाकार को कार्यनिष्पादन के लिए दिए गए समय को बढ़ाना होगा । नियोक्ता की ओर से ऐसे लोप को बढ़ाने से संविदाकार को अपने कार्य के निष्पादन में विलंब का कारण होता है।
	45.2	संविदा दस्तावेज में किसी समायोजन को किन्हीं कारणों से विलंब एवं विस्तारण के लिए संविदा दस्तावेज में प्रदत्त के अलावा मंजूर किया जाना अनुमत नहीं होगा। जहां नियोक्ता संविदाकार को सहमत समय-अनुसूची के निष्पादन को बनाए रखने के अनुग्रह का अन्वेषण करने का अधिकारी सुरक्षित रखता है। ऐसी दशा में संविदाकार अतिरिक्त समय में निर्धारित काम के घंटों जैसे शनिवार एवं रविवार की तारीख/अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविदाकार के कार्मिकों द्वारा कार्य करने के लिए अनुग्रहित होगा।
46. संविदा के समापन पर भुगतान	46.1	यदि संविदा जीसीसी की धारा 29 के अनुसरण में निविदा के मुताबिक समाप्त होगी । संविदाकार को नियोक्ता द्वारा जहां तक हो ऐसी राशि का भुगतान करना होगा या कार्य निष्पादित

		करने के लिए संविदाकार को भुगतान की गई राशि से पहले पूरा नहीं होगा और संविदा के लिए प्रदत्त कीमतों एवं मूल्यों पर समापन की तारीख से पूर्व प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और निम्नलिखित अतिरिक्त होगा : (क) किसी आरंभिक विषय की दृष्टि से देय रकम, जहां तक कार्य या उनमें समाविष्ट सेवा को कार्यान्वित या प्रदर्शित किया जाता है और उपयुक्त अंश प्रभारी अभियंता द्वारा सत्यापित होता है । किसी ऐसे वस्तुओं एवं समाविष्ट सेवा जिनको आंशिक तौर पर कार्यान्वित या प्रदर्शित किया जाता है । (ख) किसी अन्य व्यय जिसको संविदाकार संविदा के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए विस्तारित करना प्रभारी-अभियंता का विधिवत मामला है और भुगतान के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमत, दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित उसके व्यय को उपगत कराना ।
	46.2	संविदाकार को इसके बाद शीर्षक को हस्तांतरण कराना होगा और निम्नलिखित को इस तरीके से प्रदान करेगा एवं नियोक्ता द्वारा निर्देशित होगा । (क) कोई एवं सभी निष्पादित कार्य (ख) आंशिक रूप से निष्पादित ऐसा कोई कार्य जिसमें रेखांकन, सूचनाएं एवं संविदा का अधिकार संविदाकार की तरह खासतौर पर निष्पादित, उत्पादित या संविदाकार के निष्पादन के लिए आवश्यक है ।
47. अधिकारों का आस्थगन	47.1	न तो नियोक्ता या उनके किन्हीं धिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा निरीक्षण न ही किसी राशि के भुगतान के लिए नियोक्ता का कोई आदेश या किसी भुगतान के लिए या सम्पूर्ण रूप से स्वीकृत या नियोक्ता द्वारा कार्य के किसी अंश को न तो समय को किसी तरह बढ़ाएगा न ही नियोक्ता द्वारा लिए गए किसी कब्जों को संविदा के किसी ~प्रावधान से अधिव्यजन जैसा संचालित होगा या इनमें नियोक्ता को कोई भी अधिकार सुरक्षित है या इनमें प्रदत्त किसी अधिकार की क्षति न ही संविदा भंग में अधिव्यजन के किसी अन्य पश्यवर्ती भाग को अधिव्यजित करेगा ।
48. प्रमाणपत्र नियोक्ता के अधिकार एवं संविदाकार के दायित्व को प्रभावित	48.1	नियोक्ता के प्रभारी अभियंता द्वारा कोई अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है न ही नियोक्ता द्वारा कोई राशि भुगतान की जाती है । न ही नियोक्ता द्वारा कार्य निष्पादन के लिए समय बढ़ाने पर सहमत होता है जो संविदाकार के

नहीं करेगा		विपरीत नियोक्ता के अधिकार को प्रभावित कर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। या संविदाकार को संविदा के शेष निष्पादन के लिए उसको विनियोगों से मुक्त करेगा या किए हुए कार्य को परिवर्तित करने का अनुमोदन या आपूर्ति किए उपकरण और परिवर्तनों, संशोधनों, विभिन्नताओं के लिए नियोक्ता को भुगतान के लिए प्रमाणपत्र, दायित्व का निर्माण करेगा या नियोक्ता द्वारा लिखित रूप में आदेश जारी नहीं होगा या संविदाकार को दायित्व मुक्त रखने के लिए जहां क्षति हेतु भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा या सत्यापित है। या न हो या भुगतान के विरूद्ध राशि जिससे वह नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
49. भाषा एवं भाप	49.1	संविदा से संबंधित सभी दस्तावेजों में विशिष्टिकरण, अनुसूचियां, सूचनाएं, पत्राचार, संचालन एवं रखरखाव निदेश सहित रेखांकन या कोई अन्य लेख अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा। माप हेतु मैट्रिक प्रणाली का उपयोग होगा जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।
50. शीर्षक का हस्तांतरण	50.1	संविदाकार द्वारा सुसज्जित आपूर्ति से शीर्षक का स्वामित्व समस्त आपूर्ति के लिए नियोक्ता पर लागू नहीं होगा जब तक कि निष्पादन जांच एवं गारंटी जांच और आखिरी प्रमाणपत्र जारी करने के बाद सफलतापूवर्क समापन के बाद नियोक्ता द्वारा अन्तत: वही स्वीकृत होगा।
	50.2	यद्यपि नियोक्ता के पास ऐसे समस्त कार्यों को निष्पादित करने का ग्रहणाधिकार होगा। नियोक्ता द्वारा संविदाकार किसी अग्रिम या प्रगतिशील भुगतान को यथाशीघ्र करना होगा और संविदाकार इस संविदा के अंतर्गत आशचित उससे भिन्न, उपयोग के लिए, इन कार्यों का विषय नहीं होगा।
51. सूचना जारी करना	51.1	संविदाकार विज्ञापन, प्रचार-प्रसार, बिक्री निर्मोचन में उपयोग या अन्य स्रोत, फोटोग्राफ्स या इस संविदा क अंतर्गत अन्य कार्य के प्रत्युत्पादन को संसूचित नहीं करेगा या स्थल विस्तार का विवरण, मात्रा, गुणवत्ता या कार्य से संबंधित अन्य सूचना लिखित अनुमति क पहले प्राप्त करना होता है।
52. ब्रांड का नाम	52.1	विनिर्देश में विनिर्दिष्ट संदर्भ एवं व्यापार के नाम द्वारा किसी वस्तु के दस्तावेजों को बनाना या प्रसूची संख्या का निर्माण मानकता की स्थापना के लिए किया जाएगा। गुणवत्ता एवं निष्पादन एवं सीमित प्रतियोगिता जैसा नहीं हे। यद्यपि निविदाकार अन्य सामान्य जो इसका उपकरणों के प्रस्ताव कर सकता है। निविदाकार विनिर्दिष्ट मानक संरचना को पूरा कर एवं उत्पादन या अनुपालन की आवश्यकताओं को प्रदान करेगा।
53. संविदा का समापन	53.1	जब तक कि अन्यथा किसी अन्य धारा के अंतर्गत निरस्त न

		हुआ हो तो यह संविदा दायित्व की सीमा समाप्त होने पर पूरा किया हुआ समझा जाएगा । जैसा संविदा के अंतर्गत प्रदान किया गया है ।
54. कलपुर्जे	54.1	संविदा संयंत्र एवं सिफारशी और/या अनिवार्य अतिरिक्त कार्याधिकार के लिए नियोक्ता के समस्त अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करेगा और/या जो निर्माता/आपूर्तिकर्ता का अपेक्षित अनिवार्यता है । वैसा ही कार्याधिकार करने के लिए तीन माह पूर्व स्थल पर सुपुर्दगी करेगा । संविदाकार को शीघ्र खराब होने वाले कलपुर्जों के लिए भी निर्माण रेखांकन को प्रस्तुत करना चाहिए ।
	54.2	संविदाकार नियोक्ता को उपकरणों, संयंत्र एक मशीनरियों के निर्माताओं से पूर्व उपकरण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पुर्जों के उत्पादन एवं उनके द्वारा परिनिर्मित करना । उसको नियोक्ता को कम से कम 12 महीने की अग्रिम सूचना देनी होगी । इसीलिए उसके बाद एक लॉट में उसकी आवश्यकता का अतिरिक्त आदेश दे सकता है यदि वह ऐसा चाहता है ।
खंड-V		कार्य का निष्पादन
55. कार्यनिष्पादन	55.1	सभी कार्यों को संविदा दस्तावेजों के प्रावधानों के साथ कड़ी अनुरूपता से निष्पादित किया जाएगा और ऐसा स्पष्टीकारक रेखाचित्रों, वैशिष्टिकरण एवं निर्देशों का ब्यौरा प्रभारी अभियंता द्वारा समय-समय पर संविदाकार को दिया जा सकता है । चाहे यह संविदा में उल्लिखित हो या न हो । संविदाकार ऐसा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा । उन कार्यों को सर्वत्र अति सारभूत, समुचित एवं कुशलता से तत्वों की गुणवत्ता एवं वैशिष्टिकरण के अनुसार कड़े कर्म कौशल से प्रभारी अभियंता को संतुष्ट कर निष्पादित किया जाता है । संविदा में कार्यनिष्पादन एवं रख-रखाव के लिए पूर्ण होने तक जब तक अन्यथा उल्लिखित कर सभी आवश्यक तत्वों को प्रदान किया जाएगा ।
56. समन्वय एवं कार्य निरीक्षण	56.1	संविदा के अंतर्गत दिन-प्रतिदिन के कार्य का समन्वय एवं निरीक्षण प्रभारी अभियंता की जिम्मेवारी होगी । किसी खास कार्य संबंधी लिखित निर्देश प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सामान्यत: प्रदान किया जाएगा । सभी क्षेत्रों में संविदाकार द्वारा उल्लिखित लिखित निर्देश से प्रविष्टि होगी । इन पर संविदाकार या उसके प्रतिनिधि द्वारा 12 धंटे के अन्दर पहचान कर हस्ताक्षरित होगा ।
57. मानसून एवं जल निकासी में कार्य	57.1	जब तक निविदा में अन्यथा अन्यत्र वर्गीकृत न हो । कार्यनिष्पादन मानसून में भी कार्यरत होगा । संविदाकार

		वर्णित अनुसूची के अनुसार कार्य एवं योजना और निर्माण एवं परिनिर्माण निष्पादित हो सकता है । मानसून में ऐसे कार्य के लिए अतिरिक्त दर पर विचार नहीं किया जाएगा ।
	57.2	मानसून एवं अन्य अवधि में यह उत्तरदायित्व संविदाकार का होगा कि निर्माण कार्य स्थल को अपनी लागत पर जल से मुक्त रखे ।
58. रविवार एवं छुट्टियों के दिन कार्य	58.1	रविवार एवं छुट्टियों के दिन कार्य करने के लिए संविदाकार को प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करने एवं कम से कम दो दिन पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी । संविदाकार सम्पूर्ण श्रम कानून एवं अन्य वैधानिक नियमों एवं विनियमन को दृढ़ता से निरीक्षण करेगा । यदि ऐसे कानूनों, नियमों, विनियमन को तोड़ने की स्थिति में उसके लागत सहित कोई परिणाम है तो उसको संविदाकार द्वारा अनन्य रूप से उत्पन्न होगी और नियोक्ता का इस ओर कोई दायित्व नहीं होगा ।
59. निर्माण एंव स्थापना हेतु सामान्य शर्तें	59.1	कार्य स्थल पर कार्य समय 48 घंटे प्रति सप्ताह है । आवश्यक होने की स्थिति में समयोपरि कार्य अनुमत है एवं नियोक्ता ऐसा मुआवजा नहीं देगा । प्रतिदिन 2 या 3 पाली में काम करना आवश्यक होता है और संविदाकार उद्धरण के लिए अपनी दर को मूर्त रूप देने के लिए विचार करने में इस पहलू को ध्यान में रखना चाहिए । नियोक्ता द्वारा इस लेखा से कोई अतिरिक्त दावा को स्वीकार नहीं किया जाएगा । कार्य समय में कार्य करने के लिए संविदाकार प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क करना होगा एवं उससे पहले लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
	59.2	संविदाकार को कारगरों की इस तरीके से नौकरी का अवश्य प्रबंध करेगा जिससे जब कार्य समापन में विलंब होता हो या कारणों के लिए उनका कोई अंश जो कुछ भी उनके रोजगार को प्रभावित नहीं करता हो । नियोक्ता समय के किसी भी भुगतान के लिए किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा ।
	59.3	संविदाकार नियोक्ता/प्रभारी अभियंता को नियमित अन्तराल में स्थिति से संबंधित एवं कार्य की प्रगति की रिपोर्ट सुपुर्द करेगा । रिपोर्ट का ब्यौरा एवं रूपरेखा संविदा प्राप्त करने के बाद आपसी सहमति से होगी । संविदाकार कार्य स्थल पर प्रगति एवं मजदूरों की संख्या को दर्शाने हेतु डिस्प्ले बोर्ड प्रदान करेगा । जैसा प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित है ।
60. विशिष्टिकरण में परिवर्तन, संरचना एवं अतिरिक्त कार्य	60.1	इस संविदा के अंतर्गत आने वाला कार्य संविदाकार द्वारा उद्धृत एकमुश्त फर्म का मूल्य/मद की दर पर नियोक्ता द्वारा निष्पादित होता रहा है । नियोक्ता, संविदा मूल्य में परिवर्तन

		के लिए किन्हीं प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगा या इस तरह के बदलाव की आर से समय में विस्तार जो संविदाकार के कार्य के लक्ष्य जैसे अभियांत्रिकीय विस्तृत ब्योरे के परिणाम एवं उसके बाद कार्यनिष्पादन के दौरान उठा सकता है । इसका एकमात्र अपवाद ऐसी स्थिति होगी जहां नियोक्ता संविदाकार को लिखित रूप में निवेदन कर विशिष्टिकरणों को उन्नयन करेगा या उपकरण या संयंत्र के किसी बड़े टुकड़े का आकार या मशीन जिसके इर्द-गिर्द संविदा दस्तावेज में वर्णित कार्य के लक्ष्य को सामान्यत: पूरी करना होता है । ऐसी स्थिति में नियोक्ता की पूर्व अनुमति से संविदाकार द्वारा एक परिवर्तन आदेश प्रारंभ किया जाएगा जिसमें उनकी समीक्षा के लिए संपूर्ण बैकअप डाटा प्रदान उसकी समीक्षा हेतु 30(तीस) दिन के भीतर किया जाएगा ताकि मूल्य पर किसी प्रभाव के लिए अंतिम निपटान किया जा सके ।
	60.2	प्रभारी अभियंता किन्हीं परिवर्तनों में, लोपों से, परिवर्धन को या प्रतिस्थापन के लिए अनुसूचित दरों, मौलिक वैशिष्टिकरणों, चित्रांकनों, संरचानाओं एवं निर्देशनों से बनाता रहेगा, जो उनके लिए आवश्यक प्रतीत होगा या कार्य प्रगति के दौरान उपयुक्त रहेगा और संविदाकार ऐसे परिवर्तित/अतिरिक्त/नये मदों के कार्य को किसी निर्देशनों के अनुसार करने को बाध्य होगा । जिसको प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिया जा सकता है एवं ऐसे परिवर्तनों, त्रुटियों, परिवर्धनों या प्रतिस्थापनों से संविदा रद्द नहीं होगी और किसी परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य जिससे संविदाकार उल्लिखित वर्गीकृत तरीके से करने के लिए निर्देशित कर सकता है । जैसे सभी पहलुओं में कार्य के अंशों को संविदाकर द्वारा समान परिस्थितियों से वहन किया जाएगा । जिस पर वह प्रमुख कार्य को करने पर सहमत होगा । कार्य पूरा करने में केवल ऐसे परिवर्तनों, परिवर्धनों या कार्य को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रभारी अभियंता के विवेकाधिकार से विशिष्ट कार्य के अंशों के लिए समय बढ़ाया जा सकता है । जैसा कि वह शीघ्र एवं उचित विचार कर सकते हैं । ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तित या इस धारा के अंतर्गत प्रतिस्थापित कार्य के लिए दर को निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा । 1. मद दर संविदा हेतु (क) यदि अतिरिक्त परिवर्तन या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरों को कार्य के लिए संविदा में वर्गीकृत किया जाता है तो

		संविदाकार अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य को वहन करने को बाध्य होता है। जैसा संविदा में विनिर्दिष्ट है। (ख) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए कीमतों को कार्य के लिए संविदा में खासतौर से नहीं रखा जाने पर दरों को समरूप वर्ग के कार्य के लिए दरों में से प्राप्त किया जाएगा जैसा कि कार्य के लिए संविदा में वर्गीकृत है। प्रभारी अभियंता का मत है चाहे हो या न हो दरों को संतुलित किया जा सकता है। इसीलिए इस संविदा मदों की को प्राप्त करना आखिरी एवं संविदाकार पर प्रतिबंधित होगा। (ग) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के मूल्यों को समुचित ढंग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और (ख) तब संविदाकार उपर्युक्त आदेश प्राप्त करने की तिथि से सात दिनों के अन्दर कार्य पूरा कर प्रभारी अभियंता को मूल्यों के बारे में सूचित करेगा। जिससे यह कीमत या कीमतों के दावा को विश्लेषण से ऐसे कार्य से सहायता प्राप्त करने के लिए शुल्क निश्चित करता है और प्रभारी अभियंता प्रचलित बाजार की कीमत के आधार पर दरों या दर, श्रम दर में अनुसूचित श्रम की लागत के अतिरिक्त 10% संविदाकार पर्यवेक्षण खर्च संविदाकार के अनुसार अतिरिक्त एवं लाभ भुगतान करता है। सामग्रियों एवं श्रम की प्रमात्रा वर्तमान बाजार की कीमतों से प्रति इकाई पैमाने को प्रभारी अभियंता के विचार से अंतिम होगी और संविदाकार पर बाध्यकारी होगा। (घ) जहां मद विशेष पर कार्य प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित मनोनीत एजेंसी के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। तब मनोनीत एजेंसी को वास्तविक राशि का भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित साक्ष्य को सत्यापित करने के माध्यम से किया जाएगा। जो समस्त अनुषंगिक, अतिरिक्त दरों पर मुनाफा हासिल कर 10% (दस प्रतिशत) अधिक प्रबंध करने पर विचार किया जाएगा। (ड.)उपर्युक्त उप-धारा (क) एवं (घ) में अंतर्विष्ट प्रावधान निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होगा : जहां नये मदों का मूल्य-परिवर्धनों के साथ-साथ परिवर्तनों, परिवर्धनों या अपमर्जिनों या प्रतिस्थापनों से नहीं बढ़ाया

		जाता है या संविदा के मूल्य से धन/ऋण (+ -) 25% से कम नहीं है । अनुसूचित दरों में मद की दरें समस्त ऐसी विभिन्नताओं के लिए उल्लिखित सीमाओं के मध्य अनुसूची के दरों के निजी मदों में मात्राओं की किसी वृद्धि एवं कमी को विचार में लाए बिना प्रभावी रहेगा । जहां नई मदों के परिवर्धन मूल्य के साथ-साथ परिवर्तनों, परिवर्धनों/अपमर्जिनों का मूल्य या प्रतिस्थापनों से संविदा मूल्य घटकर 25% से अधिक है लेकिन निम्नलिखित सीमाओं के अन्दर निविदाकार को कार्य के मूल्य में गिरावट के लिए मुआवजा भुगतान किया जाएगा जो निम्नलिखित है :- क्रम सं. विभिन्नता का स्तर संदर्भित श्रेणी में कार्य के मूल्य मे गिरावट के लिए मुआवजे का प्रतिशत (क) 25% से अधिक एवं 50(+) तक शामिल है अनुसूचित दरों के लिए वृद्धि और/या गिरावट लागू नहीं होगा (इस वृद्धि के लिए)उल्लिखित दर मान्य होगी । (ख) (-) 25% से परे एवं (-) 50% तक संविदाकार 25% के लिए आवंटित संविदा मूल्य का लगभग 10% गिरावट के बराबर की राशि से मुआवजा दिया जाएगा । II एकमुश्त संविदाओं हेतु संविदाकार कार्य वहन करने का आदेश प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के अन्दर प्रभारी अभियंता को कीमतों से अवगत कराएगा जिससे यह उसका अभिप्राय ऐसे कार्य वर्ग के प्रभार से है जो दर के विश्लेषण से पुष्टि या कीमतों का दावा किया जाता है और प्रभारी अभियंता दरों या वर्तमान बाजार दर पर

		आधारित दरों, श्रम दर की अनुसूची पर श्रम लागत में संविदाकर के पर्यवेक्षण से 10% वृद्धि के अंतर्गत, ऊपरी एवं लाभ और संविदाकार के अनुसार देय सुनिश्चित करना होगा। सामग्रियों के वर्तमान बाजार की दरों और माप की प्रति एकक अंतर्गत श्रम की प्रमात्र के बारे में प्रभारी अभियंता का मत आखिरी एवं संविदाकार पर बाध्यकारी होगा।
61. नियोक्ता द्वारा ड्राइंग की आपूर्ति	61.1	निविदा के साथ संलग्न ड्राइंग केवल सामान्य निर्देश के लिए है जो संविदाकार को अपने अधिसंभाव्य कार्य के प्रकार एवं अंतर्ग्रस्त कार्य के लक्ष्य को दृश्यांकन करने में सक्षम बनाता है। संविदाकार को ड्राइंग का समझा जाएगा और अंतर्ग्रस्त कार्य के संबंध में विचार निर्मित करेगा।
	61.2	जिस कार्य के वास्तविक निष्पादन के आधार पर कार्य रेखांकनों का ब्यौरा आगम है। उस कार्य के प्रगति के दौरान समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। संविदाकार को पूर्ण रूप से एवं ध्यानपूर्वक, उनके रेखांकनों की आपूर्ति के माध्यम से चला गया समझ लिया जाएगा और संबंधित अन्य सभी रेखांकनों के संयोजन में प्रभारी अभियंता के नोटिस में लाना होगा। यदि कोई, उनमें पहले कार्य को मौलिक रूप में वहन किया हो।
	61.3	कार्य से संबंधित कार्य के रेखांकनों के समस्त ब्यौरे की प्रति कार्यस्थल पर संविदाकार के कार्यालय में रखी जाएगी और संविदा कार्य के दौरान प्रभारी अभियंता के लिए किसी भी समय उपलब्ध कराना होगा। नियोक्ता द्वारा जारी किया हुआ रेखांकनों एवं दस्तावेजों को कार्य के समापन पर नियोक्ता को वापिस करना होगा।
62. संविदाकार द्वारा रेखांकनों की आपूर्ति	62.1	चित्रांकनों/तिथि जिसे संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो संविदा को विशिष्ट परिस्थितियों में परिगणित किया जाता है और विनिर्दिष्ट समय के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
	62.2	जहां विनिर्माण/निर्माण/फेब्रीकेशन से पहले चित्रांकनों का अनुमोदन/पुनर्विलोकन विनिर्दिष्ट किया जाता है। यह संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा कि इन चित्रांकनों को प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार तैयार किया जाए और जैसी भी स्थिति हो विनिर्माण/निर्माण/ फेब्रीकेशन के साथ कार्रवाई करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना। कार्य निष्पादन के दौरान इन चित्रांकनों में कोई बदलाव जिसका होना आवश्यक हो सकता है, जिसको अतिरिक्त लागत पर संविदाकार द्वारा प्रभारी अभियंता की संतुष्टि से कार्यान्वित किया जाएगा। सभी आखिरी चिद्त्रांकनों को संविदाकार एवं प्रभारी अभियंता दोनों के द्वारा नीचे विधिवत हस्ताक्षरित कर प्रमाणीकरण मोहर लगा कर प्रमाणित की जाएगी।

		सही के लिए प्रमाणित ..... (कार्य का नाम) समझौता संख्या ..... हस्ताक्षर ..... (संविदाकार) (प्रभारी अभियंता)
	62.3	संविदाकार द्वारा जमा किए गए चित्रांकनों को प्रभारी अभियंता द्वारा पुनर्विलोकित किया जाएगा । यथासाध्य तीन सप्ताह के अन्दर एवं संविदाकार द्वारा नवीनीकृत किया जाएगा । यदि प्रभारी अभियंता द्वारा नवीनीकरण एवं/या संशोधन आवश्यक है तो संविदाकार ऐसे नवीनीकरण एवं/या संशोधन को शामिल करेगा और चित्रांकनों को अंतिम अनुमोदन हेतु सुपुर्द करेगा । संविदाकार की असफलता से उदभूत किसी विलम्ब को सही समय पर परिशोधित करना । जो संविदा समापन के बाद नहीं होगा ।
	62.4	जैसे निर्मित चित्रांकनों के समस्त संशोधनों, समायोजनों आदि को छ: प्रतियों में संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और नियोक्ता के प्रस्तावित विवरण के लिए एक पारदर्शी प्रति होगी ।
63. कार्य की स्थापना करना	63.1	प्रभारी अभियंता कार्य स्थल के चारों कोनों में केवल संविदाकार को जुटाएगा ओर स्तरीय न्यायपीठ चिन्हित करेगा एवं संविदाकार कार्य की स्थापना करेगा और प्रयोजनों क लिए उपर्युक्त कर्मचारी प्रस्तुत करेगा और इस तरह की स्थापनपा क लिए पूरी तरह जिम्मेवार रहेगा ।
	63.2	संविदाकार प्रबंध कर नियत करेगा और समस्त हितधारिताओं, सांचों, तल चिन्हों, रूप रेखाओं एवं अन्य सामान्य वस्तुओं के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होगा और ऐसे निराकरण के परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा या विह्न समान स्थान में होना चाहिए ओर उनके लिए उपर्युक्त एवं समय पर पुर्नस्थापित होगा । संविदाकार समस्त मौजूद सर्वे के चिन्हों, बाउंड्री के निशानों, दूरी के चिन्हों एवं केन्द्रीय रेखा चिन्हों या तो मौजूद या आपूर्ति किए हुए के लिए भी उत्तरदायी होगा और संविदाकार द्वारा नियत होगा । कार्य प्रभारी अभियंता की संतुष्टि से स्थापित होगा । कार्य स्थापित करने में प्रभारी अभियंता द्वारा संविदाकार के साथ मिलकर वहां अनुमोदन संविदाकार को अपने किसी उत्तरदायित्व के लिए मुक्त नहीं

		करेगा।
	63.3	कार्य आरंभ करने से पूर्व संविदाकार को प्रभारी अभियंता की स्वीकृति से उत्पादन चिन्हों के लिए योजनाओं के अनुसार कार्य के समुचित प्रदर्शनों के लिए अपनी लागत पर समस्त आवश्यक संदर्भों एवं स्तरीय पदों, खूंटियों, बांसों, झंडों, श्रेणी के छड़ों, रस्सियों एवं अन्य सामग्रियों का प्रबंध करना होगा। केन्द्र, लम्बाई का या प्रत्यक्ष रेखाएं एवं बन्द रेखाओं को छोटी पक्की चिनाई के खंबों से चिन्हित किया जाएगा। प्रत्येक खम्बों के मध्य में सुस्पष्ट चिन्ह होगा जो इसके ऊपर में थियोडोलाइट को स्थापित करने मे सक्षम है। लिखित रूप में प्रभारी अभियंता द्वारा जब तक समस्त बिन्दुओं की जांच से अनुमोदित हुए बिनाकोई भी कार्य आरंभ नहीं होगा। परंतु ऐसा अनुमोदन संविदाकार को उसके किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा। संविदाकार सांचों की समुचित जांच एवं निर्माण के दौरान बिन्दुओं के निरीक्षण के लिए भी समस्त श्रम, सामग्री एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता को भी प्रदान करेगा।
	63.4	संविदाकार द्वारा निर्माणाधीन कार्य के इकाई स्थल पर स्थित भूगणितीय चिन्हों को खम्बों की दिशा में संरक्षित एवं बाड़युक्त होना चाहिए।
	63.5	कार्य समापन पर संविदाकार को वहन किए गए कार्य के अनुसार भूगणितीय दस्तावेजों को अवश्य सुपुर्द करना होगा।
64. स्तर एवं संरेखण के हेतु उत्तरदायित्व	64.1	संविदाकार कार्य के हर अंश की शुद्धता एवं स्तरों, क्षैतिज एवं उर्ध्वाकार के लिए सम्पूर्ण एवं अनन्य रूप से उत्तरदायी होगा और उनमें किन्हीं गलतियों एवं त्रुटियों को चिन्हित करेगा। ऐसी सुधारों को संविदाकार द्वारा अपनी लागत पर वहन करना होगा। जब निर्देश जारी किया जाता है तो प्रभारी अभियंता से प्रभावित होगा।
65. संविदाकार द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति	65.1	संविदाकार संविदा मूल्य के अन्दर समस्त सामग्रियों स्टील्स, सीमेंट एवं अन्य निर्माण सामग्रियों, औजारों, नौकोपकरण सहित सामग्रियों के अलावा कार्य समापन एवं रखरखाव के लिए निर्माण संयंत्र एवं उपकरण निर्माण हेतु आवश्यक को प्राप्त करेगा एवं उपलब्ध कराएगा जो नियोक्ता द्वारा जारी हो और ऐसे सामग्रियों एवं परिवहन को प्राप्त करने के लिए उसे अपना स्वयं करना होगा। नियोक्ता संबंधित प्राधिकार को आवश्यक संस्तुति देता है यदि ऐसा संविदाकार द्वारा जाहिर किया गया हो लेकिन आगे किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती है। नियोक्ता सामग्रियां प्राप्त करने पर बल देगा। जिस पर आईएसआई लगा होगा या नामित आपूर्ति द्वारा नामित होगा।
	65.2	संविदाकार सभी सामग्रियों या उसके द्वारा खरीदी गई उसे

		जारी की गई हो को वर्षा वायु एवं सूर्य के प्रकाश से बचाएगा तथा अपने कार्य को उचित रीति से एवं शीघ्र निष्पादन चोरी, मूषण आदि से भी सुरक्षा कर भंडारण करेगा । संविदाकार स्वयं आवश्यक सामग्रियों के पर्याप्त भंडारण को बनाए रखेगा ।
	65.3	प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बिना संविदाकार के भंडार से कोई भी सामग्री नहीं भेजी नहीं जाएगी ।
66. नियोक्ता द्वारा भंडारण की आपूति	66.1	कार्य का विनिर्देश किसी सामग्री के खास किस्म के उपयोग के लिए भंडारों से आपूर्ति प्रदान की जाती है । यह आवश्यक है कि संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा प्रदत्त भंडारों का निर्विवाद उपयोग करेगा । ऐसी सामग्रियों एवं भंडारों और नियोक्ता की सहूलियत के लिए यथासाध्य जैसा इनमें उल्लिखित है, शुल्क नहीं लिया जाएगा । लेकिन इससे किसी भी तरह अर्थ या संविदा के प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा । संविदाकार क्रय करने के लिए बाध्य होगा और ऐसी सामग्रियों की आपूर्ति करेगा । संविदा के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा समय-समय पर भंडारों का उपयोग करना आवश्यक है । नियोक्ता द्वारा आपूर्ति की हुई सामग्रियों की कीमत के लिए देय राशि संरक्षित कार्यों में वास्तविक सामग्रियों की खपत के आधार पर विद्यमान खाता बिल से वसूल किया जाएगा और जिसके लिए विद्यमान खाता बिल तैयार करना होता है । कार्य समाप्ति के बाद शायद संविदाकार इस दस्तावेज के संबंधित धाराओं के मुताबिक उनको सम्पूर्ण मात्रा में सामग्रियों की आपूर्ति के लिए लेखा है ।
	66.2	नियोक्ता द्वारा संविदाकार को भंडारों/सामग्रियों की आपूर्ति की गई मूल्य सामग्री की अनुसूची में दर्शाए गए दरों पर संविदाकार के लेखा से विकलित किया जाएगा और यदि वे अनुसूची में दर्ज हैं तो वे लागत मूल्य पर दर्ज होंगे, जो कि संविदा के प्रयोजन के लिए वहन करने की लागत और जो कुछ भी अन्य व्यय जैसे सामान्य भंडारण पर्यवेक्षण शुल्क शामिल है । जिसको नियोक्ता के भंडार पर समान अभिताप्त में अवगत कराना होगा । संविदाकार को आपूर्ति की गई समस्त सामग्री नियोक्ता की वास्तविक सम्पत्ति होगी और कार्य स्थल से किसी भी लेखा पर नहीं हटाई जाएगी और हर समय प्रभारी अभियंता के निरीक्षण के लिए मूल्य रहेगा । इस तरह की कोई भी सामग्रियां समापन के समय या संविदा रद्द होने पर नियोक्ता के भंडारण में वापिस हो गया या प्रभारी अभियंता के निर्देशित स्थान पर संविदाकार की लागत पर बिल्कुल ठीक हालत में रखना होगा ।

		नियोक्ता द्वारा संविदाकार को आपूर्ति किया गया भंडार/सामग्रियों के मूल्य को संविदाकार के खातें से सामग्रियों की अनुसूची में वर्णित मूल्य से नामे (डेबिट) किया जाएगा और उन्हें अनुसूची में शामिल न किए जाने पर उन्हें लागत मूल्य पर नामे (डेबिट) किया जाएगा जोकि संविदा के उद्देश्य से उसमें ढुलाई की लागत होगी और अन्य सभी व्यय चाहे वह जिस भी प्रकार के हों जैसे कि सामान्य भंडारण पर्यवेक्षण प्रभार शामिल होंगे जिन्हे नियोक्ता के भंडार प्राप्त करने में उपचित हुआ होगा । संविदाकार को आपूर्ति ऐसी सभी सामग्री नियोक्ता की पूर्ण रुपेण सामग्री होगी और कार्यस्थल से किसी भी हालत में हटाई नहीं जाएगी और प्रभारी अभियंता के निरीक्षण हेतु सदैव उपलब्ध रहेगी। संविदा या परिसमापन होने पर ऐसी बची हुई समस्त सामग्री को नियोक्ता के भंडार या प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार स्थल पर संविदाकार के खर्च पर पूर्णत: अच्छी दशा में वापिस करनी होगी ।
67. सामग्री निर्गत हेतु शर्तें	67.1	i) नियोक्ता द्वारा जारी की गई वर्गीकृत सामग्रियां अपने भंडार से नियोक्ता द्वारा आपूर्ति की जाएगी । यह संविदाकार का दायित्व होगा कि वह अपनी लागत पर कार्य स्थल पर इसके लदान, परिवहन, माल उतारने के लिए सामग्रियों की सुपुर्दगी एवं प्रबंध करेगी । सामग्री कार्य समय में जारी की जाएगी और समय-समय पर बनाए गए नियोक्ता के नियमों के मुताबिक होगी । ii) संविदाकार स्थल पर सामग्रियों के भंडारण एवं सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनको ये जारी होने के पश्चात समस्त आकस्मिक प्रभार को वहन करना होगा । iii) नियोक्ता द्वारा जारी की हुई विशेष रूप से उल्लिखित सामग्रियों को निर्माताओं से प्राप्त मानक आकारों में जारी करना होगा । iv) संविदाकार कार्य स्थल पर वर्षा, नमी, अग्नि एवं चोरी आदि से सामग्रियों के सुरक्षित भंडारण के लिए समुचित गोदाम का निर्माण करेगा । वह प्रयोजन हेतु आवश्यक देखभाल कर्मचारियों से भी नियोजित करेगा । v) संविदाकार का यह कर्त्तव्य होगा कि उसको आपूर्ति की जा

		रही सामग्रियों की सुपुर्दगी के समय निरीक्षण कर लें एवं स्वयं संतुष्ट हो जाए कि वे अच्छी स्थिति में है । नियोक्ता द्वारा सामग्रियों की सुपुर्दगी के बाद उनको ठीक हालत में रखना संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा एवं किसी भी समय सामग्रियों की क्षति होने या गुम होने पर उनको अपनी लागत पर प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार मरम्मत और/या प्रतिस्थापित करना होगा । vi) नियोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति एवं अनापूर्ति में विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । जिसकी आपूर्ति नियोक्ता के अधीन है वहां इस तरह की असफलता एवं विलम्ब, प्राकृतिक वातावरणों, शत्रुओंकी गतिविधियों, परिवहन एवं उपापन के दिक्कतों एवं नियोक्ता के नियंत्रण के इर्द-गिर्द किन्हीं भी परिस्थितियों से है । किसी भी हालत में संविदाकार इस लेखा पर उनके द्वारा किसी मुआवजे एवं क्षति होने पर दावा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा । vii) नियोक्ता द्वारा की गई आपूर्ति से भिन्न अन्य कार्य के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की समय से व्यवस्था करना संविदाकार का उत्तरदायित्व होगा । यद्यपि प्रभारी अभियंता की राय में सामग्रियों की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करने मे संविदाकार के अयोग्यता के कारण कार्यनिष्पादन में विलम्ब होती है जिसके लिए वह सामान्यत: प्रबंध करता है । प्रभारी अभियंता को स्वविवेकानुसार ऐसे सामग्रियों को जारी करने का अधिकार है । यदि नियोक्ता के उपलब्ध होता है या बाजार या कहीं और से सामग्री प्राप्त किया हुआ हो । संविदाकार प्रभारी अभियंता द्वारा तय की गई दर पर सामग्री लेने को बाध्य होता है । यह यद्यपि संविदाकार को सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में ऐसे सामग्रियों के लिए प्रबंध करने की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं करती है । कार्यनिष्पादन में विलम्ब के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए न कि कारणों को निर्मित किया जाए । (viii) संविदाकार किसी भी सामग्रियों की आपूर्ति विनिर्माण मद के लिए संविदाकार द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा जिसको तैयार यप में मानक निर्माता से आपूर्ति कर प्राप्त किया जा सकता है ।

		(ix) संविदाकार, यदि प्रभारी अभियंता की इच्छा पर नियोक्ता द्वारा जारी की गई समस्त सामग्रियों को संरक्षित अभिरक्षा एवं लेखा के लिए क्षतिपूर्ति बॉण्ड निष्पादित करना आवश्यक होगा । (x) संविदाकार, प्रभारी अभियंता को नियोक्ता द्वारा जारी की जाने वाली मात्राओं को उनकी आवश्यकताओं को दर्शाने वाली विवरणी को अग्रिम रूप में पर्याप्त मात्रा प्रकट करते हुए प्रस्तुत करेगा और समय जब कार्य हेतु उनके द्वारा वैसा ही आवश्यक होगा । इसलिए सामग्री प्राप्त करने एवं आपूर्ति के लिए आवश्यक प्रबंध करने में प्रभारी अभियंता सक्षम होगा । (xi) नियोक्ता द्वारा जारी की गई सामग्रियों का खाता, संविदाकार द्वारा दैनिक रसीद, खपत एवं हस्तगत अधिशेष सहित बरकरार रखा जाएगा । इस खाते से संबंधित समस्त कागजात जैसे मांग, निर्गम आदि के साथ प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित रूप में बरकरार रखा जाएगा और स्थल पर संविदाकार का कार्यालय में निरीक्षण के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा । (xii) संविदाकार को ध्यान रखना चाहिए कि सामग्रियों की आवश्यक मात्रा ही जारी की जाए । यदि कोई अतिरिक्त सामग्रियों है तो संविदाकार उसकी वापसी के लिए ढ़लाई एवं आकस्मिक शुल्क का हकदार नहीं होगा जहां से भी वे जारी हुआ था या प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित स्थान पर इकट्ठा किया जाएगा । (xiii) नियोक्ता द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण(णों) का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं होगा ।
68. नियोक्ता की सहायता क्रय किया गया माल/अधिशेष की वापसी	68.1	किसी प्रतिकूल अंतर्निहित बात के होते हुए या इस संविदा की समस्त धाराएं जहां संविदा निष्पादन के लिए किन्हीं सामग्रियों को नियोक्ता की सहायता से या तो नियोक्ता के भंडार से जारी होकर या आदेश के अन्दर क्रय से या अनुज्ञा पत्र से या सरकार द्वारा जारी लाइसेंस से प्राप्त किया जाता है । संविदाकार उल्लिखित सामग्रियों को रोक सकेगा जैसे नियोक्ता के लिए ट्रस्टी और संविदा के प्रयोजनार्थ ऐसी

		सामग्रियों का आर्थिक तौर पर एवं सम्पूर्ण रूप से उपयोग करेगा और उसको नियोक्ता की अनुमति के बिना खत्म नहीं करेगा और यदि प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यक हो तो प्रतिलाभ सामग्रियों की स्थिति से संदर्भ के कारण सुनिश्चित होगा । संविदाकार को अनुमत कीमत यद्यपि भंडारण शुल्क यदि कोई है तो उसे छोड़कर अधिक राशि शुल्क नहीं होगा । ऐसे मामलों में प्रभारी अभियंता का फैसला आखिरी एवं निश्चयात्मक होगा । उल्लिखित स्थिति के भंग होने की दशा में संविदाकार लाइसेंस की शर्तों में या अनुज्ञा पत्र और/या अपराधिक न्यास भंग होने पर नियोक्ता को दुगुने दर पर या किसी ऊंची दर पर मुआवजा देना होगा । उस समय की ऊंची दर उन सामग्रियों की दशा में या बाजार में अनुपलब्धता की स्थिति में प्रभारी अभियंता द्वारा कोई दर सुनिश्चित किया जाता है और उसका फैसला आखिरी एवं निश्चयात्मक होगा ।
69. विखंडन से प्राप्त सामग्रियां	69.1	यदि संविदाकार कार्य के निष्पादन प्रक्रिया में इसके अन्दर 74 एवं 77 धाराओं में नियत से भिन्न कारणों के लिए किसी अंश को विघटित करने के लिए आह्वान करने पर कार्य को विघटित करने आदि से प्राप्त सामग्रियों को नियोक्ता की सम्पत्ति समझा जाएगा और नियोक्ता को सर्वोत्तम लाभ को दिलवाएगा ।
70. प्राप्त सामग्रियों का मूल्य	70.1	समस्त सोना, चांदी एवं अन्य सामग्रियों का कोई विवरण एवं समस्त बहुमूल्य रत्न, सिक्के, पुरावशेष निधि, पुरावस्तुओं एवं अन्य सामान्य वस्तुएं जो भूमि में या भूमि पर खुदाई के दौरान प्राप्त होगी । नियोक्ता का सम्पत्ति होगी और संविदाकार प्रभारी अभियंता की संतुष्टि हेतु उन्हें विधिवत संरक्षित करेगा और समय-समय पर व्यक्ति या नियोक्ता द्वारा संकेतित व्यक्तियों को वही सुपुर्द करेगा ।
71. अनुदेशों में विसंगतियां	71.1	संविदाकार, उसके एजेन्ट या कर्मचारी या ऐसे अनुदेशों के अर्थ से उपजा कोई संदेह या संविदाकार के कर्मचारी एवं प्रभारी अभियंता के कर्मचारी के मध्य वहां पर शंका होने पर संविदाकार प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में यथाशीघ्र मामले को संदर्भित करेगा । जिसका फैसला वहां आखिरी एवं निश्चयात्मक होगा ओर अनुदेशों, सेदेहों के बीच ऐसे फर्क से किसी कारण हानी अभिकथित होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा या नासमझी किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा ।
72. कार्रवाई जहां कोई विनिर्दिष्टताएं जारी नहीं की गई	72.1	किसी श्रेणी के कार्य मामले में जहां निविदा कागजातों के नियोक्त द्वारा कोई विनिर्दिष्टता जारी न की गई हो वहां ऐसा कार्य भारतीय मानक विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप संपन्न किया जाएगा और यदि इस पर भारतीय मानक विनिर्दिष्टताओ के

		अनुरूप भी लागू नहीं होने की दशा में मानक इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार कार्य संपन्न किया जाएगा बशर्ते प्रभारी अभियंता की स्वीकृति हो।
73. कार्यों का निरीक्षण	73.1	प्रभारी अभियंता को या तो स्थल पर या संविदाकार के परिसरों/कार्यशालाओं पर जहां-कहीं भी किसी भी क्षण कार्य की प्रगति को निरीक्षण करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा। जहां-कहीं भी किसी व्यक्ति के परिसरों/कार्यशालाओं, फर्म या कॉर्पोरेशन, जहां संविदा के साथ कार्य का संबंध हाथ में हो सकता है या जहां सामग्री होता है या आपूर्ति की जाती है या संविदाकार इस तरह के निरीक्षण का वहन करते हुए प्रभारी अभियंता को हर सुविधा एवं सहायता प्रदान करेगा या प्राप्त करेगा। संविदाकार हर क्षण सामान्य कार्य समय के दौरान एवं हर दूसरे क्षण जहां पर प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि के देखरेख हेतु संविदाकार को इस आशय की सूचना दी जाएगी या तो स्वयं मौजूद रहे और आदेशों के निर्देशनों को प्राप्त करे या प्रयोजन के लिए मौजूद जिम्मेदार एजेंट को विधिवत लिखित रूप में मान्यता दे। संविदाकार एजेंट को आदेश देकर सामान्य शक्ति के रूप में विचार करना होगा जैसे संविदाकार को स्वयं दे देना होगा। संविदाकार आवरण करने से पूर्व प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में सात दिन से अनधिकवी सूचना देगा। यद्यपि निरीक्षण की पहुंच के आस-पास क्रम में किसी कार्य का पैमाना से रखा जा सकता है। जिससे उसी का निरीक्षण या मापा जा सकता है। जिससे उसको निरीक्षण या मापा जा सके। उल्लिखित ऊपर भंग होने की दशा में इस तरह के पैमाने एवं निरीक्षण को भंग करने के लिए संविदाकार के व्यय से संपूरित करवाना होगा।
	73.2	प्रभारी अभियंता से लिखित अनुमोदन के बिना संविदाकार के भंडार से किसी भी सामग्री को भेजा नहीं जाएगा। संविदाकार, प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य की प्रगति एवं रखरखाव की अवधि में, अनुरक्षण की अवधि, मार्गिका आदि के साथ समुचित अभिगमन और संचालन हेतु आवश्यक उपस्थिति, निरीक्षण हेतु निर्देशित किया हुआ ग्रहण करना। कार्य के पैमाने को हर क्षण ग्रहण करना होता है।
	73.3	संविदाकार, प्रभारी अभियंता को जांच करने एवं कार्य की स्थापना हेतु समस्त आवश्यक यंत्रों एवं सहायता को निशुल्क उपलब्ध कराएगा और कार्य की स्थापना एवं पैमाने के प्रयोजनों के लिए संविदाकार द्वारा किसी भी कार्य की जांच की

		जाएगी।
74. कार्य की गुणवत्ता हेतु जांच	74.1	समस्त कर्मकौशल संविदा दस्तावेजों में एवं प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार वर्णन किया गया होगा और समय-समय पर इस तरह की जांच संविदाकार की लागत पर करनी होगी जैसा कि प्रभारी अभियंता सृजन या बनाने का स्थान या स्थल पर या बिल्कुल या किसी ऐसे स्थानों पर निर्देश दे सकता है। संविदाकार सहायता, यंत्रों, श्रम एवं सामग्रियों को प्रदान करेगा । जैसा कि सामान्य: परीक्षण, मापन एवं किसी कर्मकौशल की जांच करना चयन के लिए आवश्यक है एवं प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यक है।
	74.2	प्रत्येक जांच जोकि कार्यनिष्पादन के संबंध में आवश्यक होगी जैसा कि प्रभारी अभियंता द्वारा निश्चित नियोक्ता की जांच प्रयोगशाला पर समय-समय पर नियोक्ता द्वारा निश्चित शुल्कों के भुगतान द्वारा वहन किया जाएगा। नियोक्ता के पास जांच सुविधा की अनुपलब्धता की स्थिति में आवश्यक जांच संविदाकार की लागत पर सरकार या प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किसी अन्य जांच प्रयोगशाला द्वारा करवाई जाएगी।
	74.3	यदि कोई जांच कार्य या सामग्रियों या कर्मकौशल के संयोजना में वहन करना आवश्यक है जिसकी संविदाकार द्वारा आपूर्ति नहीं किया गया होगा । ऐसी जांच को प्रभारी अभियंता के निर्देशों के हिसाब से संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा और इस तरह की जांच की लागत को नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति करनी होगी।
75. अनुमोदन हेतु नमूने	75.1	संविदाकार अनुमोदन हेतु अनुरोध किए जाने पर प्रभारी अभियंता या यदि विनिर्देशों, सभी सामग्रियों के पर्याप्त नमूनों की जरुरत हो और कार्य में प्रयोग कर पूरा किया जाता है। ऐसे नमूनों को कार्य की घोषणा होने से पहले सुपुर्द करना होगा और व्यापक समय में जांच एवं उसके परीक्षण की अनुमति है। सभी सामग्रियों को सुसज्जित करना और परिष्कृत कर वास्तविक कार्य में लागू कर पूर्ण रूप से बराबर अनुमोदित नमूने होंगे।
76. खराब काम के मामले में कार्रवाई एवं मुआवजा	76.1	यदि प्रभारी अभियंता को यह प्रतीत होता है कि किसी कार्य को विकृत, त्रुटिपूर्ण या अकुशल कर्मकौशल या किसी निम्नतर विवरण के साथ सामग्रियों को निष्पादित किया गया है या कार्यनिष्पादन के लिए संविदाकार द्वारा प्रदत्त जो कोई सामग्रियों या वस्तुएं विकृत हैं या जिस निम्नतर गुणवत्ता के लिए संपर्क किया गया है या अन्यथा संविदा के अनुसार नहीं है तो संविदाकार प्रभारी अभियंता से लिखित रूप में मांग करेगा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि कार्य, सामग्रियों को विनिर्दिष्ट करता है या वस्तुओं का शिकायत होते हुए भी जो समान

		अनवधानता से पारित, सत्यापित करने के लिए भुगतान हो सकता है । तत्काल सुधार या हटाकर कार्य का पुननिर्माण करता है । इसीलिए विनिर्दिष्ट एवं प्रदान किया गया अन्य व्यक्तिगत और उपयुक्त सामग्रियां या वस्तुए उसके अपनी लागत पर होगा और प्रभारी अभियंता के असफल रहने की दशा में उल्लिखित उसके मांग में संविदाकार सम्पूर्ण कार्य के अनुमानित लागत का 1% (एक प्रतिशत) की मुआवजे की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा । प्रति सप्ताह सम्पूर्ण कार्य के मूल्य का 10% अधिकतम सीमा है । जबकि उसकी असफलता ऐसा करना जारी रखेगा और प्रभारी अभियंता की ऐसी असफलता की दशा में सूचना अवधि खत्म होने पर सुधार किया जा सकता है या हटाकर और कार्य पुनर्निष्पादित होता है या हटाकर दूसरों के साथ रखा जाता है । सामग्रियों एवं वस्तुओं की शिकायत का मामला संविदाकार के समग्र हित में जोखिम एवं व्यय पर हो सकता है । इस धारा के अंतर्गत उठने वाले किसी की प्रश्न का प्रभारी अभियंता का निर्णय आखिरी एवं सारांशत्मक होगा ।
77. कार्यों का निलंबन	77.1	i) उप-पैरा के प्रावधानों के अधीन ii) इस धारा का संविदाकार होगा । यदि प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में आदेश दिया जाता है या उसके प्रतिनिधि अस्थायी रूप से कार्य निलंबित करता है या ऐसे लिखित आदेश के लिए उसका कोई अंश कार्य के साथ अग्रसर होना जब तक उनमें निलंबन का आदेश होता है । वह उसके साथ प्राप्त लिखित आदेश की कार्रवाई करेगा । संविदाकार उल्लिखित कार्यों के अस्थायी निलंबन के कारण उसके द्वारा अवतरित क्षति या किसी हानि के लिए मुआवजा के दावे का हकदार नहीं नहीं होगा । उल्लिखित कार्य के ऐसे निलंबन से विलम्ब के कारण समापन एवं पत्राचार के लिए समय का विस्तारण मंजूर होगा । संविदाकार को चाहिए कि वह उसकी के लिए आवेदन करे । प्रदत्त निलंबन संविदाकार की ओर से असफलता या कोई दोष लगातार नहीं था । ii) सम्पूर्ण कार्य के निलंबन की दशा में, दो माह से अधिक अवधि के लिए प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप में आदेश होगा । संविदाकार के पास संविदा खारिज करने का विकल्प होगा ।

78. नियोक्ता कार्य के किसी भाग को समाप्त कर सकता है	78.1	इस संविदा के प्रावधानों के अनुसार दिए गए किसी निर्देशों को पूरा करने में असफलत रहने पर नियोक्ता के पास सम्पूर्ण कार्य के सथान पर शुल्क लगाने का वैकल्पिक अधिकार है। ऐसे कार्य के अंशों पर अतिरिक्त श्रमशक्ति, औजारों, उपकरणों या कार्य वहन करने के लिए दूसरे संविदाकार को भी लगाता है। ऐसी दशा में नियोक्ता राशि को घटा देगा । जिससे संविदकार कारण रहित हो सकता है। ऐसे कार्य की लागत एवं सामग्री पर 10% विभागीय प्रभार जोड़ा जाता है और संविदाकार के कारण राशि उसके राशि के अधिक अवश्य होना चाहिए । संविदाकार नियोक्ता को अन्तर या भुगतान करेगा।
79. समापन से पूर्व कब्जा	79.1	नियोक्ता के पास कब्जा लेने, पूरा किए हुए कार्य का उपयोग करन या आंशिक तौर पर पूरा किए गए कार्य या कार्य के अंश का अधिकार रहेगा। ऐसा कब्जा या उपयोग करने को संविदा करार के अनुसार किसी कार्य की समापन की स्वीकृति नहीं समझी जाएगी। ऐसे पूर्व के कब्जे या प्रभारी अभियंता द्वारा उपयोग करने से कार्य की प्रगति में विलंब समापन के समय समान समायोजन कार्य पूरा करते समय बना होगा और संविदा कार्य के अनुसार विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।
80. दायित्व की अवधि में त्रुटि (समापन प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से दायित्व की अवधि बारह महीने)	80.1	संविदाकार, प्रभारी अभियंता द्वारा सत्यापित कार्य की समापन तिथि से 12 (बारह) महीनों की अवधि में कार्य प्रतिष्ठापन की गारंटी देगा । जो कि समापन प्रमाणपत्र में संकेतित है। कोई क्षति या त्रुटि जो उत्पन्न हो सकती है या समापन प्रमाणपत्र जारी करते समय अप्रत्यक्ष अपील किसी भी तरह उपकरण से जुड़ेगा या उसके द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति की जाती है या कर्मकौशल में सुधार करेगा या संविदाकार द्वारा अपने व्यय पर पुनर्स्थापित करेगा जैसे प्रभारी अभियंता द्वारा आवश्यक समझा जाएगा या व्यक्तिक्रम में प्रभारी अभियंता अन्य कार्य द्वारा ऐसे कार्यों का वहन करेगा और श्रम, पर्यवेक्षण एवं खपत योग्य सामग्रियों से उपगत वास्तविक लागत को कम कर दिया जाएगा या किसी भी राशि से 100% ऊपरी वृद्धि (जिसमें प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र आखिरी होगा) जो तब हो सकता है या किसी भी समय उसके बाद संविदाकार के कारण या उसके संविदा निषपदन सुरक्षा या उसका बिक्री प्रक्रिया या उसका उपयुक्त अंश होगा।
	80.2	यदि संविदाकार महसूस करता है कि कार्य में या सामग्रियों की गुणवत्ता में कोई अंतर है या अनुपात लाभदायक होगा या मांगी गई गारंटी को पूरा करना आवश्यक है तो वह लिखित रूप में इसकी सूचना प्रभारी अभियंता को देगा।

		यदि दायित्व की अवधि के दौरान कार्य/उपकरण के किसी भाग में त्रुटि पाई जाती है एवं सुधार/पुनर्स्थापित किया जाता है । ऐसे उपकरणों/कार्य के अंश के लिए दायित्व की अवधि में ऐसे सुधारीकरण/पुनर्स्थापन की तिथि से वहन कर संचालित होगा और संविदा निष्पादन गारंटी उस कार्य/उपकरण के अंश को विस्तारित दायित्व की अवधि के लिए अलग से किया जाएगा । उपयुक्त प्रावधानों को समझे बिनाआपूर्तिकर्ताओं को उपकरण पुनर्स्थापित करने के लिए गारंटी/वारंटी को नियोक्ता ही पारित करेगा ।
	80.3	**दायित्व की सीमा** यहां अंतर्विष्ट किसी भी वस्तु के प्रतिकूल होते हुए भी करार के अंतर्गत संविदाकार का संकलित कुल दायित्व या अन्यथा करार/संविदा मूल्य का 100% की सीमा में होगा । यद्यपि कोई भी पक्षकार किसी अप्रत्यक्ष एवं परिमाणिक क्षति, मुनाफे में कमी या उत्पादन में कमी के लिए अन्य पक्षकार का दायित्व होगा ।
81. कार्यों की देखरेख करना	81.0	कार्य समापन की घोषणा से संविदाकार समस्त अस्थायी कार्य सहित समस्त कार्यों की देखरेख हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व लेगा और किसी क्षति, हानि या जख्म की दशा में कार्य घटित होगा या उसके बाद कोई भाग या किसी भी कारण किसी अस्थायी कार्यों से अपनी लागत पर मरम्मत करवाएगा और समान वस्तु को बनाना । इसीलिए उस कार्य के समापन पर संविदा की आवश्यकता को सभी संदर्भों में सुनिश्चित करने में या प्रभारी अभियंता के निर्देशों से अच्छा आदेश देगा ।
	81.1	ग्रहण करने से पूर्व त्रुटियां किसी भी समय कार्य को करने से पूर्व प्रभारी अभियंता : (क) निर्णय लेता है कि कोई कृत कार्य या संविदाकार द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री या किसी उप संविदाकार द्वारा खराब है या संविदा के अनुरूप नहीं है या कार्य या उसका कोई भाग क्षतिग्रस्त है या संविदा को पूर्ण नहीं करता है (ऐसे सभी मामले जो यहां इसके पश्चात हैं को इस धारा में "क्षतिग्रस्त" कहा जाएगा) (ख) जितना जल्दी युक्तियुक्त तौर पर साध्य हो, तो संविदाकार को उस फैसले का लिखित रूप में विशेष त्रुटियों का विनिर्देशन से अभिकथित निकासी की सूचना देना होता है या घटित होता है । तब संविदाकार अपने व्यय पर स्वयं करेगा और विनिर्दिष्ट त्रुटियों को अतिशीघ्रता से बनाएगा ।

		संविदाकार का ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, नियोक्ता संविदाकार की लागत पर ले सकता है ऐसा कदम सभी परिस्थितियों में ले सकता है। ऐसे त्रुटियों को युक्तियुक्त तौर पर बढ़िया बनाता है इसलिए नियोक्ता द्वारा व्यय घटित होने पर संविदाकार की शेष राशि से वसूल किया जाएगा। संविदाकार से राशि वसूल करने का ध्यान रखते हुए प्रभारी अभियंता का फैसला आखिरी होगा और संविदाकार बाध्यकारी होगा। संविदा के अनुसार ज्यों ही कार्य समाप्त होगा (लघु संदर्भ को छोड़कर जो प्रयोजन के लिए उनको प्रभावित नहीं करता है जिसके लिए वे आशयित है और वहां संविदा के सामान्य शर्त की धारा 80.1 में प्रदत्त रखरखाव को छोड़कर) और समापन की जांच में पास होता है। प्रभारी अभियंता प्रमाणपत्र जारी करेगा (यहां इसके बाद समापन प्रमाणपत्र कहां जाएगा) जिसमें वह तारीख को सत्यापित करेगा जिसमें कार्य समाप्त हुआ है और उल्लिखित जांच में सफल होगा और उस सत्यापित तिथि को नियोक्ता कार्य ग्रहण करना समझेगा। यदि कार्य संविदा में विभिन्न समूहों में विभाजित हुआ है तो नियोक्ता को किसी भी समूह को ग्रहण करने का हकदार होगा या अन्य समूह से पहले या दूसरों और वहां प्रभारी अभियंता समापन प्रमाणपत्र जारी करेगा जो शायद ऐसे समूहों के लिए होगा या इसीलिए केवल समूहों को ग्रहण करेगा। ऐसी दशा में यदि समूह/विभाग/ग्रहण किया गया भाग कार्य के निगमित व्यवस्था से जुड़ा हुआ समूह/प्रभाग/भाग के लिए समापन प्रमाणपत्र होते हुए भी तारीख मंजूर होगी । ऐसे समूह/प्रभाग/अंश के संदर्भ में दायित्व की अवधि कार्य समाप्ति की तारीख से 12(बारह) महीने विस्तारित होगी।
	81.2	ग्रहण करने के बाद त्रुटियां संविदाकार समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेगा । वह संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए त्रुटियुक्त सामग्रियों से उपजने वाली समस्त त्रुटियों को हर संभव गति से बढ़िया बनाएगा या कर्मकौशल या किस अधिनियम या संविदा का लोप या जो सूचित हुआ हो सकता है या कार्य के पश्चात विकसित या कार्य समूहों को ग्रहण किया गया है। ऐसे वहन किए गए कार्य के लिए सामान्यत: एक महीने का समय अनुमत होगा। यदि कोई त्रुटि युक्तियुक्त समय क अन्दर दूर नहीं की जाती है तो नियोक्ता संविदाकार के जोखिम एवं व्यय पर कार्य करने की प्रक्रिया कर सकता है और नियोक्ता द्वारा निर्णित ऐसे राशि को आखिरी बिल से घटाया जा सकता है।

		यदि किसी त्रुटि के कारण संविदाकार की तरफ से कार्य समापन के लिए संविदा द्वारा निर्धारित तिथि के बाद एक महीने के अन्दर कार्य के किसी अंश की दृष्टि से समापन प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है तो नियोक्ता को कार्य को उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी या उसके बाद किसी भी अंश की दृष्टि से प्रदत्त उस कार्य का समापन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है या उसके बाद समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उन कार्यों की समाप्ति के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर उस अंश का इसलिए उपयोग करेगा।
82. गारंटी या गारंटी का स्थानांतरण	82.1	कार्य जैसे जल रोधी, तेजाब एवं क्षार परिशोधन सामग्रियां, दीमक के विरुद्ध भूमि उपचार के पूर्व संरचना से समाप्त करना या किसी अन्य विशिष्ट कार्य आदि के लिए संविदाकार एक तरफ उप-संविदाकार को नियुक्त करेगा । जो क्षेत्र में एवं सम्मानित फर्म का विशेषज्ञ है। ऐसा उप-संविदाकार नियोक्ता को संविदाकार के माध्यम से अपने कर्म कौशल की गारंटी उपलब्ध कराएगा। ऐसा उप-संविदाकार या फर्म नियोक्ता को यदि गारंटी उपलब्ध नहीं कराता है तो संविदाकार उस गारंटी को प्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता को देना होगा।
83. नियोक्ता के कर्मचारियों का प्रशिक्षण	83.1	संविदाकार चयनित कार्मिक अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेवारी लेता है। किसी लागत के बिना नियोक्ता संविदाकार के कार्य पर नियोक्ता द्वारा भेजा जाता है । व्यक्तिगत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रकृति संविदाकार एवं नियोक्ता की आपसी सहमति से होगी। इन कार्मिक अंभियंता को कर्मशाला में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जहां उपकरण संविदाकार द्वारा बनाया जाएगा और/या उनके सहयोगी का कार्य होगा और किसी अन्य संयंत्र में जहां संभव हो संविदाकार द्वारा बनाया जाता है या उसका सहयोगी प्रतिष्ठापन के अधीन रखता है या संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरण के साथ उन कार्मिकों को उपयोगी बनाकर जांचने योग्य बनाता है । नियोक्ता केवल और उल्लिखित कार्मिक अभियंता के अनुभव का वहन करेगा।
84. दोषपूर्ण अंशों एवं सामग्रियों का प्रतिस्थापन	84.1	यदि कार्य प्रगति के दौरान, नियोक्ता संविदाकार को लिखित रूप में निर्णय लेगा एवं सूचित करेगा जिससे संविदाकार किसी संयंत्र या विकृत संयंत्र का भाग या अपूर्ण या विनिर्दिष्ठ गुणवत्ता से निम्नतर संयंत्र को पूरा कर निर्मित होता है । संविदाकार ऐसी त्रुटियों का ब्यौरा प्राप्त करने पर या कर्मियों की सूचना प्राप्त करने के सात (7) दिनों के अन्दर अपने व्यय

		पर करना होगा या यद्यपि ऐसे समय के अंतर्गत वस्तु बनाने के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया, पुनर्निमाण या ऐसे कार्य को हटाकर एवं मानक विनिर्देशनों तक नवीन उपकरणों को लगाने की युक्तियुक्त आवश्यकता हो सकती है । संविदाकार का ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, नियोक्ता संविदाकार को ऐसा करने हेतु सात (7) दिनों की लिखित सूचना देगा । कार्य के अंश को हटाने की प्रक्रिया, इसलिए संविदाकार की लागत पर शिकायत कर, ऐसे समस्त कार्यों को प्रस्तुत करता है या धारा में प्रदत्त ऐसे उपकरणों को नियोक्ता से वंचित या संविदा के अंतर्गत किसी अधिकारों से प्रभावित समझा जाएगा । नियोक्ता अन्यथा ऐसी त्रुटियों एवं कमियों के हित में है ।
	82.2	इस धारा के अंतर्गत संविदाकार नियोक्ता को अतिरिक्त लागत का भुगतान से संतुष्ट करने का पूरा एवं अधिकतम दायित्व होगा । जो संविदा में प्रदत्त निकास/प्रतिष्ठापन सहित ऐसे पुनर्स्थापन को प्राप्त करना हेता है । एसी अतिरिक्त लागत की सुनिश्चितता ऐसे पुनर्स्थापन के लिए नियोक्ता द्वारा देय राशि के बीच भिन्न होती है और ऐसे पुनर्भुगतान के लिए संविदा के मूल्य का अंश और ऐसे पुनर्भुगतान के हित में संविदाकार को नियोक्ता द्वारा किसी देय राशि का पुनर्भुगतान करना होता है । क्या नियोक्ता को इसीलिए त्रुटिपूर्ण संयंत्र की स्थापना नहीं करना चाहिए । ऐसे त्रुटिपूर्ण संयंत्र के लिए संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा समस्त ऐसी देय राशि की पुनर्भुगतान की सीमा इस धारा के अंतर्गत संविदाकार की अधिकतम दायित्व होगा ।
85. क्षतिपूर्ति	85.1	यदि न्यायालय, अधिकरण के पास कोई कार्रवाई की जाती है या नियोक्ता के विरूद्ध कोई विरूद्ध या कोई अधिकारी या असफलता, लोप के लिए नियोक्ता का एजेंट या संविदाकार की ओर से किसी अधिनियमों, मामलों की उपेक्षा होती है या संविदा के अंतर्गत वस्तुओं या नुकसान या जख्म के कारण अभिकथित लोप या संविदाकार, उसके एजेंट्स, प्रतिनिधियों की ओर से उपेक्षित या उसके संविदाकार या उप संविदाकारों के कारीगारों की आपूर्तिकर्तओं के कानूनी मांग पर आधारित किसी दावा से संबंधित या कर्मचारियों, संविदाकार ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति करेगा या नियोक्ता कायम रखेगा या उनके प्रतिनिधि समस्त हानियों, नुकसानों एवं खर्चों से हानि रहित रहेगा या ऐसे कार्रवाई से डिक्री होगा ।
86. निर्माण सहायता, उपकरण, औजार एवं साजो सामान	86.1	संविदाकार कार्यनिष्पादन हेतु सभी अपेक्षित निर्माण उपकरणों, विशेष एडान, बजरों, क्रेनों, एवं ऐसे समस्त टूल्स, साजों सामानों एवं जांच उपकरणों के अपेक्षानुसार आयात

		आदि की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा । इनके आयात किए जाने के मामले में ऐसे उपकरणों, औजारों एवं साजो सामान पर आयात शुल्क की दर उन पर लागू ड्यूटी ड्रॉ बैक का पता संविदाकार को भारत सरकार की संबंधित प्राधिकरण से करना चाहिए । भली भांति समझाना चाहिए कि कस्टम अनापत्ति और/या किसी ड्यूटी का भुगतान और/या ड्यूटी ड्रॉ बैक आदि की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । संविदाकार द्वारा आयात किए गए ऐसे किसी भी उपकरण और सभी करों, ड्यूटी और डाक्यूमेंटेशन के लिए उत्तरदायी होगा । इस मामले में किसी स्पष्टीकरण भारत सरकार की संबंधित एजेंसी/विभाग/मंत्रालय उसे ही संपर्क करना होगा । ऐसे हासिल किए गए समस्त स्पष्टीकरण और उनकी व्याख्या संविदाकार की जिम्मेदारी होगी ।
खंड-VI		**प्रमाणपत्र और भुगतान**
87 दर सूची एवं भुगतान	87.1	संविदाकार की परिलब्धियां नियोक्ता द्वारा संविदाकार को संविदा कागजात के अंतर्गत संविदकार द्वारा कार्य संपन्न किए जाने वाले कार्य को संपन्न करने और पूरे किए गए दायित्वों हेतु भुगतान के मूल्य का निर्धारण संबंधित दर निर्धारण अनुसूची (प्रकृति जिसे प्रयोज्यता द्वारा अधिक निर्धारित किया जाता है लेकिन न कि परिसीमन द्वारा) इस धारा की परवर्ती उप धारा के साथ और वस्तुत: निष्पादित कार्य के लिए जिसे प्रभारी अभियंता की स्वीकृति होने पर भुगतान किया जाएगा । ऐसी निर्धारित राशि (यहां जैसे कि उपलब्ध कराई गई है के अलावा) संविदाकार की एकमात्र एवं पूर्ण परिलब्धि होगी तथा कोई अन्य या अन्य कोई भुगतान जैसा भी हो जो नियत होगा या संविदा के अंतर्गत संविदकार को भुगतान योग्य होगा । (ii) शामिल की जाने वाली दर सूची : संविदाकार द्वारा उदघृत मूल्य/दरें अंतिम प्रमाणपत्र जारी होने तक अपरिवर्तित रहेंगी और वृद्धि के अध्यधीन नहीं होंगी । दर अनुसूची में संविदा कागजात के अनुसार सभी प्रकार की लागतें, व्यय एवं प्रत्येक प्रकार का दायित्व एवं संविदकार द्वारा नियोक्ता को कार्य के निष्पादन, पूर्णता एवं उसे सौंपने में शामिल समस्त प्रकार के जोखिम शामिल माने जाएंगे। संविदकार को कार्य की मात्रा, प्रकृति, विस्तार एवं तीव्रता तथा अपेक्षित सामग्रियों का ज्ञान है माना जाएगा । चाहे संविदा कागजात स्पष्टता न प्रकट कर रहे हों । निविदाकर्ता को कार्य की ऐसी मदों एवं सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए

		दर अनुसूची में इन सबका प्रावधान रखना चाहिए जिससे कार्य संपन्न हो सके । प्रभारी अभियंता का मत कार्य की सामग्रियों जो कि कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है, हेतु संविदकार अंतिम और बाध्यकारी होगा, हालांकि इसे प्रकट नहीं किया जाता है या विशेषकर संविदा कागजात की वर्णित नहीं है । इस विद्यमान प्रावधान सामान्यता कमी करने या किसी भी तरह सीमित नहीं करते क्योंकि किन्हीं मामलों में ऐसा हो सकता है और किन्हीं मामलों में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संविदकार कार्य करें या कार्य निष्पादन करें या समान की आपूर्ति करें या अपनी लागत पर सेवाएं प्रदान करें या भुगतान में बिना किसी वृद्धि के या बिना किसी अतिरिक्त प्रभार या समान प्रभाव वाले शब्दों या ऐसा वर्णित है या ऐसा वर्णित नहीं है कि ये शामिल है और दर अनुसूची में शामिल है । (iii) निर्माण उपकरणों, सामग्रियों, श्रम आदि को आवरित करने वाली दर अनुसूची पिछली उप धारा के प्रावधानों को किसी भी प्रकार से सीमित न करते हुए दर अनुसूची में समस्त निर्माण उपकरणों, अस्थाई कार्य (यहां जैसी व्यवस्था है के सिवाय), पंप, सामग्री, श्रम, बीमा, ईंधन, खपत होने वाली सामग्री, भंडार एवं संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए उपस्कर और दर अनुसूची की प्रत्येक मद संबंध में सभी मामले और काम का निष्पादन या उसका कोई भाग जो पूर्ण हो गया हो, पूर्णत तैयार तथा दिखाए गए अनुसार अनुरक्षित या संविदा कागजात में यथा निर्दिष्ट या संविदा के क्रियान्वयन की अवधि में लिखित में आदेशित लागत को शामिल तथा आवरित माना जाएगा। (iv) रायल्टी, भाड़ा एवं दावों को आवरित करने के लिए दर अनुसूची दर अनुसूची में (अर्थात संविदा का मूल्य) में समझा जाएगा कि समस्त रायल्टीज की लागत एवं मदों एवं प्रक्रियाओं हेतु शुल्क शामिल है जोकि शब्दश:, पेटेंट और अन्यथा गठित है या कार्य के संबंध में उपयोग में शामिल है, साथ ही समस्त रायल्टीज, भाड़ा एवं कार्य संपन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री प्राप्त करने में नियोक्त को क्षतिपूर्ति शामिल है,

		मिलेगी जिसे संविदाकार एतद्द्वारा सभी कार्रवाइयों, कार्यवाहियों, दावों, क्षतियों, लागतों और व्ययों जो कि गठित होने या ऐसी मदों, प्रक्रियाओं, सामग्रियों, चुंगी या अन्य नगर निगम या स्थानीय बोर्ड प्रभार क्षति पूर्ति देगा यदि कार्य पर उपयोग हेतु लाई जाने हेतु सामग्रियों, उपकरणों या मशीनों पर व्यय को संविदाकार वहन करेगा। (v) करों एवं शुल्कों को शामिल करने के लिए दर अनुसूचित दर अनुसूची में (अर्थात संविदा का मूल्य) में समझा जाएगा कि समस्त रायल्टीज की लागत एवं मदों एवं प्रक्रियाओं हेतु शुल्क शामिल है जोकि शब्दश:, पेटेंट और अन्यथा गठित है या कार्य के संबंध में उपयोग में शामिल है, साथ ही समस्त रायल्टीज, भाड़ा एवं कार्य संपन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री प्राप्त करने में नियोक्त को क्षतिपूर्ति शामिल है, मिलेगी जिसे संविदाकार एतद्द्वारा सभी कार्रवाइयों, कार्यवाहियों, दावों, क्षतियों, लागतों और व्ययों जो कि गठित होने या ऐसी मदों, प्रक्रियाओं, सामग्रियों, चुंगी या अन्य नगर निगम या स्थानीय बोर्ड प्रभार क्षति पूर्ति देगा यदि कार्य पर उपयोग हेतु लाई जाने हेतु सामग्रियों, उपकरणों या मशीनों पर व्यय को संविदाकार वहन करेगा।

v) <u>विलम्ब जोखिम को कवर करने की दर अनुसूची :</u>

दर अनुसूची में कार्य के बारे में संविदाकार के आचरण की वजह से विलम्ब की सभी संभावनाओं और व्यवधान को शामिल किया गया तथा कवर किया गया माना जाएगा जो नियोक्ता द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिए गए आदेशों और विभिन्न कारणों से बढ़ाई गई समय-अवधि सहित किसी कारण से अथवा सभी अन्य संभावित अथवा विलम्ब के संभावित कारणों से उत्पन्न हो सकता है।

vi) <u>अनुसूची की दरों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता :</u>

यूनिट दर आधारित किसी कार्य के संबंध में दर अनुसूची में संबंधित कार्यों अथवा उनके किसी भाग में संशोधन किए जाने, परिवर्तन किए जाने, विस्तार किए जाने, कम किए जाने अथवा कार्य किए जाने के कारण कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुसूची में उल्लिखित दरों में उन दरों को पूर्णत: शामिल किया गया है जो संविदाकार ने निर्धारित की हैं तथा जिन पर नियोक्ता ने सहमति व्यक्त की है और इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

एकमुश्त संविदाकारों को वास्तविक रूप से किए गए कार्य के अनुसार भुगतान किया जाएगा जिसके लिए एक मदवार अथवा कार्य-वार दर अनुसूची प्रेषित की जाएगी जो किए गए कार्य के मूल्य का आकलन करने और चालू खाता बिल तैयार करने के लिए उपयुक्त होगी।

दर अनुसूची में शामिल न किए गए किसी अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान केवल परिवर्तन आदेश जारी किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

88 किए जा रहे कार्य को मापने और बिल बनाने की प्रक्रिया-विधि :

88.1 <u>बिल बनाने की प्रक्रिया</u> :

संविदाकार द्वारा किए गए कार्यों के बिल तैयार करने में निम्नलिखित प्रक्रियाविधि अपनाई जाएगी :

88.1.1 सभी प्रकार की माप संबंधित नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई मानक मापने की शीट पर छह प्रतियों में दर्ज की जाएगी और जांच तथा पास करने के लिए नियोक्ता / परामर्शदाता को प्रस्तुत की जाएगी।

88.1.2 नियोक्ता/परामर्शदाता मानक शीट पर दर्ज की गई माप की जांच तथा छानबीन करेगा और मापने की इन शीटों पर संबंधित माप की वास्तविकता को सत्यापित करेगा।

88.1.3 प्रभारी इंजीनियर इस संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार विस्तृत जांच करने के बाद सभी प्रकार से पूर्ण करके प्रस्तुत किए गए बिल को प्रस्तुत किए जाने के 7 दिन के भीतर पास करेगा और उन्हे नियोक्ता को संविदाकार को उनका भुगतान करने के लिए भेजेगा।

88.1.4 गेल संबंधित प्रभारी इंजीनियर द्वारा सत्यापन की तारीख से 15 दिन (पन्द्रह) के भीतर संयुक्त माप के आधार पर प्रस्तुत किए गए बिल की निरपवाद राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगी।

88.1.5 सभी प्रकार की माप नियोक्ता/परामर्शदाता विनिर्देशन/संविदा दस्तावेज में यथा-निर्धारित पद्धतियों के अनुसार दर्ज की जाएगी। नियोक्ता/परामर्शदाता संबंधित माप बहियों/बिलों में दर्ज की गई माप की मात्रा तथा गुणवत्ता की जांच करने के लिए पूर्णत: उत्तरदायी होगा।

88.1.6 अंतिम बिल तैयार करते समय समग्र माप को पुन: नहीं लिया जाएगा। केवल पिछली माप के बिल के बाद में निष्पादित किए गए कार्य की मात्रा पर ही अंतिम माप के सार के साथ अंतिम बिल के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, कोई माप छूट जाने के बारे में विस्तृत जांच की जाएगी तथा किसी मद अथवा माप के छूट जाने की स्थिति में उसे दर्ज किया जाएगा।

88.1.7 <u>कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली</u> : गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली शुरू की है जिसमें संविदाकार की ओर से गेल में बिल प्रस्तुत किए जाने पर एक रसीद तैयार की जाती है। संबंधित संविदाकार गेल की वेबसाइट से अपने बिल की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

88.2 <u>सामग्री के संबंध में अग्रिम जमानती राशि</u> :

जब तक इस निविदा में अन्यथा उपबंधित न हो संविदा की मद (मदों) को निष्पादित करने के लिए कार्य स्थल पर लाई गई सामग्री की जमानत पर संविदाकार को किसी भी प्रकार की 'जमानती अग्रिम राशि' प्रदान नहीं की जाएगी।

88.3 <u>माप से संबंधित विवाद</u> :

कार्य की किसी मद के संबंध में इस संविदा में कवर न की गई किसी माप पद्धति के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अद्यतन भारतीय मानक विनिर्देशनों के अनुसार माप पद्धति का अनुसरण किया जाएगा।

88.4 <u>राशि को पूर्णांक बनाना</u> :

भुगतान के लिए तैयार किए गए प्रत्येक प्रमाण-पत्र में संविदाकार को प्रत्येक मद के संबंध में देय राशि की गणना करने के लिए 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा और प्रत्येक प्रमाण-पत्र की कुल राशि निकटतम रुपए में पूर्णांक बनाई जाएगी अर्थात 50 पैसे से कम की राशि की गणना नहीं की जाएगी तथा 50 पैसे से लेकर एक रुपए तक की राशि को एक रूपया माना जाएगा।

89 निविदा में एक-मुश्त राशि:

89.1 किसी एकमुश्त मद के बारे में भुगतान केवल संविदा के प्रावधान के अनुसार उस मद के पूरी होने पर संबंधित प्रभारी इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने पर किया जाएगा।

90 अग्रिम के रूप में माना जाने वाला चालू खाता भुगतान :

90.1 सभी चालू खाता भुगतान को केवल अंतिम भुगतान के संबंध में किया गया अग्रिम भुगतान माना जाएगा और इसे वास्तविक रूप से किए गए तथा पूरे किए गए कार्य के लिए भुगतान नहीं माना जाएगा तथा इससे खराब, कमजोर और अपूर्ण अथवा अकुशल कार्य को हटाए जाने अथवा समस्या को दूर करने एवं पुन: निर्माण करने अथवा पुन: स्थापित करने अथवा संविदा के उचित निष्पादन को स्वीकार किए जाने पर विचार करने अथवा उसके किसी भाग पर इस संबंध में विचार किए जाने की अपेक्षा करने अथवा संविदाकार द्वारा किसी दावे के उत्पन्न होने पर कोई रोक नहीं लगेगी और न ही इसका इन शर्तों के तहत अथवा इनमें से किसी शर्त के तहत लेखाओं के अंतिम निपटान तथा समायोजन के संबंध में अथवा अन्यथा के संबंध में अथवा किसी अन्य प्रकार से नियोक्ता की शक्तियों पर कोई परिणाम नहीं होगा, निर्धारण नहीं होगा अथवा प्रभाव नहीं होगा अथवा संविदा पर कोई प्रभाव नहीं होगा अथवा संविदा में परिवर्तन नहीं होगा। संविदाकार को वास्तविक रूप से कार्य पूरा किए जाने की जारीख से एक माह के भीतर अंतिम बिल प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रभारी इंजीनियर द्वारा माप का प्रमाण-पत्र और तदनुसार कार्य के लिए देय कुल राशि अंतिम होगी तथा सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगी।

91 अतिरिक्त भुगतान के लिए दावों की सूचना देना :

91.1 यदि संविदाकार यह सोचता है कि उसके द्वारा कार्य के संबंध में मूल विनिर्देशन में परिवर्तन किए जाने के कारण किए गए किसी अतिरिक्त/अन्य कार्यों अथवा सामग्री के लिए अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए तो वह लिखित में संबंधित प्रभारी इंजीनियर को लिखित में तत्काल यह सूचना देगा कि उसने अतिरिक्त भुगतान का दावा किया है। इस प्रकार की सूचना उस प्रभारी इंजीनियर को दी जाएगी जिसे संविदाकार इस प्रकार के दावे प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार की सूचना में दावा की गई पूरी राशि के ब्यौरे सहित इस प्रकार के दावे के स्वरूप का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। इस संविदा में किसी प्रतिकूल प्रावधान के बावजूद संविदाकार को इस प्रकार का कार्य शुरू करने के 10 (दस) दिन के भीतर नियोक्ता को दावा प्रस्तुत करने के अपने इरादे के बारे में और 30 (तीस) दिन के भीतर दावे की मात्रा के संबंध में सूचित करना चाहिए, ऐसा न करने पर संविदाकार किसी प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति/हर्जाने का दावा करने अथवा मामले को

विवाचन के लिए भेजे जाने के अपने अधिकार को खो देगा। संविदाकार के उपर्युक्त उल्लिखित अनिवार्य ब्यौरे के बिना किसी दावे को उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत न करने पर उसे पूरी तरह छोड़ना होगा। यदि संविदाकार उपर्युक्त आवश्यक विवरण और निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसी दावे को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे इस प्रकार के दावे को पूर्णत: छोड़ना होगा। नियोक्ता की ओर से ऐसे दावे को रद्द करने में न तो विलम्ब होना चाहिए और न ही कोई चूक होनी चाहिए तथा यदि ऐसा होता है तो यह माना जाएगा कि नियोक्ता को इस संबंध में जो अधिकार प्राप्त है, उनमें से उसने किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं किया है।

91.2 प्रभारी इंजीनियर यथा-उपयुक्त समय-अवधि के भीतर इस प्रकार के दावों की समीक्षा करेगा तथा उपयुक्त रूप से विचार-विमर्श किए जाने के बाद यथा-उपयुक्त तरीके से इनका निपटान करेगा। तथापि संविदाकार इस प्रकार के दावों के परिणाम

पर ध्यान दिए बिना उसके दावों पर नियोक्ता द्वारा विचार किए जाने की अवधि के दौरान कार्य को जारी रखेगा, यदि कार्यों के लिए अतिरिक्त भुगतान को संविदा के प्रावधानों के अनुसार औचित्यपूर्ण माना जाता है तो नियोक्ता उसे सामान्य कार्य के भुगतान की तरह ही जारी करने की व्यवस्था करेगा। नियोक्ता द्वारा इस प्रकार स्वीकार किए गए अतिरिक्त कार्यों को संविदा के यथा-लागू सभी निबंधनों, शर्तों, निर्धारण तथा विनिर्देशनों से अभिशासित किया जाएगा। इस प्रकार के अतिरिक्त कार्यों की दर सामान्यत: संविदा में उल्लिखित यूनिट दर होगी। इस प्रकार किए गए कार्यों के संबंध में संविदा के अनुसार यूनिट दर उपलब्ध न होने की स्थिति में इनका भुगतान कार्य-दिवस जिसके लिए कामगारों के लिए प्रतिदिन/घण्टा दर और उपस्कर के लिए घण्टा दर लागू होगी, के आधार पर अथवा संविदा में पहले से मौजूद यूनिट दर के इंटरपोलेशन/एक्स्ट्रापोलेशन से निर्धारित की गई यूनिट दर के आधार पर दिया जाएगा। इन दर को लागू करने और संविदाकार के अतिरिक्त कार्य के दावे को अन्यथा स्वीकार करने से संबंधित सभी मामलों में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

92 संविदाकार के बिलों का भुगतान :

92.1 जब तक समग्र कार्य पूरा न कर लिया जाए और कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाए 10,000 रुपए से कम लागत के कार्य के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किंतु अनुमानित कार्य 10,000 रुपए से अधिक की लागत का होने की स्थिति में वह संविदाकार उस प्रभारी इंजीनियर द्वारा अनुमोदित तथा पास किए गए उसके भाग के अनुपात में मासिक भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसके इस प्रकार के अनुमोदन तथा पास किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र के अनुसार इस प्रकार देय राशि संविदाकार के लिए अंतिम और निर्णायक होगी। इस प्रकार की राशि का भुगतान संबंधित सामग्री, संविदा निष्पादन प्रतिभूति, कर इत्यादि के संबंध में संविदा दस्तावेज में यथा-निर्धारित अनिवार्य संशोधन/कटौती करने के बाद ही किया जाएगा।

92.2 नियोक्ता द्वारा संविदाकार को देय राशि का भुगतान संविदाकार के पंजीकृत कार्यालय अथवा अधिसूचित कार्यालय को खाता भुगतान चैक भेजकर किया जाएगा। किसी अप्राधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के चैक का दुरुपयोग/दुर्विनियोजन किए जाने पर नियोक्ता किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। सभी मामलों में संविदाकार उपयुक्त रूप से रसीदी टिकट लगे कागज पर विधिवत रूप से पहले से प्राप्त बिल को प्रस्तुत करेगा और भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा।

93 भुगतान प्राप्त करना :

92.3 सामान्यत: संविदाकार को इस संविदा के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद संयुक्त माप के आधार पर बिल प्रस्तुत करने के 60 दिन के भीतर अंतिम बिल का भुगतान कर दिया जाएगा।

93.1 किसी फर्म द्वारा कार्य निष्पादित किए जाने की स्थिति में किए जाने वाले भुगतान की रसीद पर, यदि संविदाकारों का लिमिटेड कम्पनी के रूप में उनकी निविदा में उल्लेख किया गया है तो इस रसीद पर

कम्पनी की ओर से इसके किसी प्रधान अधिकारी अथवा कम्पनी की ओर से राशि प्राप्त करने का प्राधिकार रखने वाले कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, की स्थिति को छोड़कर संविदाकार की ओर से पावर आफ अटार्नी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

94 कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र: 94.1 <u>कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना :</u>

संविदाकार अपने दायित्व को पूरा करने के बाद कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

संबंधित प्रभारी इंजीनियर सामान्यत: संविदाकार से कोई आवेदन प्राप्त करने के बाद कार्य पूरा करने संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करने तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि संबंधित कार्य संविदा दस्तावेज के अनुसार और इसमें निर्धारित किए गए निर्माण तथा स्थापना नक्शें के अनुसार पूरा कर दिया गया है, एक माह के भीतर कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

इस प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के बाद संविदाकार इस संविदा की शर्तों के तहत निष्पादित किए गए कार्य का अंतिम बिल प्रस्तुत करने का पात्र होगा।

94.2 <u>कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र :</u>

सभी प्रकार से कार्य को पूरा करने के एक माह के भीतर संविदाकार को संबंधित प्रभारी इंजीनियर द्वारा कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा किंतु जब तक कार्य-स्थल से सभी प्रकार की संरचना, अतिरिक्त सामग्री और कूड़ा-करकट पूरी तरह साफ न कर दिया जाए और प्रभारी इंजीनियर द्वारा उस की माप न कर ली जाए जिसकी माप बाध्यकारी और निर्णायक होगी, कोई प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा और न ही कार्य को निष्पादित किया गया माना जाएगा। जब तक प्रभारी इंजीनियर इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि सभी अस्थाई कार्य, श्रमिक तथा स्टाफ कालोनी साफ कर दी गई है, कार्य को पूरा किया गया और नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया गया नहीं माना जाएगा।

यदि संविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई तारीख को अथवा उससे पहले इस खण्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है तो प्रभारी इंजीनियर उस संविदाकार के खर्च पर इस प्रकार की संरचना, अतिरिक्त सामग्री ओर कूड़ा-करकट को हटवा सकता है और यथा-उपयुक्त रूप से इसका निपटारा कर सकता है तथा इस प्रकार की उपर्युक्त सामग्री को साफ करवा सकता है और संविदाकार इस प्रकार वहन किए गए व्यय की राशि का भुगतान तत्काल करेगा तथा उसे इस प्रकार की सामग्री का विक्रय करके प्राप्त की गई वास्तविक राशि को छोड़कर, इस प्रकार की किसी संरचना अथवा अतिरिक्त सामग्री के संबंध में दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

94.3 <u>कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र दस्तावेज :</u>

खण्ड 94.0 के उद्देश्यार्थ निम्नलिखित दस्तावेजों को कार्य पूरा करने संबंधी दस्तावेज माना जाएगा :

i) वे तकनीकी दस्तावेज जिनके अनुसार कार्य किया गया था।

ii) निर्माण नक्शों के छह (6) सैट जिनमें कार्य निष्पादित करने के

दौरान किए गए संशोधन और शुद्धियों को दर्शाया गया हो तथा उन पर प्रभारी इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।

iii) 'एम्बेडिड' और 'कवर्ड' अप कार्य के लिए पूरा करने संबंधी प्रमाण-पत्र।

iv) विभिन्न कार्यों के लिए यथा-निर्धारित अंतिम स्तर प्रमाण-पत्र।

v) विभिन्न कार्यों के लिए की गई जांच संबंधी प्रमाण-पत्र।

vi) सामग्री विनियोजन, कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा जारी की गई सामग्री का विवरण और नियोक्ता के स्टोर को वापस की गई अतिरिक्त सामग्री की सूची जिनके बारे में विधिवत रूप से सहायक अनिवार्य दस्तावेज संलग्न किए गए हों।

95 अंतिम निर्णय और अंतिम प्रमाण-पत्र :

95.1 दायित्व की अवधि समाप्त होने पर और प्रभारी इंजीनियर के इस बात से संतुष्ट हो जाने की शर्त के अधीन कि संविदाकार ने खण्ड 80 और 81 में यथा उपबंधित वर्षा ऋतु अथवा इसी प्रकार की अवधि के दौरान कार्य को विधिवत रूप से अनुरक्षित रखा गया है और यह कि संविदाकर ने किसी कमी को पूण्रत: पूरा कर दिया है तथा संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों को निष्पादित किया है, प्रभारी इंजीनियर (इसके प्रासंगिक खण्ड के प्रावधानों को बनाए रखने के नियोक्ता के अधिकारों को प्रभावित किए बिना) इसमें अंतिम प्रमाण-पत्र के रूप में यथा-उल्लिखित इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा और नियोक्ता द्वारा कार्य के बारे में की गई किसी पूर्ववर्ती प्रविष्टि और कब्जा लिए जाने, उसका उपयोग किए जाने अथवा उस पर कार्य किए जाने अथवा उसके किसी भाग का उपयोग किए जाने के बावजूद जब तक प्रभारी इंजीनियर द्वारा अंतिम प्रमण-पत्र प्रदान न कर दिया जाए संविदाकार को इस संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूर्णत: पूरा करने वाला नहीं माना जाएगा।

96 कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र तथा कार्य पूरा करने के साक्ष्य के आधार पर भुगतान :

96.1 अंतिम प्रमाण-पत्र को छोड़कर नियोक्ता द्वारा संविदा के अथवा उसके किसी भाग के यथा-उपयुक्त निष्पादन को स्वीकार करने के लिए अथवा संविदाकार द्वारा किसी दावे की उपयुक्तता अथवा वैधता को स्वीकार करने के लिए किसी अन्य प्रमाण-पत्र अथवा किसी प्रमाण-पत्र के आधार पर भुगतान अथवा किसी सामान्य खाते के आधार पर भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

97 संविदा मूल्य से कटौती करना :

97.1 इस संविदा के प्रावधानों के तहत सभी लागत, क्षति अथवा व्यय जो नियोक्ता अदा कर सकता है अथवा वहन कर सकता है, संबंधित संविदाकार नियोक्ता द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करेगा/भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के सभी दावे जब देय हो नियमित रूप से नियोक्ता द्वारा इनके संबंध में बिल संविदाकार को भेजे जाएंगे। संविदाकार इस प्रकार के दावों का भुगतान संबंधित बिल प्राप्त होने के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर करेगा और यदि संविदाकार ने इस अवधि में ऐसा नहीं किया तो नियोक्ता इस राशि को संविदाकार को देय किसी धनराशि अर्थात् संविदा निष्पादन प्रतिभूति अथवा संविदा के तहत संविदाकार को देय राशि में से प्राप्त कर सकता है अथवा यदि संविदाकार इस प्रकार के दावों का भुगतान नियोक्ता को करने में असफल रहता है तो किसी कानूनी अथवा अन्यथा कार्रवाई से वसूल कर सकता है।

खण्ड-VII कर और बीमा

98 कर, सीमा शुल्क, चुंगी इत्यादि :

98.1 संविदाकार एतद्वारा स्वयं द्वारा रोजगार पर रखे गए व्यक्तियों को प्रदान किए वेतन, मजदूरी अथवा प्रतिपूर्ति के संबंध में अथवा इसके तहत कवर के संबंध में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा अब अथवा इसके बाद बेरोजगारी प्रतिपूर्ति, बीमा तथा वृद्धावस्था पेंशन अथवा एन्यूटी के लिए लगाए जाने वाले सभी प्रकार के अंशदान तथा कर और कार्यों तथा सामग्री के संबंध में समय-समय पर की गई वृद्धि, लगाए अथवा संशोधित किए गए सभी बिक्री कर, सीमा शुल्क, चुंगी इत्यादि तथा इस समय लागू, अब अथवा इसके बाद उत्पाद शुल्क, चुंगी इत्यादि सहित किसी और सभी प्रकार के कर, सीमा शुल्क के भुगतान करने के उत्तरदायित्व को पूर्णत: स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त

करता है तथा स्वीकार करता है और संविदाकार यथा-लागू सभी केन्द्रीय, राज्य, नगर-निगम और स्थानीय कानून तथा विनियम और किसी केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकारी अभिकरण अथवा प्राधिकरण की अपेक्षाओं सहित सभी उप-संविदाओं का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त संविदाकार इस बात पर भी सहमत है कि वह इस संविदा द्वारा किसी तृतीय पक्षकार अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के प्राधिकरण अथवा इनके किसी प्रशासनिक उप-मण्डल द्वारा प्रदान किए गए किसी कार्य को करने से अथवा उसके कारण से नियोक्ता के विरूद्ध संविदाकार अथवा उप-संविदाकार द्वारा इस प्रकार के कानूनों के किसी उल्लंघन के कारण दायर किए जाने वाले वाद अथवा कार्यवाही के अनुसार केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाई जाने वाली किसी शास्ति अथवा देनदारी से नियोक्ता को बचाएगा, क्षतिपूर्ति करेगा तथा सुरक्षित रखेगा।

कर-कटौती समय-समय पर प्रचलित अधिनियमों के अनुसार यथा-लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप की जाएगी।

99 बिक्री कर/टर्नओवर कर : 99.1

निविदादाता को संविदा के निष्पादन में स्वयं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए खरीदे गए घटकों के संबंध में अथवा समग्र रूप से संविदा के कार्यों के संबंध में बिक्री कर/टर्नओवर कर की देयता सहित सभी प्रकार की कीमत को शामिल करके इनका उल्लेख करना चाहिए। नियोक्ता इस संविदा के संबंध में निविदादाता की इस प्रकार की किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

100 सांविधिक अंतर : 100.1

संविदाकार को तैयार किए गए उत्पाद पर यथा-लागू उत्पाद कर और बिक्री कर सहित सभी प्रकार की कीमत का उल्लेख करना चाहिए। इस संविदा की अवधि के दौरान तैयार किए गए उत्पाद पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी जिसके लिए संविदाकार गेल को अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। तथापि, इस संविदा की अवधि के बाद इन करों और शुल्कों (ई.डी. और एस.टी.) की दर में की जाने वाली कोई वृद्धि संविदाकार की जिम्मेदारी होगी और इनमें की जाने वाली कोई कमी गेल को भेजी जाएगी।

101 बीमा : 101.1 <u>सामान्य</u>

संविदाकार निम्नलिखित प्रकार से नियोक्ता को संतुष्ट करने के लिए किसी विख्यात बीमा कम्पनी से बीमा कवर प्राप्त करने की व्यवस्था अपने व्यय पर करेगा और उसे बनाए रखेगा :

संविदाकार इस संविदा में यथा-उल्लिखित सभी प्रकार जोखिम के विरूद्ध नियोक्ता के हित के लिए और जारी कार्यों की सुरक्षा के लिए इनकी सभी प्रकार की राशि के पूर्ण मूल्य के लिए अपने व्यय पर यथा-आवश्यक बीमा कवर की व्यवस्था करेगा, उसे प्राप्त करेगा तथा बनाए रखेगा। प्रत्येक मामले में उसके संबंधित कार्यों सहित इस संविदा में यथा-परिभाषित इस प्रकार के बीमे का स्वरूप तथा सीमा नियोक्ता को स्वीकार होनी चाहिए। तथापि कार्य को

स्वीकार करने पर ध्यान दिए बिना इस संविदा की अवधि के दौरान सभी समय पर्याप्त बीमा कवरेज को बनाए रखने का उत्तरदायित्व केवल संविदाकार का होगा। इस संबंध में संविदाकार के असफल रहने पर उसे इस संविदा के तहत उसके किसी दायित्व और उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

नियोक्ता द्वारा कार्य को स्वीकार किए जाने के समय तक समुद्री परिवहन, बंदरगाह/सीमा-शुल्क मंजूरी, जमीन और बंदरगाह पर संभालने, जमीन के रास्ते परिवहन, स्टोर करने, स्थापित करने तथा शुरू करने के दौरान किसी उपस्कर के संबंध में होने वाली हानि अथवा क्षति संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। संविदाकार संबंधित कार्य के भाग के संबंध में हुई हानि अथवा क्षति की मरम्मत करके और/अथवा उसको बदलकर उस क्षति अथवा हानि के लिए उसे ठीक करने के संबंध में किए गए सभी दावों के लिए उत्तरदायी होगा। संविदाकार इस संविदा के अनुसरण में स्वयं द्वारा कराई गई बीमा पालिसी तथा दस्तावेज की प्रति नियोक्ता को प्रदान करेगा। संविदाकार इस प्रकार की बीमा कवरेज प्राप्त करने पर तत्काल इनकी प्रतियां नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा। संविदाकार इस प्रकार के दस्तावेजों की अवधि समाप्त होने/रद्द किए जाने और/अथवा इनमें कोई परिवर्तन किए जाने के बारे में कम से कम 60 (साठ) दिन पहले नियोक्ता को सूचित करेगा और यथा-समय यथा-आवश्यक इन्हें वैध कराने/नवीकरण इत्यादि को सुनिश्चित करेगा।

मार्ग में और/अथवा स्थापना किए जाने के दौरान खो गए किसी उपस्कर को बदलने के उद्देश्य से अपेक्षित किसी विदेशी आपूर्ति के संबंध में यदि कोई हो, सांविधिक मंजूरी नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, संविदाकार इस प्रकार के किसी आयात के बारे में अपेक्षित लाइसेंस, बंदरगाह मंजूरी प्राप्त करने और अन्य औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए उत्तरदायी होगा। बीमा के तहत कवर किए जाने वाले जोखिम में संभालने, मार्ग में हानि अथवा क्षति, चोरी, उठाईगिरी, दंगा, नागरिक हुल्लड, मौसम संबंधी दशाएं, सभी प्रकार की दुर्घटना, आग लगने की घटना, युद्ध जोखिम (केवल समुद्री परिवहन के दौरान) इत्यादि शामिल होंगे किंतु यह इन तक ही सीमित नहीं होगा। इस प्रकार के बीमा के क्षेत्राधिकार में समय-समय पर आयात किए जाने वाले उपस्कर, संयंद्ध और सामग्री की आपूर्ति के समग्र मूल्य को कवर किया जाएगा।

इस संविदा के तहत शामिल की गई बीमा देयता से संबंधित सभी लागत संविदाकार की जिम्मेदारी होगी और इन्हें संविदा के मूल्य में शामिल किया जाएगा। तथापि, नियोक्ता इस संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर संविदाकार से लिखित में बीमा कवरेज जोखिम को सीमित करने के लिए कह सकता है और इस प्रकार की स्थिति में इस संविदा के पक्षकार आपसी सहमति से इस प्रकार कम की गई प्रीमियम राशि की सीमा तक संविदा के मूल्य को कम करने पर सहमत होंगे।

जहां तक संभव हो, संविदाकार समुद्र/परिवहन के दौरान समुद्री बीमा सहित किसी भारतीय बीमा कम्पनी से ही बीमा करार प्राप्त करेगा।

i) <u>कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम :</u>

संविदाकार इस संबंध में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा निर्धारित किए गए सभी दायित्वों का अनुपालन

करने पर सहमत है और एतद्वारा पूर्णत: और अनन्य रूप से इसे स्वीकार करता है तथा संविदाकार इस पर भी सहमत है कि वह संविदाकार अथवा उप-संविदाकार द्वारा राज्य कर्मचारी बीमा निगम, 1948 का कोई उल्लंघन किए जाने के कारण केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाई जाने वाली किसी देयता अथवा शास्ति से नियोक्ता को सुरक्षित रखने के लिए उनका बचाव करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा तथा उसे इस संविदाकार द्वारा, तृतीय पक्षकार द्वारा,

अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा अथवा इनके किसी राजनीतिक उप-मण्डल द्वारा प्रदान किए गए कार्य के कारण अथवा उसे करने से उसके विरूद्ध चलाए जाने वाले सभी दावों, वाद अथवा कार्यवाही से भी सुरक्षित रखेगा।

संविदाकार अपने अथवा उप-संविदाकार के ऐसे कर्मचारियों जिन्हें इस कार्य के लिए तैनात किया गया है अथवा जो इस करार के तहत समय-समय पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कवर किए गए हैं, के संबंध में सभी यथा-अपेक्षित फार्म सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के घोषणा फार्म को भरने पर सहमत है। संविदाकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्रथम अनुसूची के अनुसार वेतन से कर्मचारियों के अंशदान को काटने के लिए इस राशि को काटने तथा प्राप्त करने के लिए उप-संविदाकार के साथ करार करेगा तथा वेतन भुगतान अवधि पर कर्मचारी के अंशदान कार्ड को चिपकाएगा। संविदाकार इस अधिनियम में यथा-अपेक्षित कर्मचारी के अंशदान को भारतीय स्टेट बैंक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम खाते में भेजने के लिए उप-संविदाकार के साथ इसे भेजने तथा प्राप्त करने के बारे में करार करेगा। संविदाकार संबंधित कर्मचारियों के संबंध में इस अधिनियम में यथा-अपेक्षित सभी कार्ड तथा रिकार्ड को सुरक्षित रखने पर सहमत है और संविदाकार इस प्रकार के रिकार्ड को रखने के लिए उप-संविदाकार के साथ करार करेगा। अंशदान के लिए, अंशदान करने अथवा रिकार्ड को सुरक्षित रखने से संबंधित व्यय को वहन करने की जिम्मेदारी संविदाकार अथवा उप-संविदाकार की होगी।

नियोक्ता संबंधित संविदाकार द्वारा इस प्रकार का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने तक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा यथा-अपेक्षित सभी अंशदान का भुगतान कर दिया गया है संविदा के कुल मूल्य से यथा-आवश्यक राशि अपने पास रखेगा। यह राशि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कार्य-स्थल पर लागू रहने तक संविदाकार पर लंबित रहेगी।

ii) <u>कामगार प्रतिपूर्ति और कर्मचारी देयता बीमा :</u>

इस संविदा को निष्पादित करने के लिए तैनात किए गए संविदाकार के सभी कर्मचारियों का बीमा कराया जाएगा। यदि कोई शिकमी दिया गया है तो संविदाकार संबंधित उप-संविदाकार से यह अपेक्षा करेगा कि वह कामगार और बाद के कर्मचारियों यदि ऐसे कर्मचारी संविदाकार के बीमे के तहत कवर नहीं किए गए हैं तो की प्रतिपूर्ति करे।

iii) <u>कामगार की दुर्घटना होने अथवा चोट लगने की स्थिति :</u>

नियोक्ता संबंधित संविदाकार अथवा किसी उप-संविदाकार के रोजगार पर कार्य करने वाले किसी कामगार अथवा किसी

अन्य व्यक्ति की दुर्घटना होने अथवा उसे चोटिल होने के संबंध में अथवा के परिणामस्वरूप कानून के अनुसार देय होने वाली किसी क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिपूर्ति के संबंध में अथवा के लिए, नियोक्ता, उसके अभिकर्त्ता अथवा सेवकों के किसी कार्य अथवा दोष के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटना अथवा चोट को छोड़कर उत्तरदायी नहीं होगा और संविदाकार इस प्रकार की सभी क्षति और प्रतिपूर्ति (उपर्युक्त को छोड़कर और अतिरिक्त) तथा इनके संबंध में अथवा इनके बारे में सभी प्रकार के दावों, मांग, कार्यवाही, लागत, प्रभार और व्यय से नियोक्ता का बचाव करेगा तथा उसे सुरक्षित रखेगा।

iv) <u>मार्ग के दौरान बीमा</u>

संविदाकार द्वारा कार्य-स्थल पर भेजी जाने वाली सभी मदों के संबंध में मार्ग के दौरान बीमे की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जानी चाहिए और इस संबंध में उद्धृत कीमत में यह लागत भी शामिल होगी।

v) <u>विस्तृत ऑटोमोबाइल बीमा</u>

यह बीमा इस प्रकार किया जाएगा कि संविदाकार को नियोक्ता के व्यक्तियों सहित आम जनता के संबंध में चोट, विकलांगता, बीमारी और मृत्यु से संबंधित सभी दावों के और अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को कार्य-स्थल पर अथवा कार्य-स्थल के बाहर मोटर वाहन का उपयोग करने से, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उस वाहन का नियोक्ता कौन है, उत्पन्न होने वाली किसी क्षति के विरूद्ध सुरक्षित रखा जा सके।

vi) <u>विस्तृत सामान्य देयता बीमा</u>

क) इस बीमे से संविदाकार को स्वयं उसकी, उसके अभिकर्त्ता, उसके कर्मचारी, उसके प्रतिनिधि और उप-संविदाकार के इसी प्रकार के व्यक्तियों की ओर से किसी कार्य अथवा चूक से अथवा दंगा, हड़ताल और नागरिक हुल्लड़ से आम जनता को लगने वाली चोट, विकलांगता, बीमारी अथवा मृत्यु अथवा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को होने वाली क्षति से सुरक्षित रखा जाएगा।

ख) संविदाकार अपने इंजीनियर और अन्य पर्यवेक्षण स्टाफ जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत कवर नहीं किया गया है, को लगने वाली चोट, क्षति अथवा किसी अन्य प्रकार के जोखिम से बचाने के लिए यथा-उपयुक्त समूह वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर लेगा।

ग) इस पॉलिसी में तृतीय पक्षकार देयता को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार की तृतीय पक्षकार (देयता में मानव जीवन को होने वाली हानि/विकलांगता (ऐसा व्यकित संविदाकार से संबंधित नहीं होना चाहिए) शामिल होगी और इसमें कार्य-स्थल पर निर्माण, स्थापना तथा कार्य शुरू करने के दौरान अन्य सामग्री/उपस्कर/सम्पत्ति को होने वाली क्षति का जोखिम भी शामिल होगा। मानव जीवन की हानि अथवा आंशिक/पूर्णत: विकलांगता की क्षतिपूर्ति की तृतीय पक्षकार देयता का मूल्य यथा-अपेक्षित सांविधिक मूल्य होगा किंतु यह प्रति मृत्यु 2 लाख रुपए, प्रति पूर्णत: विकलांगता 1.5 लाख रुपए और प्रति आंशिक विकलांगता 1.00 लाख रुपए से कम नहीं होगा और इसके बावजूद इसमें भारत के न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार यथा-उल्लिखित प्रतिपूर्ति और क्रेता द्वारा यथा-अनुमोदित अन्य उपस्कर/सम्पत्ति को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति शामिल होगी। तथापि मृत्यु के मामले में तृतीय पक्षकार जोखिम अधिकतम 10 (दस) लाख रुपए होगा।

घ) संविदाकार कार्य-स्थल पर कार्य को निष्पादित करने के लिए अपने संयंत्र, उपस्कर और मशीनरी, स्थापना यंत्र तथा संबंधित उपकरण एवं अन्य सभी अस्थाई सामान के संबंध में होने वाली क्षति, हानि, दुर्घटना, जोखिम इत्यादि को कवर करने के लिए उपयुक्त बीमा व्यवस्था करेगा।

ड.) संविदाकार परियोजना स्थल पर किसी एक अथवा अधिक राष्ट्रीय बीमा कम्पनी की शाखा से नियोक्ता और संविदाकार के संयुक्त नाम से बीमा पॉलिसी लेगा।

च) न्यूनतम पॉलिसी और कवरेज के रूप में एतद्वारा निर्धारित की गई इस प्रकार की बीमा अपेक्षाएं जिन्हें संविदाकार को सुरक्षित तथा लागू स्थिति में रखना चाहिए तथा इनका अनुपालन किया जाना चाहिए, संविदाकार सदैव, स्वयं अपने व्यय पर अतिरिक्त अथवा वृद्धि मूलक कवरेज को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

vii) <u>कानून अथवा विनियम के तहत अथवा नियोक्ता द्वारा अपेक्षित अन्य बीमा कवर :</u>

संविदाकार किसी और सभी प्रकार के ऐसे अन्य बीमा (बीमे) की भी व्यवस्था करेगा जो किसी कानून अथवा विनियम के तहत समय-समय पर अपेक्षित हों और नियोक्ता पर अतिरिक्त लागत नहीं डालेगा। इसके साथ-साथ वह नियोक्ता द्वारा यथा-अपेक्षित किसी अन्य बीमा कवर को भी लेगा और बनाए रखेगा।

102 किसी सम्पत्ति अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी तृतीय पक्षकार को होने वाली क्षति :

102.1 i) संविदाकार संबंधित नियोक्ता के सभी कार्य परिसरों के भीतर नियोक्ता अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा प्राप्त की गई अथवा प्राप्त की जा रही अथवा निष्पादित की जा रही नियोक्ता से संबंधित संरचना और सम्पत्ति को होने वाली किसी हानि अथवा किसी क्षति, यदि इस प्रकार की हानि अथवा क्षति संविदाकार, उसके कर्मचारी, अभिकर्त्ता, प्रतिनिधि अथवा उप-संविदाकार के किसी दोष और/अथवा असावधानी अथवा जानबूझकर किए गए कार्य अथवा चूक की वजह से हुई है, को नियोक्ता की संतुष्टि तक बेहतर बनाने के लिए उत्तरदायी होगा।

ii) संविदाकार अपने संयंत्र, उपस्कर और सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में पर्याप्त सावधानी बरतेगा ताकि उससे ओवरहैड तथा भूमिगत केबल सहित नियोक्ता, अथवा किसी तृतीय पक्षकार की सम्पत्ति अथवा किसी व्यक्ति को कोई क्षति न पहुंचे और उपर्युक्त संयंत्र, उपस्कर अथवा सामग्री को ले जाने के दौरान नियोक्ता अथवा किसी तृतीय पक्षकार की सम्पत्ति को इसके परिणामस्वरूप कोई क्षति होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा यथा-अनुमानित अथवा सुनिश्चित अथवा तृतीय पक्षकार द्वारा मांगी गई किसी संयंत्र अथवा स्थापना के प्रचालन अथवा सेवा, उत्पादन में होने वाली हानि सहित इस

प्रकार की क्षति की लागत संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी। तृतीय पक्षकार देयता जोखिम एकल दुर्घटना के लिए एक लाख रुपए और दस लाख रुपए तक सीमित होगा।

iii) संविदाकार इस करार के तहत अथवा इसके कारण से नियोक्ता की सम्पत्ति से भिन्न किसी अन्य सम्पत्ति की होने वाली क्षति के दावों, यदि ऐसे दावे संविदाकार, उसके कर्मचारियों, अभिकर्त्ता, उप-संविदाकार के

प्रतिनिधि, के किसी दोष और/अथवा असावधानी अथवा जानबूझकर किए गए कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप किए गए हैं, से नियोक्ता को सुरक्षित रखेगा और इनकी प्रतिपूर्ति करेगा।

खण्ड-VIII श्रम कानून

103 श्रम कानून :

103.1 i) इस कार्य पर 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के श्रमिक को नहीं रखा जाएगा।

ii) संविदाकार को स्वयं द्वारा कार्य पर रखे गए श्रमिकों को कानून के तहत न्यूनतम वेतन प्रदान करना होगा।

iii) संविदाकार स्वयं अपने व्यय से सभी श्रम कानूनों का अनुपालन करेगा और नियोक्ता को इनके संबंध में सुरक्षित रखेगा।

iv) संविदाकार यथा-लागू श्रम कानूनों के अनुसार महिला और पुरूष को समान वेतन का भुगतान करेगा।

v) यदि संविदाकार संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम के तहत कवर किया गया है तो वह संविदा के तहत कार्य शुरू करने से पहले अनिवार्य निर्धारित शुल्क तथा जमा राशि का भुगतान करके लाइसेंसिंग प्राधिकारी (अर्थात श्रम आयुक्त के कार्यालय) से लाइसेंस प्राप्त करेगा। इस प्रकार का शुल्क/जमा की जाने वाली राशि संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी।

vi) संविदाकार इस संविदा में यथा-विनिर्दिष्ट सीमा और प्रभारी इंजीनियरी की संतुष्टि तक कामगार क्षमता सुनिश्चित करने के लिए यथा-अपेक्षित प्रगति दर तथा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा उप-संविदाकार के माध्यम से पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को कार्य पर रखेगा।

vii) संविदाकार संबंधित कार्यों की व्यवस्था करने के लिए कार्य पर रखे गए व्यक्तियों की संख्या का वितरण विवरण तथा ब्यौरा प्रभारी इंजीनियर को प्रस्तुत करेगा। संविदाकार पूर्ववर्ती माह के द्वितीय पखवाड़े और वर्तमान माह के प्रथम पखवाड़े के संबंध में वास्तविक विवरण दर्शाते हुए प्रभारी इंजीनियर को प्रत्येक माह की 4 और 19 तारीख को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेगा – (1) ऐसी दुर्घटना जो उक्त पखवाड़े के दौरान घटित हुई है, की उन परिस्थितियों को दर्शाते हुए जिनके तहत वे हुई हैं और उनसे होने वाली क्षति तथा अन्य हानि और (2) ऐसी महिला कामगारों की संख्या जिन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है और उनको भुगतान की गई राशि।

viii) संविदाकार वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कर्मचारी देयता अधिनियम, 1938, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद

अधिनियम, 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और संविदा विनियम तथा उन्मूलन अधिनियम, 1970, बाल रोजगार अधिनियम, 1938 अथवा इनकी किसी अधिसूचना अथवा इनसे संबंधित किसी अन्य कानून और समय-समय पर इनके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

ix) प्रभारी इंजीनियर को संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 में यथा-परिभाषित किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने पर कामगारों के काम के लिए संविदा की शर्तों को पूरी न करने, वेतन अथवा उसकी ओर से की गई कटौती अथवा उनके ऐसे वेतन जो संविदा की शर्तों के अनुसार काटना औचित्यपूर्ण नहीं है, का भुगतान न करने अथवा उक्त विनियमों का अनुपालन न करने के कारण से किसी कामगार अथवा कामगारों को हुई हानि को पूरी करने के लिए अपेक्षित अथवा अनुमानित अपेक्षित राशि को संविदाकार को देय राशि में से काटने की शक्ति प्राप्त होगी।

x) संविदाकार संबंधित नियोक्ता को अपने उप-संविदाकार की ओर से उसके क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के तहत अथवा करने के लिए किए जाने वाले किसी भुगतान से नियोक्ता को सुरक्षित रखेगा। संविदाकार के समय-समय पर यथा-संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके अथवा कोई दोष करके उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत ऐसी कोई सूचना प्रदान करने अथवा प्रस्तुत करने अथवा फार्म/रजिस्टर/स्लिप भरने जो काफी गलत है, की स्थिति में निरीक्षक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संविदाकार उस नियोक्ता को भुगतान की जाने वाली किसी अन्य देयता को प्रभावित किए बिना नियोक्ता को इस प्रकार के प्रत्येक दोष, उल्लंघन, अथवा काफी गलत विवरण प्रस्तुत करने, देने, भेजने, भरने के संबंध में परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में अधिकतम 50.00 रू. की राशि जो प्रभारी इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जा सकती है, का भुगतान करेगा और इस संबंध में संविदाकार द्वारा बार-बार दोष किए जाने पर यह परिनिर्धारित नुकसानी इस निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के अधिकतम एक प्रतिशत की शर्त के अधीन प्रत्येक दिन के दोष के लिए 50.00 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। प्रभारी इंजीनियर इस प्रकार की राशि को संविदाकार के बिल, अथवा संविदा निष्पदन प्रतिभूति से काटेगा और इसे इन अधिनियमों के तहत तैयार की गई कल्याण निधि में जमा करेगा। इस संबंध में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

104 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन : 104.1 संविदाकार प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 और समय-समय पर इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसे उसकी ओर से संविदा का उल्लंघन करना माना जाएगा और प्रभारी इंजीनियर अपने विवेक से संविदा को रद्द कर सकता है। संविदाकार इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली किसी धन-संबंधी देयता के लिए भी उत्तरदायी होगा।

105 संविदाकार को नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करनी होगी : 105.1 i) संविदाकार इस संविदा दस्तावेज के तहत संविदाकार द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह करने में किसी असफलता अथवा इस दस्तावेज के लिए अथवा संबंध में नियोक्ता के विरूद्ध की जाने वाली किसी और सभी कार्रवाई, कार्यवाही, दावों, मांग, लागत और व्यय तथा खण्ड 102.0 में यथा उल्लिखित मामलों के बारे में अथवा के संबंध में की जाने वाली सभी कार्रवाई, कार्यवाही, दावों, मांग, लागत और व्यय से नियोक्ता और उसके प्रत्येक सदस्य, कार्यालय और कर्मचारी तथा प्रभारी इंजीनियर और उसके स्टाफ को सुरक्षित रखेगा। इस संविदा दस्तावेज के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में संविदाकार की किसी असफलता के लिए अथवा के संबंध में अथवा उससे उत्पन्न होने वाली किसी स्थिति के लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा। किसी कामगार अथवा अन्य व्यक्ति की दुर्घटना होने अथवा चोट लगने के परिणामस्वरूप अथवा के संबंध में कानून द्वारा देय किसी मांग अथवा क्षतिपूर्ति के संबंध में अथवा के लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा। संविदाकार अथवा उसके उप-संविदाकार के रोजगार के संबंध में संविदाकार इसके लिए अथवा के संबंध में सभी प्रकार की क्षति और प्रतिपूर्ति से तथा सभी प्रकार के दावों, क्षति, कार्यवाही, लागत, प्रभार तथा व्यय से नियोक्ता को सुरक्षित रखेगा।

ii) <u>दावों और क्षति का भुगतान करना</u> :

यदि नियोक्ता को उपर्युक्त के संबंध में किसी दावे अथवा मांग के लिए किसी राशि का भुगतान करना है तो नियोक्ता द्वारा इस प्रकार भुगतान की गई राशि तथा वहन की गई लागत को संविदाकार से वसूल किया जाएगा तथा उसे इसका भुगतान करना होगा और संविदाकार को इस प्रकार का भुगतान करने के नियोक्ता के अधिकार के बारे में इसके बावजूद विवाद पैदा करने अथवा आपत्ति करने की स्वतंत्रता नहीं होगी कि यह भुगतान सहमति अथवा प्राधिकार के बिना अथवा कानूनी प्रावधान के बिना अथवा अन्यथा प्रतिकूल किया गया है।

iii) ऐसे प्रत्येक मामले जिसमें कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 12, उप-धारा (i) के प्रावधानों अथवा कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान अथवा किसी अन्य अधिनियम से नियोक्ता किसी कार्य को निष्पादित करने में संविदाकार द्वारा काम पर रखे गए कामगार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य है तो नियोक्ता इस प्रकार अदा की गई प्रतिपूर्ति की राशि को संविदाकार से उक्त अधिनियम की धारा 12, उप-धारा (2) के तहत नियोक्ता के अधिकारों को प्रभावित किए बिना वसूल करेगा, नियोक्ता को इस प्रकार की राशि अथ्वा इसके किसी भाग को संविदाकार से संविदा निष्पादन प्रतिभूति अथवा इस संविदा के तहत अथवा अन्यथा संविदाकार को देय किसी राशि से वसूल करने की स्वतंत्रता होगी। संविदाकार उक्त अधिनियम की धारा 12,

उप-धारा (i) के तहत किए गए किसी दावे को पूरा करने के लिए, संविदाकार की ओर से लिखित अनुरोध किए जाने और उसकी ओर से नियोक्ता को इस प्रकार की सभी लागत के बारे में पूरी सुरक्षा प्रदान किए जाने पर जो इस प्रकार के दावे पर विवाद करने से देय हो सकती है, को छोड़कर बाध्य नहीं होगा।

106 कामगारों के लिए स्वास्थ्य और साफ-सफाई व्यवस्था :

106.1 इस करार के संविदाकार के भाग के निष्पादन के लिए कार्य पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रखे गए सभी श्रमिकों के संबंध में संविदाकार इस प्रकार के सभी कामगारों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने तथा साफ-सफाई की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय साफ-सफाई और अन्य प्राधिकारियों अथवा नियोक्ता द्वारा यथा-निर्धारित सभी नियमों तथा विनियमों का अनुपालन करेगा अथवा कराएगा।

106.2 संविदाकार इन श्रमिकों की कालोनी में बिजली, पानी और अन्य साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं तथा स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंध करेगा। संविदाकार इस प्रकार की श्रमिक कालोनी में रहने वाले अपने कार्मिकों के लिए कार्य-स्थल तक जाने और कालोनी में वापस आने के लिए यथा-आवश्यक भूतल परिवहन की भी व्यवस्था करेगा।

खण्ड-IX लागू कानून और विवाद निपटान

107 विवाचन :

107.1 जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, ऐसे मामले जिनमें प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना गया है जैसा कि इस करार में प्रावधान किया गया है और ऐसे मुद्दे/विवाद जिन्हें किसी प्रासंगिक समय अवधि के भीतर सुलझाया नहीं जा सकता, इस तरह के सभी विवाद एकल विवाचक को विवाचन के लिए भेजे जाएंगे।

नियोक्ता [गेल (इंडिया) लि0] तीन स्वतंत्र और विख्यात व्यक्तियों के पैनल का सुझाव बोलीदाता/संविदाकार/आपूर्तिकर्त्ता/क्रेता (जैसा भी मामला हो) को देगा ताकि वे एकल विवाचक के रूप में कार्य करने के लिए इनमें से किसी एक का चयन कर सकें।

विवाचक पैनल का सुझाव देने की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर एकल विवाचक का चयन करने में अन्य पक्षकार के असफल रहने की स्थिति में अन्य पक्षकार द्वारा एकल विवाचक का चयन करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा और नियोक्ता (गेल) अपने विवेक से एकल विवाचक की नियुक्ति करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। एकल विवाचक की नियुक्ति के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

इस संबंध में एकल विवाचक का निर्णय अंतिम और सभी पक्षकार पर बाध्यकारी होगा और जब तक विवाचक द्वारा अन्यथा निदेश/निर्णय न दिया जाए इस प्रकार की विवाचन कार्यवाही की लागत पक्षकारों द्वारा एक-समान रूप से साझा की जाएगी। विवाचन कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और इसका स्थान नई दिल्ली, भारत होगा।

उपर्युक्त के अधीन (भारतीय) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान और इनके तहत बनाए गए नियम लागू होंगे। इस संविदा से संबंधित सभी मामले दिल्ली राज्य में स्थित न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

इस संबंध में बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार कृपया यह नोट करे कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 को भारतीय संसद ने बनाया था और

यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून) से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग पर आधारित है, जो विवाचन संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाचन केन्द्रों के साथ गहन परामर्श करने के बाद तैयार किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के 31/98 संकल्प के जरिए यूएनसीआईटीआरएएल विवाचन नियमों को स्वीकार किया था।

107.2 <u>सरकारी विभाग और अन्य तथा किसी सरकारी विभाग और सार्वजनिक उद्यम तथा किसी सार्वजनिक उद्यम और अन्य के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटान करने के लिए विवाचन इस प्रकार होगा :</u>

"पक्षकारों के मध्य इसके संबंध में कोई विवाद अथवा मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में इस प्रकार के विवाद और मतभेद का समाधान आपसी परामर्श से अथवा सरकार के अधिकार सम्पन्न अभिकरणों के यथा-उपयुक्त कार्यालयों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यदि इस प्रकार का समाधान संभव न हो तो ऐसे अनसुलझे विवाद अथवा मतभेद को समय-समय पर यथा-संशोधित मंत्रिमंडल सचिवालय (मंत्रिमंडल कार्य विभाग) द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर,1975 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं.55/3/1/75-सीएफ के अनुसार सचिव, विधि कार्य विभाग ("विधि सचिव") द्वारा नामित किए जाने वाले विवाचक को विवाचन के लिए भेजा जाएगा। इस खण्ड के तहत विवाचन के संबंध में विवाचन अधिनियम, 1940 (1940 का 10) लागू नहींहोगा। विवाचक का निर्णय विवाद से संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। तथापि, बशर्ते इस प्रकार के निर्णय से प्रभावित कोई पक्षकार विधि सचिव को इस निर्णय को अलग रखने अथवा संशोधित करने के लिए अनुरोध कर सकता है जिसका निर्णय पक्षकारों पर अंतिम रूप से बाध्यकारी तथा निर्णायक होगा।

108 क्षेत्राधिकार :

108.1 यह संविदा भारत में लागू कानून से अभिशासित और के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी। संविदाकार सतदद्वारा इस संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद, कार्रवाई और कार्यवाही के उद्देश्यार्थ दिल्ली स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता है, केवल दिल्ली के न्यायालयों को ही इस प्रकार के विवाद, कार्रवाई और कार्यवाही को सुनने तथा निर्णय देने का अधिकार प्राप्त होगा।

खण्ड-X सुरक्षा संहिता

109 सामान्य :

109.1 संविदाकार इस संबंध में सुरक्षित निर्माण प्रक्रियाविधि का अनुपालन करेगा और खतरनाक तथा असुरक्षित कार्य दशाओं से रक्षा करेगा और इसमें यथा-निर्धारित नियोक्ता सुरक्षा नियमों का अनुपालन करेगा। संविदाकार निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सूचनार्थ और मार्गदर्शन के लिए नियोक्ता "सुरक्षा संहिता" यदि यह तैयार कर ली गई है, की प्रतियां अग्रेषित करेगा।

110 सुरक्षा विनियम :

110.1 i) इस करार के संविदाकार के भाग के निष्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से रखे गए सभी श्रमिकों के संबंध में संविदाकार स्वयं अपने व्यय

पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय मानक संस्था, विद्युत अधिनियम, खान अधिनियम और इसी प्रकार के अन्य लागू अधिनियमों की सुरक्षा संहिताओं के अनुसार सभी सुरक्षा प्रावधानों की व्यवस्था करेगा।

ii) संविदाकार नियोक्ता के सभी अग्निशमन और सुरक्षा विनियमों को स्वीकार करेगा तथा इनका अनुपालन करेगा। संविदाकार निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता के सुरक्षा इंजीनियर अथवा प्रभारी इंजीनियर से परामर्श करेगा और उसे इस करार के तहत किए गए अथवा किए जाने वाले कार्य के किसी भाग अथवा नियोक्ता की मौजूदा सम्पत्ति के किसी भाग को आग लगने से होने वाली किसी हानि अथवा क्षति से बचाने के लिए नियोक्ता को संतुष्ट करने वाली बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए।

111 औद्योगिक दुर्घटना होने पर प्रथम उपचार सहायता :

111.1 i) संविदाकार अपने तथा उप-संविदाकार के कर्मचारियोंके लिए प्रथम उपचार सहायता की व्यवस्था करेगा।

ii) संविदाकार औद्योगिक दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस सेवाओं तथा उपचार के लिए बाह्य व्यवस्था करेगा। इन सेवाओं को प्रदान करने वालों के नाम निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नियोक्ता को अग्रेषित किए जाएंगे और उनके दूरभाष नम्बर संविदाकार के क्षेत्रीय कार्यालय पर अनिवार्य रूप से चस्पा किए जाएंगे।

112 सामान्य नियम :

ii) किसी गंभीर औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में तत्काल नियोक्ता को सूचित किया जाएगा और इस प्रकार वैयक्तिक चोट के बारे में संविदाकार की रिपोर्ट चिकित्सक की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नियोक्ता को भेजी जाएगी।

113 संविदाकार बैरिकेड :

112.1 बैटरी क्षेत्र, टैंक फार्म अथवा डॉक सीमाओं के भीतर धूम्रपान करने पर सख्त रोक है। धूम्रपान न करने के नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा।

113.1 i) संविदाकार निम्नलिखित की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए यथा-अपेक्षित बैरिकेड लगाएगा तथा इन्हें बनाए रखेगा :-

क) उत्खनना
ख) भार उठाने वाले क्षेत्र।
ग) संविदाकार अथवा नियोक्ता के निरीक्षकों द्वारा उल्लिखित खतरनाक क्षेत्रों से जुड़े स्थान।
घ) संविदाकार के प्रचालन द्वारा क्षति होने की शर्तके अधीन नियोक्ता की मौजूदा सम्पत्ति।
ड.) रेल से सामान उतारने वाले स्थान।

114 स्काफोल्डिंग :

ii) संविदाकार और उसके उप-संविदाकार के कर्मचारीिनयोक्ता की बैरिकेडिंग व्यवस्था से अवगत होंगे तथा इसका अनुपालन करेंगे।

iii) सम्बद्ध बैरिकेड तथा खतरनाक क्षेत्र जो परिवहन के सामान्य मार्ग में अवस्थितहै, को रात्रि में लालटेन की लाल टिम-टिमाती रोशनी से दर्शाया जाएगा।

114.1 i) ऐसे अल्पावधिक कार्य जो सीढ़ी से सुरक्षित रूप से किया जा सकता है, को छोड़कर ऐसे सभी कार्यों जो जमीन से अथवा मजबूत निर्माण से सुरक्षित

रूप से नहीं किए जा सकते, को करने वाले कामगारों के लिए उपयुक्त सीढ़ी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब इस प्रकार की सीढ़ी का उपयोग किया जाए तो इसे पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर की व्यवस्था की जाए और यदि सीढ़ी का उपयोग किसी सामग्री को ले जाने के लिए किया जा रहा है तो सीढ़ी पर पैर रखने की तथा पकड़ने की उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए तथा इस पर 1 और 4 के हिसाब से पैर रखने की जगह (1 अनुप्रस्थ तथा 4 खड़े) की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ii) जमीन अथवा फर्श से 4 मीटर से अधिक दूरी पर स्काफोल्डिंग अथवा स्टेज बनाने के लिए ओवरहैड सपोर्ट अथवा स्थिर सपोर्ट से स्थापित झूले से इस प्रकार की स्कफोल्डिंग अथवा स्टेज के फर्श अथवा प्लेटफार्म से कम से कम एक मीटर उपयुक्त रूप से सम्बद्ध, बोल्ट से तैयार, ब्रेस से तैयार और अन्यथा तैयार गार्ड रेल बनाई जाएगी और इसे बाहरी तथा किनारों की ओपनिंग के साथ पूरी लम्बाई के साथ-साथ ले जाया जाएगा जो सामग्री की प्रदायगी के लिए अनिवार्य हो। इस प्रकार की स्काफोल्डिंग तथा स्टेज को इस प्रकार कसा जाएगा कि इसे भवन अथवा संरचना से गिरने से बचाया जा सके।

iii) कार्य प्लेटफार्म, गैंगवे और सीढ़ियों का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे अनुचित और असमान रूप से झुकनी नहीं चाहिए और यदि गैंगवे अथवा सीढ़ियों के प्लेटफार्म की ऊंचाई जमीन अथवा फर्श के तल से 4 मीटर से अधिक है तो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से बोर्ड किया जाना चाहिए, इनकी चौड़ाई यथा-उपयुक्त होनी चाहिए और उपर्युक्त ii) में यथा-उल्लिखित रूप से इन्हें कसा जाना चाहिए।

iv) किसी भवन के फर्श में अथवा कार्य प्लेटफार्म में उपयुक्त साधन से प्रत्येक ओपनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि रेलिंग की उपयुक्त व्यवस्था जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर होगी, करके व्यक्तियों तथा सामग्री को गिरने से बचाया जा सके।

v) प्रत्येक कार्य-स्थल और प्लेटफार्म पर सुरक्षित-उपाय-पहुंच की व्यवस्था की जानी चाहिए और प्रत्येक सीढ़ी सुरक्षित रूप से सुदृढ़ की जाएगी। इधर-उधर ले जाने वाली सीढ़ी की लम्बाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि रंग सीढ़ी में साइड रेल के मध्य चौड़ाई संबंधित सीढ़ी के लिए 3 मीटर लम्बाई सहित किसी भी स्थिति में 30 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए। लम्बी सीढ़ी के लिए यह चौड़ाई इसकी प्रत्येक फीट लम्बाई के लिए 5 मि.मी. बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ-साथ एक कदम का स्थान 30 से.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए। बिजली के उपकरण के खतरे से बचने के लिए यथा-उपयुक्त सावधानी बरती जाएगी। किसी स्थल और कार्य-स्थल पर इस प्रकार कोई सामग्री एकत्र अथवा रखी नहीं जाएगी जिससे किसी व्यक्ति अथवा आम जनता को कोई खतरा अथवा असावधानी हो। संविदाकार कामगारों और स्टाफ को दुर्घटना से बचाने के लिए यथा-आवश्यक बाड़ तथा प्रकाश की

व्यवस्था करेगा तथा उपर्युक्त सावधानी न बरते जाने के कारण किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की दुर्घटना के संबंध में कानून के तहत चलाए जाने वाले प्रत्येक वाद, कार्रवाई अथवा अन्य कार्यवाही से बचाव के व्यय को वहन करेगा और इस प्रकार के किसी व्यक्ति को ऐसे वाद, अथवा कार्रवाई अथवा कार्यवाही में प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा लागत अथवा ऐसी क्षतिपूर्ति अथवा लागत जो संविदाकार की सहमति से ऐसे व्यक्ति के किसी दावे के बारे में समझौता करने के लिए प्रदान की जानी हो, का भुगतान करेगा।

115 उत्खनन तथा खुदाई संबंधी कार्य :

115.1 इस संबंध में 1.2 मीटर अथवा इससे अधिक गहराई के सभी खांचे सदैव कम से कम 50 मीटर लम्बी सीढ़ी अथवा फ्रैक्शन से प्रदान किए जाने चाहिए।

इस प्रकार की सीढ़ी खाई की सतह से कम से कम जमीन की सतह के 1 मीटर ऊपर तक होनी चाहिए। इस प्रकार की खाई के किनारेजो 1.5 मीटर गहरे हैं, को उपयुक्त ढलान देने के लिए अथवा लकड़ी की पट्टी से बांधने के लिए स्टैप बैक किया जाएगा ताकि किनारों को ध्वस्त होने से बचाया जा सके। उत्खनन संबंधी सामग्री खाई के किनारे के 1.5 मीटर के भीतर अथवा खाई की चौड़ाई के आधे स्थान के भीतर इनमें से जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी। इसमें ऊपर से नीचे की ओर कटिंग की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अंडर माइनिंग अथवा अंडर कटिंग नहीं की जाएगी।

116 तोड़-फोड़/सामान्य सुरक्षा :

116.1 i) कोई तोड़-फोड़ संबंधी कार्य शुरू करने से पहले और इसे शुरू िकए जाने के दौरान निम्नलिखित सावधानी बरती जाएं :

क) कार्य-स्थल से सटे हुए सभी खुले क्षेत्र और सड़क बंद किए जाएंगे अथवा इनकी यथा-उपयुक्त सुरक्षा की जाएगी।

ख) कोई बिजली का तार अथवा उपकरण जिससे कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, बिजली से जुड़ा नहीं रखा जाएगा।

ग) रोजगार पर रखे गए व्यक्तियों को आग लगने, अथवा विस्फोट होने अथवा बाढ़ आने के जोखिम से बचाने के लिए सभी प्रकार के व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे। कई फर्श, छत अथवा भवन का कोई अन्य भाग सामग्री अथवा कचरे से इस प्रकार नहीं भरा जाना चाहिए कि सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए।

.

ii) प्रभारी इंजीनियर द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले सभी अनिवार्य वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर को कार्य-स्थल पर तैनात व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रखे जाने चाहिए तथा इन्हें तत्काल उपयोग किए जाने की स्थिति में रखा जाना चाहिए और संविदाकार संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपस्कर के यथा-उपयुक्त उपयोग के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करेगा।

क) डामर सामग्री, सीमेंट और चूना मोर्टार का मिश्रण तैयार करने के कार्य पर रखे गए कामगारों को सुरक्षा फुटवियर और सुरक्षा दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

ख) वाइट वाश करने और इसका घोल तैयार करने अथवा एकत्र करने अथवा सीमेंट की बोरी को ढोने, जो आंखों के लिए हानिकारक हैं तथा ऐसी सामग्री से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा चश्में प्रदान किए जाने चाहिए।

ग) वेल्डिंग और कटिंग से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों

को सुरक्षित चेहरा और आंख शील्ड, दस्ताने इत्यादि प्रदान किए जाने चाहिए।

घ) पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित चश्में और सुरक्षा वस्त्र प्रदान किए जाने चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षित अंतराल पर बैठना चाहिए।

ड.) जब कामगार को उपयोग किए जा रहे सीवर और मैनहोल के कार्य पर लगाया जाए तो संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के मैनहोल में कामगार को जाने की अनुमति देने से पहले उस मैनहोल के कवर को कम से कम एक घण्टा पहले खोल दिया गया है तथा वेंटीलेशन कर दिया गया है और इस प्रकार खोले गए

मैनहोल को यथा-उपयुक्त रेलिंग से घेर दिया जाएगा तथा आम जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए चेतावनी संकेत अथवा बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी।

च) संविदाकार किसी भी रूप में सीसे वाले उत्पाद से पेंटिंग करने के कार्य पर 18 वर्ष से कम आयु के पुरूष और महिला को नहीं रखेगा। जब सीसे से पेंटिंग करने के कार्य पर 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष को रखा जाए तो निम्नलिखित सावधानी बरती जानी चाहिए :-

1) पेस्ट अथवा तैयार पेंट के रूप को छोड़कर सीसे वाले पेंट अथवा सीसे वाले उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाएगा।
2) स्प्रे के रूप में पेंट का उपयोग किए जाने पर अथवा सीसी वाले सूखे पेंट की सतह को रगड़ने और खुरचने पर कामगारों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त फेस मास्क प्रदान किए जाने चाहिए।
3) कामगारों को सभी प्रकार के उपकरण संविदाकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे और इस संबंध में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि कार्य करने वाले पेंटर कार्य के दौरान और कार्य समाप्त होने पर शरीर को साफ-स्वच्छ रख सकें।

iii) जब कार्य किसी ऐसे स्थान के पास किया जाए जहां मलबे में दबने का जोखिम हो सकता है तो वहां सभी अनिवार्य उपस्कर प्रदान किए जाने चाहिए तथा उपयोग के लिए तैयार रखे जाने चाहिए और किसी व्यक्ति के खतरे में आने पर तीव्र राहत और बचाव कार्रवाई करने के लिए सभी अनिवार्य उपाय किए जाने चाहिए तथा कार्य को करने के दौरान हो सकने वाली सभी प्रकार की दुर्घटना का तत्काल प्रथम उपचार किए जाने के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

iv) होइस्टिंग मशीन और टेकल्स उनके सम्बद्ध सामान, एन्कोरेज और सपोर्ट सहित निम्नलिखित मानकों तथा शर्तों के अनुरूप होने चाहिए :

क) ये बेहतर यांत्रिक निर्माण, सुदृढ़ सामग्री और पर्याप्त क्षमता वाले होंगे तथा पेटेंट दोष से मुक्त होंगे और इन्हें बेहतर कार्य स्थिति में रखा जाएगा।

ख) सामग्री के ऊपर ले जाने अथवा नीचे लाने में अथवा सस्पेंशन के उपाय के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक रोप मजबूत गुणवत्ता तथा पर्याप्त क्षमता वाली होगी और पेटेंट दोष से मुक्त होगी।

ग) प्रत्येक क्रेन ड्राइवर और होइस्टिंग उपकरण प्रचालक उपयुक्त रूप से इस कार्य के लिए योग्य होगा और 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी स्काफोल्डिंग, विंच

अथवा प्रचालक को संकेत करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।

घ) प्रत्येक होइस्टिंग मशीन के मामले में और होइस्टिंग अथवा लोअरिंग अथ्वा सस्पेंशन के उपाय के रूप में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक चेन रिंग हुक, शेकल, स्वीवेल और पुली ब्लॉक के संबंध में पर्याप्त उपायों से सुरक्षित कार्यभार सुनिश्चित किया जाएगा। उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक होइस्टिंग मशीन और सभी गीयर पर उन सुरक्षित कार्यभार कार्यदशाओं का स्पष्ट रूप से

उल्लेख किया जाएगा जिनके तहत यह लागू है तथा इन्हें स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। इस पैरा में उपर्युक्त यथा उल्लिखित किसी मशीन अथवा गीयर का कोई भाग जांच के उद्देश्यार्थ स्थिति को छोड़कर सुरक्षित कार्यभार से अधिक नहीं भरा जाएगा।

ड.) किसी विभागीय मशीन के मामले में सुरक्षित कार्यभार संबंधित प्रभारी इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक संविदाकार की मशीन का संबंध है, संविदाकार जब किसी मशीन को कार्य-स्थल पर लाएगा तो प्रभारी इंजीनियर को मशीन के सुरक्षित कार्यभार के बारे में सूचित करेगा और इसे संबंधित इंजीनियर से सत्यापित कराएगा।

v) मोटर, गीयर, पारेषण लाइन, बिजली के तार और होइस्टिंग उपकरणों के अन्य खतरनाक भाग के लिए कारगर सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। होइस्टिंग उपकरणों में ऐसे उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे भार के कारण होने वाली दुर्घटना को न्यूनतम तक कम किया जा सके, किसी सस्पेंडिड भार को ले जाने से होने वाली दुर्घटना को न्यूनतम तक कम करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। जब कामगारों को इस प्रकार की बिजली स्थापना पर तैनात किया जाए जहां बिजली मौजूद है तो उन्हें यथा-आवश्यक इन्सुलेटिंग चटाई, पहनने वाले कपड़े जैसे दस्ताने, स्लीव और जूते इत्यादि प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार के कामगार कोई अंगूठी, घड़ी और कैरी की अथवा ऐसी सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे जिनमें से बिजली प्रवाहित हो सकती है।

vi) इसमें उल्लिखित अथवा निर्धारित सभी स्काफोल्ड, सीढ़ी और अन्य सुरक्षा उपकरण सुरक्षित दशाओं में रखे जाएंगे और किसी स्काफोल्ड, सीढ़ी अथवा उपस्कर को उपयोग करते समय बदला नहीं जाएगा अथवा हटाया नहीं जाएगा। इसके साथ-साथ कार्य-स्थल और इसके आस-पास पर्याप्त वाशिंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

vii) कार्य-स्थल पर प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करके इन सुरक्षा प्रावधानों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाना चाहिए। संविदाकार इनमें इस सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के नाम का उल्लेख करेगा।

viii) सुरक्षा सावधानी से संबंधित नियमों और विनियमों को कारगर ढंग से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए संविदाकार द्वारा की गई व्यवस्था कल्याण अधिकारी, प्रभारी इंजीनियर अथवा प्रशासन के सुरक्षा इंजीनियर अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

ix) उपर्युक्त खण्डों के बावजूद इनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे संविदाकार को भारत गणराज्य में लागू किसी अधिनियम अथवा नियम को लागू करने से छूट प्रदान की गई हो। अस्थाई कार्य सहित सम्पूर्ण कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि इससे कार्य-स्थल पर तथा इसके आस-पास किसी सड़क अथवा फुटपाथ पर यातायात संबंधी अथवा किसी मौजूदा कार्य, प्रशासन की अथवा किसी तृतीय पक्षकार की किसी सम्पत्ति के संबंध में कोई समस्या उत्पन्न न हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संविदाकार समय-समय पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की सुरक्षा संहिता और भारतीय मानक सुरक्षा संहिता के अनुसार सुरक्षा संहिता प्रावधान का अनुपालन करेगा।

117 ज्वलनशील गैस को संभालने में सावधानी बरतना :

117.1 संविदाकार को ज्वलनशील गैस सिलेंडर/ज्वलनशील तरल पदार्थ/पेंट इत्यादि को संभालने में कानून के तहत यथा-अपेक्षित और/अथवा नियोक्ता के अग्निशमन प्राधिकारियों द्वारा सुझाए गए निवारक उपायों को सुनिश्चित करना होगा तथा इस संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी।

118 अस्थाई ज्वलनशील अवसंरचना : 118.1 कार्य-स्थल के पास अथवा चारों ओर कोई अस्थाई ज्वलनशील अवसंरचना नहीं बनाई जाएगी।

119 अग्नि से बचाव की सावधानियां : 119.1 संविदाकार को प्रभारी इंजीनियर द्वारा यथा-संस्तुत अग्निशमन उपकरण, अग्निशमन बकेट और ड्रम की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें ज्वलनशील गैस सिलेंडर/ज्वलनशील तरल पदार्थ/पेंट इत्यादि को संभालने में प्रभारी इंजीनियर द्वारा सुझाए गए सभी निवारक उपाय सुनिश्चित करने होंगे तथा इस संबंध में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। कार्य-स्थल के पास अथवा चारों ओर कोई अस्थाई ज्वलनशील अवसंरचना नहीं बनाई जाएगी।

120 ज्वलनशील पदार्थ :

120.1 संविदाकार इस संबंध में प्रभारी इंजीनियर की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कार्य पर अथवा कार्य-स्थल पर किसी ज्वलनशील पदार्थ को स्टोर नहीं करेगा अथवा उसका उपयोग नहीं करेगा और इस प्रकार की लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद भी इस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग उस तरीके और सीमा तक करेगा जिसके संबंध में अनुमति प्रदान की गई है। यदि किसी कार्य के लिए ज्वलनशील पदार्थ की आवश्यकता है तो उसे संविदाकार की लागत पर प्रदान की जाने वाली विशेष मैगजीन में ज्वलनशील पदार्थ नियमों के अनुसार स्टोर किया जाएगा। संविदाकार इस प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को स्टोर करने और उपयोग करने के बारे में अनिवार्य लाइसेंस प्रापत करेगा और ऐसे सभी प्रचालन जिनमें ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया जाना है, केवल संविदाकार के जोखिम और उत्तरदायित्व के अधीन होंगे तथा संविदाकार इनसे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी क्षति अथवा हानि से नियोक्ता को सुरक्षित रखेगा।

121 खान अधिनियम :

121.1 सुरक्षा संहिता : संविदाकार संबंधित कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से तैनात किए गए सभी श्रमिकों के लिए प्रभारी इंजीनियर द्वारा यथा-अपेक्षित सुरक्षा प्रावधानों की व्यवस्था स्वयं अपने व्यय पर करेगा तथा इनके संबंध में सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। संविदाकार के उपर्युक्त उल्लिखित व्यवस्था करने तथा अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहने पर प्रभारी इंजीनियर ऐसा करने और इनकी लागत संविदाकार से प्राप्त करने का पात्र होगा।

121.2 दुर्घटना के संबंध में सूचना देने और महिला कामगारों को मातृत्व लाभ प्रदान करने से संबंधित सुरक्षा संहिता अथवा प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहने पर संविदाकार परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में कम्पनी को प्रत्येक दोष अथवा काफी गलत विवरण देने के लिए अधिकतम 50 रुपए की राशि का भुगतान करेगा। निरीक्षण अधिकारी से और प्रभारी इंजीनियर के प्रतिनिधि से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार के मामले में प्रभारी इंजीनियर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और खान अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों अथवा इस समय लागू इनके किसी सांविधिक

संशोधन अथवा पुन: अधिनियमन और इस संविदा के तहत तैनात किए गए सभी व्यक्तियों के संबंध में इनके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार संविदाकार को देय किसी राशि में से इस प्रकार की परिनिर्धारित नुकसानी को वसूल करने के लिए कटौती की जाएगी और संविदाकार खान अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के द्वारा अथवा उसके द्वारा अथवा अन्यथा तैनात किए गए किसी व्यक्ति की ओर से किए जाने वाले किसी ऐसे दावे से नियोक्ताओं को सुरक्षित रखेगा।

122 स्थान को सुरक्षित रखना : 122.1 संविदाकार संबंधित कार्य के आस-पास शांति बनाए रखने और निवासियों के संरक्षण तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए और अपने कामगारों में तथा कार्यों पर लगाए गए अन्य कामगारों में अथवा उनके किसी दंगाई अथवा अवैध व्यवहार से बचाव के यथा-अपेक्षित उपाय करेगा तथा इस संबंध में सर्वोत्तम प्रयास करेगा। किसी कार्य को करने के दौरान कार्य-स्थल पर अथवाइसके आस-पास के क्षेत्र में नियोक्ता को विशेष पुलिस बल की आवश्यकता होने की स्थिति में उसका पूरा खर्च संविदाकार वहन करेगा और यदि नियोक्ता ने इसका भुगतान कर दिया है तो उसे संविदाकार से वसूल किया जाएगा।

123 संक्रमण रोग प्रारंभ होना : 123.1 संविदाकार अपने शिविर से ऐसे श्रमिक और उनकी सुविधाओं को हटा लेगा जो प्रभारी इंजीनियर के प्रतिनिधि द्वारा कहे जाने पर टीकाकरण कार्यक्रम को अपनाने तथा टीका लगवाने से मना करते हैं। यदि हैजा, प्लेग अथवा किसी अन्य संक्रामक रोग का हमला हो जाता है तो संविदाकार उस रोग से प्रभावित व्यक्ति की झौपड़ी, बैड, कपड़े और अन्य सामान अथवा उसके द्वारा उपयोग किए गए सामान को जला देगा तथा प्रभारी इंजीनियर यथा-अपेक्षित किसी अन्य बेहतर स्थल पर तत्काल नई झौपड़ी बनाएगा, ऐसा न करने पर इंजीनियर की मांग के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर संबंधित कार्य नियोक्ता द्वारा किया जा सकता है तथा इसकी लागत संविदाकार से वसूल की जाएगी।

124 विषैले पदार्थ का उपयोग करना : 124.1 संविदाकार अथवा उसके किसी कर्मचारी के कब्जे में अथवा उसके नियंत्रणाधीन, भवन, शिविर, चाल में स्प्रिट अथवा अन्य विषैले पदार्थ, शराब इत्यादि की अवैध बिक्री निषेध है और संविदाकार इस शर्त के कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यथा-संभव सीमा तक अपने प्रभावतथा प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संविदाकार समय-समय पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुरक्षा संहिता और भारतीय मानक संहिता के अनुसार सुरक्षा संहिता प्रावधान का अनुपालन भी करेगा।

<u>नियोक्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति करने के लिए क्षतिपूर्ति बाण्ड का प्रोफार्मा</u>

(यथा-उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए)

जबकि गेल (इण्डिया) लिमिटेड (इसमें आगे गेल के रूप में उल्लेख किया गया है) जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक इस संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इनके विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और यथा-निर्धारितव्यक्तिशामिल होंगे जिनका पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्लीहै, ने संविदाकार _____ (इसमें आगे संविदाकार के रूप में उल्लेख किया गया है और जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक इस संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और यथा-निर्धारित व्यक्ति शामिल होंगे) के साथ अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक _____ की संविदा संख्या ..... और इसके भाग के रूप में विभिन्न दस्तावेजों जिनका सामूहिक रूप से संविदा के रूप में उल्लेख किया गया है और जिसकी अभिव्यक्ति में इसके सभी संशोधन, आशोधन और/अथवा घट-बढ़ शामिल होंगी, में यथा-निर्धारित निबंधन और शर्तों पर ..... के लिए संविदा की है।

और जबकि

i) गेल ने संविदाकार को उक्त संविदा के निष्पादन के उद्देश्यार्थ और संविदाकार द्वाराइस संविदा को निष्पादित किए जाने तक उपस्कर, संयंत्र तथा सामग्री (पूर्ण रूप से परिष्कृत, आंशिक रूप से परिष्कृत और कच्ची सामग्री) (गेल द्वारा संविदाकार को प्रदान किए जाने वाले उपस्कर, संयंत्र और सामग्री, संक्षेप में आगे "उक्त सामग्री" के रूप में उल्लेख किया गया है) प्रदान करने तथा उक्त सामग्री को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की है, उक्त सामग्री संविदाकार की अभिरक्षा तथा प्रभार में होगी और यह केवल संविदाकार के जोखिम तथा व्यय पर ही रखी जाएगी, स्टोर की जाएगी, परिवर्तित की जाएगी, कार्य पर ले जाई जाएगी और/अथवा मिलाई जाएगी।

ii) गेल द्वारा संविदाकार को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की पूर्व शर्त के रूप में गेल ने संविदाकार से इसमें आगे उल्लिखित तरीके से और निबंधन तथा शर्तों के अनुसार गेल को क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रदान करने की अपेक्षा की है।

इसलिए अब उपर्युक्त आधार पर विचार करते हुए संविदाकार एतदद्वारा स्पष्ट रूप से बिना शर्त गेल को सभी प्रकार की हानि, क्षति और विध्वंस (संविदाकार के नियंत्रणाधीन अथवा किसी मद अथवा किसी भाग को चोरी, उठाईगिरी, आग, बाढ़, तूफान, चक्रवात, बिजली, विस्फोट, स्टोरेज, रसायनिक अथवा भौतिक क्रिया अथवा प्रतिक्रिया, बाइंडिंग, खराब हो जाने, प्रभाव, रस्टिंग, दोषपूर्ण कामगार, दोषपूर्ण मिश्रण अथवा मिश्रण की दोषपूर्ण पद्धति अथवा तकनीक, हड़ताल, दंगा, नागरिक हुल्लड़ अथवा किसी अन्य कार्य अथवा चूक अथवा भूल से होने वाली किसी अथवा सभी हानि अथवा क्षति अथवा विध्वंस), दुरुपयोग और दुर्विनियोजन (संविदाकार और संविदाकार के नौकर और/अथवा अभिकर्त्ता द्वारा दुरुपयोग और दुर्विनियोजन शामिल है किंतु इन तक सीमित नहीं) जो उक्त सामग्री अथवा उसके किसी भाग के संबंध में हो, की तारीख से जब वह सामग्री अथवा उसका संबंधित भाग संविदाकार को प्रदान किया गया था, से गेल को उक्त सामग्री अथवा उसकी मद के संबंधित भाग को वापस करने की तारीख तक अथवा उक्त

सामग्री को शामिल करके संबंधित कार्य पूरा किए जाने तक क्षतिपूर्ति करने और गेल को सुरक्षित रखने का वचन देता है और उक्त सामग्री अथवा मद अथवा उसके भाग की हानि, क्षति, विध्वंस, दुरुपयोग और/अथवा दुर्विनियोजन, जैसा भी मामला हो, की गेल द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कीमत को गेल की ओर से लिखित में मांग किए जाने पर अथवा गेल की लागत और व्यय (संभालने, परिवहन, ढुलाई, बीमा, माल-भाड़ा, पैकिंग और निरीक्षण लागत/अथवा तक व्यय) और औसत सीमा _____रुपए (_____ रुपए केवल) को बिना विरोध तथा ना-नुकर के अदा करने का आश्वासन देता है।

और संविदाकार एतदद्वारा गेल के साथ इस बात पर सहमति व्यक्त करता है कि :

i) यह क्षतिपूर्ति/आश्वासन एक प्रकार से सतत क्षतिपूर्ति और आश्वासन होगा तथा इसके तहत _____ अर्ध रात्रि तक उत्पन्न होने वाले गेल के सभी दावों के लिए वैध और अपरिवर्तनीय बने रहेंगे। तथापि, यदि यह संविदा जिसकी क्षतिपूर्ति/आश्वासन दिया गया है इस तारीख तक पूरी नहीं होती तो संविदाकार एतद्वारा इस क्षतिपूर्ति/आश्वासन को इस संविदा को पूरी करने की यथा-अपेक्षित अवधि तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करता है।

ii) इस क्षतिपूर्ति/आश्वासन को संविधान में किसी परिवर्तन अथवा संविदाकार के दिवालिया होने के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाएगा किंतु इसकी शर्तों के अनुसार गेल को देय सभी राशि का भुगतान किए जाने तक सभी प्रकार से और सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी और लागू रहेगा।

iii) संविदाकार की अभिरक्षा में रहते हुए और/अथवा तैयार की गई संरचना के कार्य (कार्यों) को पूरा करने तथा उक्त सामग्री को शामिल करके उसे कार्य-स्थल पर प्रदान करने से पहले गेल द्वारा अथवा गेल की ओर से उक्त सामग्री अथवा मद अथवा उसके किसी भाग के संबंध में संविदाकार को सम्बोधित किसी नोटिस अथवा मांग अथवा अन्य लिखत में आरोप लगाने का विवरण देना इस तथ्य के बारे में निर्णायक होगा कि उक्त सामग्री अथवा मद अथवा उसके किसी भाग की संविदाकार को आपूर्ति कर दी गई थी और/अथवा संविदाकार की अभिरक्षा में रहते हुए और/अथवा तैयार की गई संरचना के कार्य (कार्यों) को पूरा करने तथा उक्त सामग्री को शामिल करके उसे कार्य-स्थल पर प्रदान करने से पहले होने वाली किसी हानि, क्षति, गड़बड़, दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोजन जैसा भी मामला हो, इसके संबंध में गेल की ओर से किसी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना ऐसा किया माना जाएगा।

iv) इस प्रकार की उक्त सामग्री की हानि, क्षति, गड़बड़, दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोजन के मूल्य, इनके संबंध में गेल द्वारा वहन की गई लागत तथा व्यय सहित, के बारे में गेल द्वारा संविदाकार को सम्बोधित किसी मांग नोटिस में यथा-उल्लिखित राशि उस सामग्री का निर्णायक मूल्य होगा और गेल को अदा की जाने वाली देय राशि की उक्त लागत तथा व्यय जिनके संबंध में कोई वाउचर, बिल अथवा अन्य दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा तथा इस प्रकार की राशि का भुगतान मांग किए जाने पर बिना किसी ना-नुकर के करना होगा और इस संबंध में कोई विवाद नहीं किया जाएगा।

अधोहस्ताक्षरी दिनांक _____ को मुख्तारनामे के तहत संविदाकार की ओर से इस क्षतिपूर्ति बाण्ड को निष्पादित करने की पूर्ण शक्ति रखता है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

संविदाकार की कार्यालय मुहर

संविदा करार का प्रोफार्मा

एलओए सं0 गेल/ दिनांक ----------

गेल (इण्डिया) लिमिटेड के ..... कार्य के लिए दिनांक ..... को ..... (नाम और पता), इसमें आगे ' संविदाकार' कहा गया है (जिसमें जब तक इस विषय अथवा संदर्भ में छोड़ा न गया हो अथवा प्रतिकूल न हो उसके उत्तराधिकारी और अनुमत्य व्यक्ति शामिल होंगे) प्रथम पक्षकार और गेल (इण्डिया) लिमिटेड, इसमें आगे ' नियोक्ता' कहा गया है (जिसमें जब तक इस विषय अथवा संदर्भ में छोड़ा न गया हो अथवा प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत्य व्यक्ति शामिल होंगे) द्वितीय पक्षकार के मध्य संविदा करार सम्पन्न किया गया है।

जबकि

क. संविदाकार ने निविदा आमंत्रण पत्र, सामान्य निविदा नोटिस, संविदा की सामान्य शर्तों, संविदा की विशेष शर्तों, कार्यों के विनिर्देशन, नक्शों, योजनाओं, पूरा करने की समय-सारिणी, दर-अनुसूची, सहमत अंतर, अन्य दस्तावेज सहित इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित, उपबंधित अथवा से संबंधित कतिपय कार्य को प्रदान करने तथा निष्पादित कराने की इच्छा रखते हुए निविदा आमंत्रित की है।

ख. संविदाकार ने इस निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कार्य के कार्य-स्थल और इसके आस-पास के स्थानों का निरीक्षण किया है और स्वयं को अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले इस संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्य को निष्पादित करने और पूरा करने से संबंधित अथवा के बारे में सतह, परत, मृदा, उप-मृदा और जमीन, कार्य-स्थल और स्थानीय दशाओं के स्वरूप तथा प्रकृति, कार्य की मात्रा, स्वरूप और महत्व, कार्य को निष्पादित करने के लिए यथा-आवश्यक श्रमिकों तथा सामग्री की आवश्यकता, कार्य-स्थल तक जाने के साधन, इसके संबंध में बिजली और पानी की आपूर्ति तथा यथा-अपेक्षित आवास के संबंध में संतुष्ट किया है और स्थानीय तथा स्वतंत्र जांच की है तथा निविदा दस्तावेज में यथा-उल्लिखित अथवा निहित अथवा से संबंधित मामलों और तथ्यों के संबंध में पूरी सूचना प्राप्त की है तथा उन सभी संभावित अथवा भावी परिस्थितियों, विलम्ब, बाधाओं अथवा व्यवधान के स्वरूप और मात्रा पर विचार किया है जो इस संविदा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्य को निष्पादित करने और पूरा करने के संबंध में अथवा बारे में उत्पन्न हो सकते हैं तथा अन्य सभी मामलों, दशाओं और तथ्यों तथा संभावित और भावी आकस्मिक परिस्थितियों तथा सामान्यत: इनसे संबंधित सभी मामलों और इनके ऐसे आनुषंगिक मामलों जो कार्य को निष्पादित करने तथा पूरा करने पर प्रभाव ड़ाल सकते हैं तथा ऐसे तथ्यों जो मुझे निविदा प्रस्तुत करने में प्रभावित कर सकते हैं, की जांच की है तथा इन पर विचार किया है।

ग. निविदा आमंत्रण सूचना पत्र, संविदा की सामान्य शर्तें, संविदा की विशेष शर्तें, दर अनुसूची, सामान्य दायित्व, विनिर्देशन, नक्शे, योजनाएं, कार्यों को पूरा करने की समय-सारिणी, निविदा को स्वीकार करने का पत्र और यद्यपि इस संविदा के भाग के रूप में इसमें अलग से निर्धारित संलग्नक जिनकी प्रतियां इसमें लगी हैं, में सहमत अंतर से संबंधित कोई विवरण जहां भी इसमें उपयोग किया गया है, सहित अन्य निविदा दस्तावेज ' संविदा' की अभिव्यक्ति में शामिल है।

और जबकि

नियोक्ता ने संविदाकार की निविदा को इस निविदा के निबंधन और शर्तों के आधार पर कार्य की मात्रा की सूची में यथा-उल्लिखित और अंतत: नियोक्ता द्वारा अनुमोदित दरों (इसमें आगे "दर अनुसूची" कहा गया है) पर उक्त कार्य की व्यवस्था करने तथा निष्पादित करने के लिए स्वीकार किया है।

अब यह करार प्रमाण है और इसके बारे में एतद्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और इसे इस प्रकार घोषित किया जाता है :-

1. संविदाकार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए संविदाकार को किए जाने वाले भुगतान पर विचार करते हुए संविदाकार एतद्वारा नियोक्ता को यह वचन देता है कि संविदाकार उक्त कार्य को निष्पादित करने और पूरा करने की यथा-उपयुक्त रूप से व्यवस्था करेगा और इस संविदा में उल्लिखित अथवा निर्धारित अथवा उक्त कार्य को पूरा करने के लिए इसमें निहित अथवा औचित्यपूर्ण तरीके से यथा-आवश्यक सभी कार्य करेगा अथवा निष्पादित करेगा तथा इन्हें संविदा में उल्लिखित समय पर और तरीके से इसमें यथा-उल्लिखित निबंधनों और शर्तों अथवा निर्धारण के आधार पर करेगा।

2. उक्त कार्य को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए यथा-उपयुक्त प्रावधान पर विचार करते हुए नियोक्ता एतद्वारा संविदाकार के साथ इस बात पर सहमत है कि नियोक्ता संबंधित संविदाकार को उसके द्वारा वास्तविक रूप से किए गए कार्य के लिए निर्धारित की गई और नियोक्ता द्वारा दर अनुसूची के आधार पर अनुमोदित राशि तथा इस संविदा के प्रावधान के तहत संविदाकार को देय इसी प्रकार की अन्य राशि का भुगतान करेगा। इस प्रकार का भुगतान इस संविदा में यथा-उल्लिखित समय पर और तरीके से किया जाए।

और

3. उक्त कार्य को निष्पादित करने तथा पूरा करने के लिए यथा-उपयुक्त प्रावधान पर विचार करते हुए संविदाकार एतद्वारा नियोक्ता की ओर से संविदाकार को प्रदान की जाने वाली विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति जैसी सेवाओं के लिए देय राशि और इस संविदा में यथा-निर्धारित सेवाओं के लिए देय राशि तथा इस प्रकार की राशि जो उपभोग सामग्री की नियंत्रित मदों के संबंध में अथवा नियोक्ता के उपस्कर, निर्माण सामग्री, संयंत्र और मशीनरी की किसी हानि, क्षति के संबंध में नियोक्ता को देय हो सकती है, का नियोक्ता को भुगतान करने पर सहमति व्यक्त करता है, इस प्रकार का भुगतान इस संविदा में यथा-उल्लिखित समय पर और तरीके से किया जाए।

नियोक्ता और संविदाकार ने इस बात को स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से समझकर इसके लिए सहमति व्यक्त की है कि संविदाकार को इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्य-स्थल में अथवा उस स्थल पर संविदाकार द्वारा निष्पादित भवन, संरचना अथवा कार्य में अथवा उक्त स्थल पर (जब तक वे विशेष रूप से संविदाकार से संबंधित न हों) लाए गए किसी माल, सामान, सामग्री इत्यादि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और संविदाकार भुगतान न किए गए बिलों के लिए प्रभार, जो कोई भी हो, पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं होगा या माना नहीं जाएगा; एसआईटीई या ढांचों को ग्रहण करने या कब्जा या नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा नियोक्ता को साइट का पूरा कब्जा करने तथा संविदाकार, उनके सेवकों, एजेंटों और संविदाकर की सामग्रियों, जो साइट पर पड़ी हैं, को हटाने का पूरा अधिकार होगा या स्वतंत्र होगा।

संविदाकार इस कार्य-स्थल पर संबंधित कार्य को निष्पादित करने के लिए वैध लाइसेंसधारी को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करेगा और उसे कार्य-स्थल तथा उस पर स्थापित संरचना में कोई दावा, अधिकार, स्वामित्व अथवा हित प्राप्त नहीं होगा और नियोक्ता को किसी समय बिना कारण बताए इस प्रकार के लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार होगा।

इस प्रकार के कार्य-स्थल पर उत्खनन कार्य करने अथवा खुदाई करने से प्राप्त रेत, कंकड-बजरी, पत्थर, लूज, मिट्टी, पहाड़ी चट्टान इत्यादि सहित संबंधित सामग्री जब तक इस संविदा के तहत अन्यथा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त न की गई हो, अनन्य रूप से नियोक्ता की होगी और संविदाकार को इसके संबंध में कोई दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इस प्रकार की उत्खनन और अन्य सामग्री का निपटान समय-समय पर प्रभारी इंजीनियर द्वारा लिखित में जारी किए गए निर्देश के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

जिनके समक्ष पक्षकारों ने इन्हें निष्पादित किया है उनका विवरण पहले ऊपर लिखी गई तारीख और वर्ष में दिया गया है।

नियोक्ता के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए और प्रदान किया गया	संविदाकार के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए और प्रदान किया गया
गेल (इंडिया) लिमिटेड	(संविदाकार का नाम)
_____	_____
_____	_____
दिनांक :_____	दिनांक :_____
स्थान :_____	स्थान :_____
दो गवाहों की उपस्थिति में	
1._____	1. _____
_____	_____
_____	_____
2._____	2. _____
_____	_____
_____	_____